लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५१, १९६१ / १८८२ (शक)

[२८ फरवरी से १३ मार्च १९६१ / ९ से २२ फाल्गुन १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation 18.5. ... Fumigated On 3.12.83 Parliament Library

तेरहवां सत्र, १९६१ / १८८२ (शक)

(खण्ड ५१ में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५१——अंक ११ से २०——२८ फरवरी से १३ मार्च १९६१/९ से २२ फाल्गुन १८८२ (शक)

अंक ११——मंगलवार, २८ फरवरी, १९६१/९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ से ३७९, ३८१ से ३८३ और ४०३ . . . ९९७–१०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ३१८ से ३७२, ३८०, ३८४ से ४०२ और ४०४ से ४२५ . . . १०१८–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४५ से ५५७, ५५९ से ६१२ और ६१४ से ६८३ . . . १०६७–११३१

स्थगन प्रस्ताव——

कराची में भारतीय उच्च आयोग पर आक्रमण . . . ११३१—३३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११३४

राष्ट्रपति से सन्देश . . . ११३६–३७

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——

कलकत्ते की गोदियों में खुरचने और रंग करने वालों की हड़ताल . . . ११३७

धार्मिक न्यास विधेयक——

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना . . . ११३८

विधेयक प्रस्तुत किये गये—— . . . ११३८–३९

१. रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक १९६१

२. विनियोग विधेयक, १९६१

३. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, १९६१

रेलवे आय व्ययक——सामान्य चर्चा . . . ११३९–४१

श्री तंगामणि . . . ११३९–४०

श्री विमल घोष . . . ११४०–४१

सामान्य आय व्ययक (१९६१–६२)——उपस्थापित . . . ११४१–६६

वित्त विधेयक, १९६१——पुरःस्थापित . . . ११६६

दैनिक संक्षेपिका . . . ११६७–७८

विषय सूची

	पृष्ठ
अंक १२—बुधवार, १ मार्च, १९६१/१० फाल्गुन, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४२६ से ४३० और ४३२ से ४३५ . .	११७९—१२०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३१ और ४३६ से ४७२ . . .	१२०१—१९
अतारांकित प्रश्न संख्या ६८४ से ७०६, ७०८ से ७७७ और ७७९ से ७९८	१२२०—७३
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१२७३
राज्य सभा से सन्देश	१२७३
दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	१२७४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय . . .	१२७४—७६
सदस्य द्वारा त्याग पत्र	१२७६
तारांकित प्रश्न संख्या ९०८ के उत्तर में शुद्धि . .	१२७६—७७
विनियोग विधेयक १९६१—पारित किया गया . . .	१२७७
आय व्ययक (रेलवे)—सामान्य चर्चा	१२७७—१३०२
आदिवासियों के संबंध में आधे घंटे की चर्चा . . .	१३०२—०७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन—	
सत्तरवां प्रतिवेदन	१३०७
दैनिक संक्षेपिका	१३०८—१५
अंक १३—गुरुवार, २ मार्च, १९६१/११ फाल्गुन, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४७४ से ४८३	१३१७—४०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१३४०—४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४७३ और ४८४ से ५१५ . . .	१३४३—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ७९९ से ८९१	१३५९—९९
सदन में शिष्टाचार का पालन	१३९९—१४००
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४००
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
आसाम में रहने वाले बंगालियों को मतदाता सूचियों में दर्ज करना	१४०१—०२

विषय सूची | पृष्ठ

रेलवे आय-व्यय-क--सामान्य चर्चा . १४०२–३३

दैनिक संक्षेपिका १४३४–४०

अंक १४--शनिवार, ४ मार्च, १९६१/१३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५१६ से ५१९, ५२१, ५२२, ५२४, ५४३ और ५२५ १४४१–६४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या . . . १४६४–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५२०, ५२३, ५२६ से ५४२ और ५४४ से ५६१ १४६६–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९३७, ९३९ से ९९२ और ९९४ से ९७३ १४८५–१५२२

स्थगन प्रस्ताव--

उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश . १५२२–२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५२४–२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

पटसन के मूल्यों में वृद्धि १५२५

सरकारी कार्य के लिये समय नियत करना . १५२६

सभा का कार्य १५२७

रेलवे आय-व्यय-क --सामान्य चर्चा १५२७–४१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--

सतत्तरवां प्रतवेदन . . . १५४१

धार्मिक पूजा स्थानों के राजनैतिक प्रचार के लिये प्रयोग पर प्रतिबन्ध संबंधी--
संकल्प . . १५४१–५४

सरकारी कर्मचारियों की कार्मिक संघ की कार्यवाहियों संबंधी संकल्प . १५५४–५९

दैनिक संक्षेपिका . १५६०–६६

अंक १५--सोमवार, ६ मार्च, १९६१/१५ फाल्गुन १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ५६८, ५७०, ५७१, ५७४, ५७६ से ५८० और
५८२ से ५८७ १५६७–९५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ और ५ १५९५–१६००

विषय सूची पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६, ५७२, ५७३, ५७५, ५८१ और ५८८ से ६०४ १६०१—१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६७४ से ११०६ १६१२—७६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १६७६–७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कांगों के लिये भारतीय सैनिक १६७७—७६

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उड़ीसा) १६६०–६१ १६७६

राज्य सभा से सन्देश १६७६

समिति के लिये निर्वाचन—

दिल्ली विकास प्राधिकार की परामर्श परिषद १६७६

रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . १६८०–१७०१

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १७०१–१७

खंड २ से ४ तथा १ . १७१७

पारित करने का प्रस्ताव . . १७१७

दैनिक समवाय (संशोधन) विधेयक . . १७१७–२३

विचार करने का प्रस्ताव १७१७–२२

खंड २ से ६ तथा १ . . १७२२

पारित करने का प्रस्ताव . , , . १७२२–२३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें—रेलवे १६६०–६१ . . १७२३–२५

सभा का कार्य . . . १७२५–२६

दैनिक संक्षेपिका . . १७२७–३५

अंक १६—मंगलवार, ७ मार्च, १६६१/१६ फाल्गुन, १८८२ (शक)

निधन संबंधी उल्लेख १७३७–४३

दैनिक संक्षेपिका १७४४

अंक १७—बुधवार, ८ मार्च, १६६६१/१७ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ से ६६२, ६६४ से ६६६, ६६८ से ६७२, ६७४, ६७५, ६७८ और ६७६ १७४५–६६

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६४६, ६५१ से ६५८, ६६३, ६६७, ६७३, ६७६, ६७७ और ६८० से ६६० . . . . . १७७०–१८०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०७ से १२१८ और १२२० से १३०१ . १८०४–८३

स्थगन प्रस्ताव

सिमलाबहल और बद्रचक कोयला खानों में हुई दुर्घटनायें . १८८३–८६

पंडित गोविन्द बल्लभ के निधन पर प्रधान मंत्री का सन्देश . १८८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति——

अठत्तरवां प्रतिवेदन . . . १८८८

पूर्वी पाकिस्तान में अल्प संख्यकों पर आक्रमण के संबंध में वक्तव्य . . १८८८

रेलवे दुर्घटना के संबंध में वक्तव्य १८८८–८९

औषधीय तथा प्रसाधन (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक——पुरस्थापित १८८९

सभा का कार्य १८८९

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६०–६१ . . . १८९०–९६

उड़ीसा के बारे में उद्घोषणा संबंधी संकल्प . . १८९६–१९०४

दैनिक संक्षेपिका . १९०५–१६

अंक १८——गुरुवार, ९ मार्च, १९६१/१८ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ६९२, ६९४ से ७००, ७०४, ७०६, ७०९ और ७११ १९१७–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७०१ से ७०३, ७०५, ७२० और ७१२ से ७२८ . . . १९४३–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०२ से १३९९ . . . १९५५–९४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में १९९४–९५

आंध्र प्रदेश में गुड़ के भाव में गिरावट के बारे में वक्तव्य . . १९९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १९९५

राज्य सभा से सन्देश १९९५

विनियोग (रेलवे) विधेयक——पुरस्थापित १९९६

उड़ीसा के बारे में उद्घोषणा——संबंधी संकल्प . . . १९९६–२००६

आतिशबाजी के सामान के कारखाने में विस्फोट के बारे में वक्तव्य . . १९९९

विषय सूची | पृष्ठ

उड़ीसा के बारे में अनुदानो की अनुपूरक मांगें . . . २००७—२२

अनुदानों की मांग (रेलवे) १९६१–६२ . . . २०२३—६०

दैनिक संक्षेपिका . . . २०६१—६७

अंक १९—शुक्रवार, १० मार्च, १९६१/१९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२९ से ७३७ . . . . २०६९—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३८ से ७६५ और ६५० . . . २०९०—२१०२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४०० से १४९३ . . . २१०२—४१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

रेलगाड़ी से गिर जाने के कारण मृत्यु २१४१

तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ के अनुपूरक प्रश्नों के बारे में . . २१४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

धागर नदी में बाढ़ . . . २१४२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . २१४३—४५

सभा का कार्य २१४५

उड़ीसा विनियोग विधेयक—पुरस्थापन स्थगित . . . २१४५–४६

विनियोग (रेलवे) विधेयक १९६१—पारित . . . २१४७

अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६१–६२ . . . . २१४७—७२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठत्तरवां प्रतिवेदन २१७२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित—

(१) श्री नारायणन् कुट्टि मेनन का अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण) विधेयक, १९६१ . . . २१७२

(२) श्री केशव का भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६१ (धारा ४ का संशोधन) २१७३

(३) श्री अरविन्द घोषाल का राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक, १९६१ श्री अरविन्द घोषाल का ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के संभरण का अन्त विधेयक २१७३

प्रस्ताव करने का विचार (अस्वीकृत) . . २१७३—८५

विषय	पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—

बासठवां प्रतिवेदन २१८६

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक श्री त० बं० विट्ठल राव द्वारा (नये अध्याय ५क का रखा जाना) . . . २१८६

विचार करने का प्रस्ताव २१८६

दैनिक संक्षेपिका . . . . २१८७—९४

अंक २०—सोमवार, १३ मार्च, १९६१/२२ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६६, ७७८, ७६७ से ७६९, ७७३ से ७७७, ७७९, ७८३ से ७८५, ७८७ और ७९२ . . . २१९५—२२२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ७७२, ७८० से ७८२, ७८६, ७८८ से ७९१ और ७९३ से ८०३ . . . . . २२२०—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १५४०, १५४२ से १५५६, १५५८ और १५५९ . २२३०—६०

स्थगन प्रस्ताव—

१. चलती रेलगाड़ी से गिरने के कारण श्री के० रामाराव की मृत्यु . २२६०—६२

२. रुद्रसागर में कथित दुर्घटना . . २२६२–६३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

अदीस अबाबा में रहने वाले भारतीय नागरिकों की शिकायतें . २२६३–६४

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२६५

प्राक्कलन समिति—

एक सौ आठवां प्रतिवेदन . . . २२६५

लोक लेखा समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन . २२६६

समिति के लिये निर्वाचन—

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति . . . २२६६

उड़ीसा विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित . २२६६–६७

कार्य मंत्रणा समिति—

बासठवां प्रतिवेदन २२६७

अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६१–६२ . . . . २२६७—२३२२

विषय	पृष्ठ
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरस्थापित . . .	२३२२
रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव	२३२२—२४
दैनिक संक्षेपिका	२३२५—३०

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPND—LSIII—2292(Ai) LS—15-4-61—125

लोक-सभा

गुरुवार, २ मार्च, १९६१

११ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशों को जाने वाले भारतीय खेल दल

†४७४. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे देशों में खेलों में भाग लेने के लिये गए खेल दलों के लिये १९६० में विदेशी मुद्रा पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) दलों का चुनाव किस प्रकार किया गया था ; और

(ग) क्या सरकार उनकी सफलताओं से संतुष्ठ है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तीन लाख सतत्तर हजार सात सौ तीस रुपये ।

(ख) दलों का चुनाव नेशनल स्पोर्ट्स फेडेरेशन ने किया था ।

(ग) अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् की एक समिति प्रश्न का अध्ययन कर रही है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या समाचारपत्रों तथा देश में चुनाव के बारे में सामान्य असंतोष है और यदि हां, तो क्या सरकार चुनाव के कुछ अन्य तरीके अपना रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समाचार पत्रों में निश्चित रूप से असंतोष है और हमें जयपाल सिंह समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि ओलम्पिक हाकी टीम में अधिकतम १८ व्यक्ति भेजने के बजाय २० व्यक्ति भेजे गये थे ; और यदि हां, तो क्यों ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह भी सच है । समिति इन सभी मामलों की जांच कर रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण बहुत से अच्छे खिलाड़ी भाग नहीं ले सके अथवा टीम में शामिल नहीं किए गए तथा यदि हां, तो किन कारणों से उन मामलों में विदेशी मुद्रा स्वीकार नहीं की गई थी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

2135(Ai) LSD—1

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं। यह सच नहीं है। सभी अच्छे खिलाड़ियों को भेजा गया था। सच यह है कि सामान्यतः यह राय है कि जितने व्यक्ति भेजे गये थे उतने नहीं भेजे जाने चाहिये थे।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विदेशी मुद्रा की कमी होने पर, ऐसे व्यक्ति क्यों भेजे गये जो खिलाड़ी नहीं थे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : खेलकूद परिषद् ने इस प्रश्न पर विचार किया था और चुनाव समिति ने चुनाव किए थे। यदि अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक में भाग लेना हम चाहते हैं तो अपना दल भेजना ही होगा। यह निर्णय तो परिषद् को ही करना है कि किस को नहीं भेजा जाना चाहिये। परन्तु बहुत अधिक भेजे गये थे अथवा कम भेजे गये थे यह तो अपने अपने विचार हैं और विचारों में अन्तर हो सकता है; परन्तु फिर भी समिति प्रश्न पर विचार कर रही है और मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करें।

†**श्री त्यागी** : इस धनराशि में सरकार का कितना अंश है ? क्या खेल कूद परिषद् ने भी इस व्यय में कुछ धन दिया था।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : १९६० के पत्री वर्ष में खर्च की गई ३,७७,७३० रुपये की विदेशी मुद्रा में सरकार खेलकूद फेडेरेशन, तथा व्यक्तिगत सभी प्रकार का व्यय आ जाता है १९६० के ओलम्पिक के लिये भारत सरकार ने भारतीय ओलम्पिक संस्था को २,३९,६९० रुपये दिये थे जिसमें १,४१,१५० रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल थी और शेष ओलम्पिक द्वारा खर्च की गई थी ?

†**श्री जयपाल सिंह** : इन अनुपूरक प्रश्नों का सम्बन्ध मुझ से है इसलिये मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। हमारे समाचार पत्रों में इसके बारे में बहुत सी काल्पनिक बातें कही हैं। इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि थोड़ा धैर्य रखें। समिति जिन बातों पर विचार करेगी वह रोम में चीफ–डे–मिशन का प्रतिवेदन है। मैं उसी की प्रतीक्षा में हूं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य इस समिति के सभापति हैं। यदि तथ्य जानने, आंकड़े जानने आदि में उन्हें कोई कठिनाई हो तो वह कृपा करके मुझे लिखें और भारत सरकार उनको सभी प्रकार की सहायता देगी।

†**श्री जयपाल सिंह** : मुझे कोई शिकायत नहीं है।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के राजनैतिक अधिकार

†४७५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के राजनैतिक अधिकार वही हैं जो सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों के हैं ;

(ख) क्या सरकारी उपक्रम के कर्मचारियों के लिये कोई समरूप आचरण संहिता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ; और

(घ) क्या इस मामले में गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न उपक्रमों को कोई निर्देश भेजा गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) कुछ मामलों में ऐसा ही है और अन्य में ऐसा नहीं है ।

(ख) इस समय ऐसी कोई समरुपता नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी हां ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है ।

प्रश्न के भाग (क) में मैंने पूछा है कि इन कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों में क्या अन्तर है । माननीय मंत्री ने केवल यही उत्तर दिया कि कुछ मामलों में तथा अन्य में नहीं है । प्रश्न का भाग (घ) इस प्रकार है :

"क्या इस मामले में गृह-मंत्रालय द्वारा विभिन्न उपक्रमों को कोई निर्देश भेजा गया है ।"

क्या निर्देश भेजा गया है ?

†**श्री दातार** : यह सलाह भेजी गई है कि यथासंभव उनको ऐसे राजनैतिक अधिकार नहीं मिलने चाहिये कि वह राजनैतिक-कार्यों में भाग ले अथवा ऐसे कार्यों में सहायक हों । केवल मतदान के अधिकार की स्वतंत्रता है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या इस प्रश्न पर किसी विशेषज्ञ समिति ने विचार किया है अथवा गृह-मंत्रालय ने ऐसे ही कुछ आदेश जारी कर दिए हैं

†**श्री दातार** : मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर लगातार विचार किया जा रहा है । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि सरकार द्वारा विभागीय तौर पर चलाये जाने वाले अथवा जिनमें सरकार का ही धन लगा हुआ है, ऐसे उपक्रमों में सरकारी कर्मचारी आचरण नियम ही लागू हैं । अन्य सरकारी उपक्रमों, जैसे संविहित आदि के मामलों में उन उपक्रमों की प्रबन्ध संस्थाओं को इस स्थिति को स्वीकार करना होता है ।

†**श्री त्यागी** : संसद् द्वारा कोई कानून न बनाये जाने पर इन व्यक्तियों, जो प्रत्यक्ष रूप में सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, को विधान सभाओं का कैंडीडेट के रूप में खड़ा होने की अनुमति क्यों नहीं ह ?

†**श्री दातार** : इस प्रश्न पर वेतन आयोग ने भी विचार किया था और उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं जो इस प्रकार हैं :

"असैनिक कर्मचारियों के राजनैतिक अधिकारों पर वर्तमान प्रतिबन्ध में छूट देना लोक हित अथवा कर्मचारियों के हित में नहीं है ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह भूल गये हैं कि हम ब्रिटेन के तरीके के अनुसार काम कर रहे हैं। यह सच है कि पूर्व योरोपीय देशों में तथा अमरीका जैसे लोकतंत्रीय देशों में जैसे ही एक प्रेजीडेंट की अवधि समाप्त होती है और दूसरा प्रेजीडेंट आता है तो समस्त प्रशासन ही बदल जाता है। हमने इस पद्धति के अतिरिक्त अन्य सभी पद्धतियों को अपना लिया है। हम असैनिक सेवाओं पर ही निर्भर करते हैं। मंत्री चाहे कोई भी हो परन्तु कर्मचारी वही रहते हैं और इसीलिए उनको राजनीति से अलग रखना आवश्यक है। यह एक विशाल प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य कर्मचारियों को ऐसा अधिकार देना चाहते हैं तो सभा में वह इस पर चर्चा करें और ऐसी नीति बनायें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु एक प्रश्न पर यह मामला तय नहीं किया जा सकता है।

मैं समझता हूं कि यहां पर ऐसी नीति है कि सरकारी कर्मचारी राजनीति में भाग न लें। केवल मतदान की स्वतंत्रता मात्र है।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देना चाहता हूं। यह एक गंभीर मामला है। यदि माननीय सदस्य सरकारी कर्मचारी आचरण नियम बदलना चाहते हैं तो वह बदल सकते हैं। यह सभा सर्वोच्च है। वह चाहें तो मंत्री को सरकारी कर्मचारी बना सकते हैं और पुनः मंत्री बना सकते हैं।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : आपने मुझे पुकारा था अतः एक प्रश्न पूछने की कृपया अनुमति दें।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं। अगला प्रश्न।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : आपके कथन के बारे में मुझे एक निवेदन करना है। प्रश्न पूछते समय हमारा यह विचार नहीं होता है कि सरकार को किसी नीति के अनुसार काम करने के लिए बाध्य करें। आपने अमरीका और ब्रिटेन का उल्लेख किया। में बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन में भी इस प्रश्न पर विचार किया गया था और उन्होंने हाल में ही कुछ निर्णय किए हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मामला सभा में कई बार उठाया जा चुका है। इस बार सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य ने मामला उठाया है, जबकि पहले अन्य दलों के सदस्य इस मामले को उठाते रहे हैं कि कर्मचारियों को राजनैतिक अधिकार क्यों नहीं दिए जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि इस मामले की ओर समस्त सभा का ध्यान है। मैं माननीय सदस्यों को अनुमति दूंगा कि इस पर विचार व्यक्त करें। यदि वह चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी राजनीति में भाग लें तो वह इस सिद्धान्त का प्रति-पादन कर सकते हैं।

इस समय मुझे यही निर्णय करना है कि क्या और प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये अथवा नहीं? मैं किसी सिद्धान्त का विरोधी और पक्षपाती नहीं हूं। मेरा कोई राजनैतिक संबंध भी इस समय नहीं है। परन्तु मैं इतना अवश्य चाहता हू कि प्रश्न काल को, किसी नीति के प्रतिपादन में बरबाद नहीं किया जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरा यह उद्देश्य नहीं था . . .

†**अध्यक्ष महोदय** । मैं माननीय सदस्य का उद्देश्य जानता हूं। परन्तु उसका प्रभाव वैसा ही हुआ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : एक स्पष्टीकरण......

†**अध्यक्ष महोदय** : वाद-विवाद में मैं अवश्य अवसर दूंगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : आपने बताया कि सभा में इस पर विचार किया जा सकता है। परन्तु मेरा निवेदन है कि कर्मचारियों के सेवा शर्तों संबंधी नियम जब भी बनाये जाते हैं तब उन पर सभा को विचार करने का अवसर नहीं दिया जाता है। आपका कहना यह है कि नियम बनाने से पहले उन पर यहां चर्चा होनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह संविहित नियम है। जिनको बनने के बाद पन्द्रह दिनों में सभा पटल पर रख दिया जाता है जिससे सभा को अवसर मिल सके कि वह उनको स्वीकार करे, अस्वीकार करे अथवा रूप भेद करें। अन्य नियमों के बारे में ऐसा नहीं है। परन्तु माननीय सदस्य सकल्प प्रस्तुत करके अथवा प्रश्न पूछ कर उन पर चर्चा कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि चर्चा उठाने के क्या तरीके हैं। कार्यपालिका प्राधिकार अथवा-कार्यवाही का मामला सभा में उठाया जा सकता है। प्रश्न केवल इतना है कि यह लोक-हित का है अथवा नहीं। कार्यपालिका के सभी कार्यों पर हम चर्चा कर सकते हैं।

संस्कृत शिक्षण संस्थायें

*४७६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत की शिक्षण संस्थाओं को गत तीन वर्षों में कितना अनुदान दिया गया ;

(ख) गुरुकुलों को इसमें से कितना अनुदान दिया गया और किस-किस गुरुकुल को इस प्रकार की सहायता दी गई ; और

(ग) क्या आगामी वर्ष में इस सहायता को बढ़ाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) संस्कृत की उन्नति के लिए शैक्षिक और साहित्यिक कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्कृत संस्थाओं, गुरुकुलों और सांस्कृतिक-संस्थाओं को १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ (२८–२–१९६१ तक) में १६·०५ लाख रुपये दिये गये।

(ख) ३·२० लाख रुपये इन संस्थाओं को दिये गए :—

१. सिद्धांग गुरुकुल, तुमकुर ;

२. ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्याश्रम, हरिद्वार ;

३. गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन ;

†मूल अंग्रेजी में

४. गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर ; और

५. गुरुकुल, कांगड़ी, हरिद्वार ।

(ग) यह संस्थाओं की आवश्यकताओं और राज्य सरकारों की सिफारिशों पर निर्भर होगा, किन्तु सरकार की यह नीति है कि गुरुकुलों को आवश्यकतानुसार अधिकाधिक सहायता दी जाए ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में संस्कृत के लिए कितने धन की व्यवस्था की गयी है, और उसमें गुरुकुलों के लिए कितनी धनराशि दी जाएगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : तृतीय पंचवर्षीय योजना तो अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन लगभग १५ लाख की राशि उसमें संस्कृत विद्यालयों के लिए रखी गयी है और करीब १० लाख की राशि गुरुकुलों के लिए रखी जा रही है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि संस्कृत की संस्थाओं ने केन्द्रीय सरकार से जो सहयोग की मांग की है उसको ध्यान में रखते हुए १५ लाख की राशि बहुत अपर्याप्त है, तो इसको और बढ़ाने का भी प्रयत्न किया जाएगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मेरी तो कोशिश है कि जितनी अधिक बढ़ सके बढ़े, लेकिन जो सारी धनराशि शिक्षा के लिए मिल रही है वही अपर्याप्त है। आप जानते हैं कि फ्री प्राइमरी कम्पलसरी एजूकेशन करनी हैं, फिर उसके बाद कुछ माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालयों की शिक्षा के लिए करना है । तो कोशिश तो मेरी बराबर है कि जितनी धनराशि संस्कृत पाठशालाओं के लिए मिल सके उतनी मिले । मैं आशा करता हूं कि कुछ राज्य सरकारें भी इसमें सहायता करेंगी तो कुछ काम आगे बढ़ सकेगा ।

श्री नरदेव स्नातक : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो दस लाख या १५ लाख रुपयों की राशि गुरुकुलों के लिए रखी गयी है, तो वे कितने गुरुकुल हैं और कौन कौन से गुरुकुल हैं जिन पर यह रुपया खर्च किया जायेगा ।

डा० का० ला० श्रीमाली : १५ लाख तो मैंने आपसे कहा कि जो दूसरी संस्थाएं हैं उनके लिए है । दस लाख विशेषकर गुरूकुलों के लिये रखा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : कुल २५ लाख है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मेरे निर्वाचन क्षेत्र अर्थात वाराणसी में भारत का एक ही संस्कृत विश्वविद्यालय है । उसके लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गयी है ?

†**एक माननीय सदस्य** : केवल वहीं पर भारत का एक संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : परन्तु वहां सब से पुराना है ।

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : वाराणसी विश्वविद्यालय तो उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय है। उसका सारा खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : सारी सरकार ही उत्तर प्रदेश की है।

श्री रघुनाथ सिंह : केन्द्रीय सरकार इस विश्वविद्यालय को, जोकि भारत का सब से प्राचीन विश्वविद्यालय है, कितनी राशि दे रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह एक ऐसा मामला है जोकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्र में आता है। जहां तक विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, अनुदान विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग द्वारा दिये जाते हैं, मंत्रालय द्वारा नहीं। उन संस्थाओं के सम्बन्ध में जो कि विश्वविद्यालय नहीं है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा देखभाल की जाती है ?

श्री म० ला० द्विवेदी : जो बयान सभा पटल पर रखा गया है उसमें कहा गया है कि इंस्टीट्यूशन्स की जो मांगें होंगी और राज्य सरकारों की जो सिफारिशें आएंगी उनके अनुसार केन्द्रीय सरकार विचार करेगी। में जानना चाहता हूं कि किन किन राज्य सरकारों की सिफारिशें आयी हैं और किन किन संस्थाओं की सिफारिशें आयी हैं, कितनी धनराशि के लिए आयी हैं, और सरकार ने उन पर क्या विचार किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या ये सभी व्यौरे एक अनुपूरक प्रश्न में बताये जा सकते हैं ?

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं तो केवल संक्षेप में उत्तर चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं। देश में अन्य स्थान भी हैं।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं तो अखिल भारतीय आधारा पर प्रश्न पूछ रहा हूं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसी समय सभी व्यौरे देना संभव नहीं है ; यदि माननीय सदस्य इस के लिये एक अलग प्रश्न की सूचना दें, तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं।

†**श्रीमती इलापाल चौधरी** : नवद्वीप के संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कई योजनायें आयी हैं। क्या इस के लिये अनुदान देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है ? और गुरुकुलों के लिये निर्धारित की गयी राशि में से नवद्वीप के विश्वविद्यालय को कितनी राशि दी जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो एक विशिष्ट मामले के बारे में पूछा जा रहा है। माननीय मंत्री उसी समय इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं ?

†**श्री सूपकर** : क्या वाराणसी और दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सभी विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त कर सकते हैं ; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान दे रहा है। संस्कृत विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में अभी तक विचार किया ही नहीं गया है क्योंकि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग का

---

†मूल अंग्रेजी में

यह मत है कि ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए जिस में केवल एक ही विषय पढ़ाया जाता हो और ऐसा कोई कारण नहीं है कि आयोग इस बारे में अपने मत को बदल दे।

†**अध्यक्ष महोदय:** मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या नीति के मामलों पर निर्णय करने का काम आयोग पर छोड़ दिया जाता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली:** हम ने जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्थापना की थी, उस समय संसद् ने यही निर्णय किया था। हमने सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान बांटने का अधिकार आयोग को दिया था। अब आयोग नहीं केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है, अपितु राज्य सरकारों के विश्वविद्यालयों को भी अनुदान दे रहा है। सरकार भी अनुदान दे सकती है। अनुदान देने में कोई रुकावट नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है कि जब भी कोई नीति का मामला उत्पन्न होता है जैसे यह कि क्या केवल एक ही विषय की शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालय होने चाहियें या नहीं, तो क्या उस मामले का निर्णय आयोग पर छोड़ दिया जाता है और सरकार इस बारे में कुछ भी निर्णय नहीं करती ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली:** जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सरकार भी अनुदान देने के लिये स्वतंत्र है।

†**अध्यक्ष महोदय:** मेरा प्रश्न यह है कि क्या नीति के बारे में निर्णय करने का कार्य आयोग द्वारा किया जाता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली:** मैं उचित परम्परायें चलाने के सम्बन्ध में अत्यधिक उत्सुक हूं। एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की स्थापना के बाद उसकी शक्ति को स्वीकार न करना उचित न होगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सामान्य मत यह है कि जहां तक हो सके हमें केवल एक ही विषय पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय स्थापित नहीं करने चाहियें। उदाहरणार्थ, कृषि विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय केवल एक ही विषयों के विश्वविद्यालय हैं। आयोग इसी बात पर जोर देता रहा है कि यथासंभव एक से अधिक विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिये। यदि किसी विश्वविद्यालय में केवल एक ही विषय की शिक्षा दी जाती है, तो वह विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को विशाल कैसे बना सकेगा।

इसीलिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सामान्य नीति यह है कि विश्वविद्यालयों में एक से अधिक विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिये। आप को स्मरण होगा कि मध्य प्रदेश में कुछ समय पूर्व एक संगीत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उस के लिये अनुदान नहीं दिया था . . .

†**अध्यक्ष महोदय:** मैं इस संबंध में और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो इस बारे में केवल यही पूछना चाहता था कि क्या इस प्रश्न का निर्णय

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालयों में एक विषय की शिक्षा दी जानी चाहिये या अधिक विषयों की, आयोग द्वारा किया जाता है या कि मंत्री महोदय द्वारा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस संबंध में सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मत से सामान्यतया सहमत है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण में लिखा हुआ है कि ५ गुरुकुलों को कुछ सहायता दी गयी है ; और वे सभी गुरुकुल उत्तर प्रदेश के हैं। क्या अन्य राज्यों में भी कोई गुरुकुल हैं और क्या उन्हें भी कोई अनुदान दिया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सभी गुरुकुलों से आवेदन प्राप्त हुए हैं और सभी के बारे में विचार किया जायेगा । सरकार विभिन्न राज्यों में कोई भेद भाव नहीं रखती ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि गुरुकुलों को या संस्कृत की संस्थाओं को जो सहायता दी जाती है उसकी प्रणाली क्या है ? क्या राज्य सरकारों से सम्मति ली जाती है या केन्द्रीय सरकार की जो अपनी मशीनरी है उस की सलाह पर वह निर्णय करती है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : केन्द्रीय सरकार ने सेंट्रल संस्कृत बोर्ड कायम किया है। इस के अध्यक्ष श्री पतंजलि शास्त्री हैं और उस में काफी दूसरे विद्वान भी हैं। इन के परामर्श से यह सहायता दी जाती है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि संस्कृत की प्राचीनता और गौरव को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार से इस तरह का कोई अनुरोध भी कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं की ओर से किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के तत्वाधान में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय, यदि हां तो केन्द्रीय सरकार इस संबंध में क्या निर्णय ले रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है आपको मालूम यह निश्चय किया गया है कि एक सेंट्रल संस्कृत इंस्टीच्यूट स्थापित किया जाय। इस मामले पर सेंट्रल संस्कृत बोर्ड ने विचार किया और अब यह निश्चय कर लिया है कि तिरूपति में वह सेंट्रल संस्कृत इंस्टीच्यूट कायम किया जाय और उसका कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायगा ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** इन संस्कृत विश्वविद्यालयों में कुल कितने छात्र पढ़ रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत लोग संस्कृत पढ़ते और लिखते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

†**श्री भा० कृ० गायकवाड :** हम जब इन पर प्रतिवर्ष ५० लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने विद्यार्थी इस भाषा को पढ़ कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वे वास्तव में यह पूछना चाहते हैं कि इन विश्वविद्यालयों में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मेरे पास इस समय ये आंकड़े नहीं हैं। परन्तु यदि माननीय सदस्य यह कहें कि क्योंकि इन छात्रों की संख्या कम है, इसलिये उन्हें

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदान नहीं देना चाहिये, तो उन से सहमत नहीं हूं । वास्तव में भारत सरकार की यह नीति है कि संस्कृत की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाये ।

रेणुका रे समिति की रिपोर्ट

+
*४७७. श्री भक्त दर्शन :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पांगरकर :
श्री कुन्हन :
श्री अरविन्द घोषाल :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यसंचालन के बारे में रेणुका रे समिति ने जो सिफारिशें की थीं, उन्हें कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : यह मामला अभी तक भारत सरकार के विचाराधीन है । अब भारत सरकार रेणुका रे समिति की सिफारिशों में उठाये गये प्रश्न के विषय में कानूनी और संवैधानिक स्थिति पर विचार कर रही है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट गवर्नमेंट के हाथ में किस तारीख को आई थी और इस के विचार होने में अभी कितना समय और लगेगा ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मुझे यह तारीख तो याद नहीं है, परन्तु अनुमान है कि सरकार को वह रिपोर्ट लगभग एक वर्ष पहले प्राप्त हुई थी, उस पर समाज कल्याण मंत्रियों द्वारा विचार कर लिया गया है और इस समय हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ; कठिनाई उत्पन्न होने का कारण यह है कि 'समाज कल्याण' न तो राज्य सूची में है और न ही केन्द्रीय विषयों की सूची में । हमने यह मामला महाअभ्यर्थी को सौंप दिया है और अब महा अभ्यर्थी ने अपना यह निर्णय दे दिया है कि सामाजिक योजना के अधीन सामाजिक विधान बनाना सम्भव है । सरकार अब इस पर विचार कर रही है ।

†श्री अंसार हरवानी : क्या रेणुका रे समिति ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड पर धन के गबन के बारे में लगाये गये आरापों के बारे में भी जांच की है

†डा० का० ला० श्रीमाली : इस समिति को अपनी रिपोर्ट पेश किये हुए बहुत समय हो गया है और उसे कई मामले सौंपे गये थे । यदि माननीय सदस्य के ध्यान में धन के गबन के बारे में कोई मामला है तो वे हमें सूचित कर सकते हैं ; सरकार निश्चित रूप से उनकी जांच करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० म० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि रेणुका रे कमेटी ने जो सिफारिशात वजीर तालीम को पेश की हैं उन में से ऐसी कितनी हैं जो कि हुकूमत ने मंजूर की हैं और ऐसी कितनी हैं जो कि अभी तक जेरगौर हैं?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है जो सब से प्रमुख सिफारिश थी वह सम्बन्ध रखती है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड से। उन्होंने सिफारिश की है कि सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड स्टैचुटरी बोर्ड बनाया जाय। इस के ऊपर गौर किया जा रहा है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही कुछ निश्चय किया जायगा।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** ऐसी कितनी सिफारिशों के बारे में विशेषतया बाल कल्याण के बारे में जिन के लिये किसी भी वैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं है, विचार किया गया है और कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह प्रश्न केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की किसी विशेष सिफ़ारिश के बारे में पूछा गया है। यदि माननीय सदस्य इस के लिये एक अलग प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** माननीय मंत्री ने अभी अभी यह कहा है कि कुछ सिफारिशों के लिये वैधानिक मंजूरी की जरूरत है। मैं उन के बारे में पूछ रहा हूं जिन के लिये वैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यदि इस के लिये एक अलग प्रश्न पूछा जाये, तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या सरकार यह अनुभव करती है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब विकेन्द्रीकरण और पंचायत राज के कारण पर्याप्त प्रगति हो चुकी है, और समय पर्याप्त बदल चुका है, उक्त रिपोर्ट अब पुरानी होती जा रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं माननीय सदस्य के मत से सहमत नहीं हूं। विकेन्द्रीकरण के बाद भी केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की आवश्यकता है। समाज कल्याण के क्षेत्र में स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन देना ही हमारी नीति है।

†**डा० सुशीला नायर :** इस रिपोर्ट में कई एक ऐसी सिफारिशें हैं जिन के कि आधार पर तीसरी पंचवर्षीय योजना सोशल वेलफेयर बोर्ड के बारे में बनने वाली थी। अब इस रिपोर्ट के ऊपर विचार करने में देर लगने से तीसरी पंचवर्षीय योजना में सोशल वेलफेयर को क्या कुछ नुकसान नहीं पहुंचा और उसकी रूपरेखा क्या उसी स्पष्टता से बन सकी है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, जहां तक एलोकेशन का सम्बन्ध है उस से कोई हानि नहीं हुई है। जब प्लान का सिलेकशन हुआ था तो यह सारी बातें पूरे तरीके से गौर कर ली गई थीं और जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं उन के साथ परामर्श किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० सुशीला नायर : यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का पहला साल शुरू भी हो गया है । कितनी जगह पर सोशल वेलफेयर की स्कीम्स् अटकी हुई है और आगे नहीं बढ़ रही हैं खास कर मोरेल सोशल हाईजीन के क्षेत्र में, मैं जानना चाहती हूं कि इस के बारे में मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं और क्या करने का विचार रखते हैं?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कि जबाब मैं आपको क्या दूं? आपने पूछा कि क्या कुछ ऐसी स्कीम्स् हैं जो कि रुकी हुई हैं, अब आप कोई विशेष योजना मेरे सामने रक्खें जो कि किसी कारण से रुकी रही हों तो मैं उसका जबाब दूंगा। और उसको जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा लेकिन उस के बारे में आप मुझे उदाहरण सहित लिख कर दें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस रिपोट के बारे में राज्य सरकारों की भी सम्मति ली गई है और यदि हां, तो उन्होंने इस के सम्बन्ध में क्या राय दी है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जैसे मैंने निवेदन किया स्टेट्स मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस हुई थी और यह प्रश्न उन के सामने भी विचार के लिए आया था । उन्होंने यही कहा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में अन्तिम निर्णय ले ले उस के बाद ही वे विचार करेंगे कि स्टेट्स सोशल वेलफेयर बोर्ड की क्या परिस्थिति होनी चाहिए।

कोयला धोने के कारखाने

†*४७८. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में कोयले धोने के कारखानों के विकास के संबंध में पश्चिम जर्मनी के साथ बातचीत समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :**
(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या बातचीत अभी तक चल रही है या कि कोई बात चीत चल ही नहीं रही ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** प्रश्न यह था कि क्या बातचीत समाप्त हो गयी है ; और उसका उत्तर है "जी, नहीं", इस से यही तात्पर्य है कि बात चीत अभी तक चल रही है ।

श्री अ० मु० तारिक : क्या मैं जान सकता हूं कि यह मश्विरा कब शुरू हुआ था यानी मसालिहत का सिलसिला किस वक्त से शुरू हुआ था और अब तक क्या क्या रुकावटें पेश आई हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरा खयाल है कि इस का फैसला थोड़े समय में ही हो जाएगा । मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एक महीने में हो जाएगा ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० मु० तारिक : मैंने यह जानना चाहा था कि कब यह सिलसिला शुरू किया गया था और इतनी देर क्यों हुई है, रुकावटें क्या पड़ी हैं?

सरदार स्वर्ण सिंह : कुछ महीने हुए जब यह बातचीत शुरू हुई थी और इसमें मैं समझता हूं कि मोई खास देर नहीं हुई है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या रेलवे के इस सुझाव के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया ह , कि रेलवे को स्वयं अपने गैर-कोकिंग कोयला धोने के कारखाने लगाने चाहियें।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मुझे विश्वास नहीं है कि रेलवे अपने उक्त कोयला धोने के कारखानों को लगाने में रूचि रखती है ; हां रेलवे यह सुझाव अवश्य दे रही है कि 'नान-कोकिंग कोयले के संबंध में कोयला धोने के कारखाने लगाये जाने चाहिये ।

†**श्री स० चं० सामान्त :** क्या इस बातचीत से गैरसरकारी क्षेत्र को भी लाभ होगा जो कि कोयला धोने के कारखाने लगाने के सम्बन्ध में यत्न करता रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मुझे ज्ञात नहीं कि कोई गैर सरकारी पार्टी इस संबंध में रूचि लेती हो । गैर सरकारी क्षेत्र में पहले ही कोयला धोने के दो कारखाने हैं ; मुझे ज्ञात नहीं कि कोई और गैर सरकारी पार्टी भी यह स्थापित करना चाहती है ।

†**श्री नाथ पाई :** माननीय मंत्री ने कहा है कि यह बातचीत कई महीनों से चल रही है । क्या यह सच नहीं है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोयला धोने के चार कारखाने लगाने का विचार था और यदि हां, तो उस योजना का क्या बना है? दूसरा यह कि आज लगाये जाने वाले कारखानों पर आने वाली लागत उस समय अर्थात द्वितीय योजना में लगाये जाने वाले कारखानों पर आने वाली लागत की तुलना में कितनी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जहां तक द्वितीय योजना का सम्बन्ध है, पांच कोयला कारखानों का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है । इन में से दो कारखानें अर्थात् खरगली और दुर्गापुर के कारखाने सरकारी क्षेत्र में हैं और शेष तीन अर्थात् दुग्दा, भोजुदीह, और पाथेरदिह स्थापित किये जाने थे । इसके सम्बंध में टेंण्डरों का परीक्षण किया जा रहा है और आशा है कि एक महीने के अन्दर आर्डर दे दिये जायेंगे।

†**श्री विमल घोष :** माननीय मंत्री ने जिन कोयला धोने वाले कारखानों का उल्लेख किया है वे तो सभी इस्पात कारखानों को संभरण करने वाले कोकिंग कोयला धोने वाले कारखाने हैं । मैं तो यह जानना चाहता हूं कि नान-कोकिंग कोयला धोने वाले कारखानों के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मुझे खेद है कि इस सम्बन्ध में बहुत कम प्रगति हुई है । नान कोकिंग कोयला धोने वाले कारखाने मितव्ययी सिद्ध नहीं होते । अतः इस सम्बन्ध में अभी निर्णय करना है कि क्या नान-कोकिंग कोयला धोने के कारखाने का कोई लाभ भी है या नहीं ।

†**श्री विमल घोष** : क्या नान-कोकिंग कोयले को धोया नहीं जा रहा है, तो फिर रेलों को अपेक्षित कोयला कैसे दिया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह तो रेलवे के अपने निर्णय का मामला है। यदि रेलवे को नान-कोकिंग धुला हुआ कोयला बिना धुले हुए कोयले की तुलना में अधिक महंगा पड़ता है, तो स्वभावतः वे धुले हुए कोयले से ही काम चलाते रहेंगे। यह प्रश्न अर्थ-व्यवस्था का है और इस पर विचार करना पड़ेगा।

†**श्री मुरारका :** कितने कोयला धोने के कारखानों के बारे में सहयोग के लिये जर्मन फर्म से बातचीत की जा रही है। पूरा हो जाने के बाद इन कारखानों की कुल क्षमता कितनी होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जर्मन सरकार ऋण देने का कार्य प्रारम्भ कर रही है और संभवतः वह ऋण किसी विशेष परियोजना के लिये नहीं होगा। अतः यदि हम कोयला धोने के कारखानों के लिये ऋण मांगेंगे, तो वह ऋण उपलब्ध हो जायेगा। इस समय कई कोयला धोने के कारखानों के बारे में बातचीत चल रही है। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का कारखाना स्थापित करना चाहते हैं और उसके लिये क्या दर प्रस्तावित किये गये हैं। यदि किसी जर्मन फर्म के दर उचित हुए तो हम ऋण को स्वीकार कर लेंगे।

खम्भात में तेल निक्षेप

+
†*४७९. { **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री त० ब० विट्ठल राव : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात क्षेत्र में उपलब्ध तेल की मात्रा का निर्धारण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका अनुमान कितना है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो निर्धारण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) अभी तक कितने कुएं खोदे गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव** (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसलिये इस वर्ष के अन्त तक ही कोई निर्णय किया जा सकेगा।

(घ) १२।

†**श्री वी० चं० शर्मा :** क्या सरकार इस क्षेत्र में और अधिक कुएं लगाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है और यदि हां, तो क्या सरकार मशीनरी आदि के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, निश्चित रूप से और अधिक कुएं खोदे जायेंगे। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, आशा है कि हम

---

†मल अंग्रेजी में

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक मशीनरी आदि के सम्बन्ध में आत्म निर्भर हो जायेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यह कहा गया है कि काम्बे की भूमि में छेदन करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । वे कठिनाइयां क्या क्या हैं और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य किन कठिनाइयों की ओर संकेत कर रहे हैं । हां यह सच है कि कई कठिनाइयां हैं परन्तु जब तक इस बात की ओर संकेत न किया जाय कि किन कठिनाइयों के बारे में पूछा जा रहा है, तब तक उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता । वैसे भू-छेद का कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है और इस वर्ष के अन्त तक इस बारे में निर्णय किया जा सकेगा ।

†**श्री पु० र० पटेल :** काम्बे में कितने स्थानों पर भू-छेदन किया जा चुका है और उन कुओं के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की क्या रिपोर्ट है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** १२ कुएं खोदे जा चुके हैं । वैसे तो कुल २० कुएं हैं, परन्तु उनमें से कुछ अभी पूरे नहीं हुए हैं । जब तक वे सभी पूरे नहीं हो जाते तब तक अन्तिम निर्धारण नहीं किया जा सकता । परन्तु फिर भी, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, हमें आशा है कि हम वहां पर तेल शोधक कारखाना स्थापित कर सकेंगे ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** वहां कुल कितने कुएं खोदे गये हैं और उन में से कितने कुओं में तेल है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि लगभग १२ कुएं खोदे गये हैं, परन्तु इस समय यह बताना कठिन है कि कितनों में तेल है ?

†**श्री पु० र० पटेल :** क्या यह सच है कि भू-छेदन कार्य पूरा हो जाने के बाद विशेषज्ञों द्वारा इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट पेश की जायेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** कुआं पूरा हो जाने के बाद तेल की उपलब्धि के बारे में जानने के लिये और तेल की कुल मात्रा के सम्बन्ध में जानने के लिये कई परीक्षण किये जाते हैं । इन परीक्षणों से भी तेल की वास्तविक उपलब्धि के बारे में निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है । पहले तो कुल उपलब्ध मात्रा को जानने के लिये भू-छेदन किये जाते हैं और फिर उत्पादन कुएं खोदे जाते हैं या यदि पहले ही कुएं खोदे जा चुके हों, तो उन्हें उत्पादन कुओं के रूप में बदल दिया जाता है । अतः यदि हम प्रत्येक कुएं के उत्पादन के सम्बन्ध जोड़ कर कोई निष्कर्ष निकालना चाहें, तो वह उचित निर्धारण न होगा ।

†**श्री पु० र० पटेल :** यह कहा गया है कि परीक्षण किये जा चुके हैं और इन से वास्तविक उत्पादन का पता नहीं लग सका है । परन्तु उत्पादन का अनुमान तो लगाया जा सकता है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इस सम्बन्ध में अनुमानतः आंकड़े बताना मैं उचित नहीं समझता । काम्बे और अंकलेश्वर क्षेत्र में इतना तेल है कि उससे वहां पर एक तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जा सकता है । यह बात तो वित्त मंत्री द्वारा आयव्ययक भाषण में बतायी जा चुकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक अनुमानतः आंकड़ों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में अनुमान लगाना अच्छा नहीं है। इस बारे में सारा कार्य पूरा हो जाने के बाद ही हम सभा को सूचित कर सकेंगे।

श्रीमती जयाबेन शाह : जो बातें यहां बताई जा रही हैं उन से यह पता नहीं चलता है कि जो रिफाइनरी बनने जा रही है उस की ऐप्राक्सिमेट कैपैसिटी क्या होगी। मंत्री महोदय को कुछ तो बतलाना चाहिये कि वहां क्या होगा।

सरदार स्वर्ण सिंह : होगा यह कि वहां एक रिफाइनरी होगी। उस का साइज कितना होगा, यह हम अभी नहीं बतला सकते। जब हम उस में वैल सिंक करेंगे तो उस के बाद यह फैसला करेंगे कि उस की कैपेसिटी डेढ़ मिलियन टन होगी या दो मिलियन टन होगी। बहरहाल अन्दाजा यह है कि एक मिलियन टन से ज्यादा की कैपेसिटी जरूर होगी।

†श्री पु० र० पटेल : यह कहा गया है कि वहां एक तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जायेगा। उस कारखाने की कितनी क्षमता है और वह कहां स्थापित किया जायगा ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : इनका उत्तर इस समय नहीं दिया जा सकता।

प्रशिक्षित अध्यापिकायें

†*४८०. श्री कोडियान : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) सरकार तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में प्रारम्भिक प्रक्रम पर प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी करना संभव हो सकेगा; और

(ग) इसके लिये तीसरी पंच वर्षीय योजना में कितनी राशि की व्यवस्था की गई है?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तृतीय योजना काल में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार होगा और उसके साथ ही प्रारम्भिक अवस्था पर अध्यापिकाओं की संख्या में भी सामान्य वृद्धि होगी। सरकार, उसके अतिरिक्त, अध्यापिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिये और भी कुछ खास उपाय करने की सोच. रही है, जैसे—

(१) अध्यापिकाओं के लिये नयी प्रशिक्षण संस्थायें खोलना;

(२) बालिकाओं के माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षण विभाग खोलना;

(३) सहशिक्षा वाले प्रशिक्षण केन्द्रों में स्त्रियों के लिये सीटें सुरक्षित करना;

(४) देहाती क्षेत्रों की बालिकाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये वित्तीय सहायता देना;

(५) माध्यमिक अवस्था पर प्रशिक्षणार्थियों का पूर्व-चुनाव करना; और

†मूल अंग्रेजी में

(६) वयस्क स्त्रियों के लिये संक्षिप्त पाठ्यक्रमों का संगठन ।

(ख) देहाती क्षेत्रों और अपेक्षाकृत कम उन्नत राज्यों में तब भी अध्यापिकाओं की कुछ कमी रह जायगी । लेकिन आशा है कि तृतीय योजना-काल में स्थिति काफी सुधर जायेगी ।

(ग) राज्यों ने अपनी राज्यीय योजनाओं में अन्तिम रूप से कितनी-कितनी राशियों की व्यवस्था की है—इसकी सूचना अभी तक हमारे पास नहीं आई है ।

†**श्री कोडियान** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है कि तब भी अध्यापिकाओं की कुछ कमी, विशेषकर देहाती क्षेत्रों और अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों में, रहेगी ही । इस बात को समझते हुए कि अध्यापिकायें देहाती क्षेत्रों में जाने से हिचकती हैं, सरकार उनको देहाती क्षेत्रो में जाने को तैयार करने के लिये किस प्रकार प्रेरित करेगी और क्या उन्नत राज्यों की अर्हता-प्राप्त अध्यापिकायें अपेक्षाकृत कम उन्नत राज्यों में भी भेजी जायेंगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बन्ध में, माननीय सदस्य को उत्तर का भाग (क) देखना चाहिये, जिसमें बताया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सरकार क्या विशेष उपाय करेगी । उनके प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में मुझे यही कहना है कि सरकार अध्यापिकाओं को अपेक्षाकृत कम उन्नत राज्यों में अवश्य भेज सकती है, और यदि पर्याप्त संख्या में अध्यापिकायें उपलब्ध हों और उनकी मांग भी हो, तो वे स्वयं भी अपेक्षाकृत कम उन्नत राज्यों में जा सकती हैं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : देश में शिक्षा की प्रारम्भिक अवस्था पर कितनी अध्यापिकायें उपलब्ध हैं और योजना काल में कितनी अध्यापिकाओं की आवश्यकता पड़ेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि हम १९५७–५८ के प्रारम्भिक, मिडिल और माध्यमिक स्कूलों सम्बन्धी आंकड़ों को देखें, तो अभी प्राथमिक स्कूलों के ७.२६ लाख अध्यापकों में से केवल १.२७ लाख अध्यापिकायें हैं, मिडिल स्कूलों के २ लाख अध्यापकों में से केवल ३७,००० अध्यापिकायें हैं; और माध्यमिक स्कूलों के २.२६ लाख अध्यापकों में से केवल ४३,००० अध्यापिकायें हैं । सभा स्वयं देख सकती है कि दोनों की संख्या में भारी अन्तर है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : प्रारम्भिक स्कूलों की प्रशिक्षित अध्यापिकायें राष्ट्र की निर्मात्री हैं । इसलिये क्या शिक्षा मंत्रालय में इस काम की देखभाल के लिये कोई विशेष इकाई है और क्या उसके सदस्य देश का दौरा करते रहते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसकी सभा नेत्री श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख हैं, जो महिला राष्ट्रीय परिषद् की भी सभानेत्री हैं । वह देश में काफी दौरा करती रहती हैं ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : प्रश्न के तीसरे भाग के उत्तर में, माननीय मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकारों के लिये व्यवस्थित राशियों के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है, इसलिये वह उसके बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते, न कोई अनुमान लगा सकते हैं । मैं पूछती हूं कि अब तो तृतीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, और इसके लिये सभी राज्य-सरकारों के साथ चर्चा हुई ही होगी, इसलिये शिक्षा मंत्रालय ने कुछ अनुमान तो लगाया ही होगा कि कौन राज्य सरकार कितने अध्यापकों और अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित करेगी और कितनी राशि व्यय करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** राज्य सरकारों के साथ चर्चा करने के बाद जब योजना को अन्तिम रूप दिया गया था, तब इन योजनाओं के लिये ११ करोड़ रुपये रखे गये थे। लेकिन हमें राज्य सरकारों से मालूम करना है कि इस आवंटित राशि में से उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों के लिये कितनी राशि रखी है।

श्रीमती जयाबेन शाह : क्या यह बात सही है कि "आल इंडिया वीमेन्स कौंसिल" ने जो सिफारिशें की हैं उनमें से ९० परसेन्ट काट दी गई हैं?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह बात ठीक नहीं है कि ९० परसेन्ट काट दी गई हैं। कुछ जरूर काटी गई हैं, लेकिन ९० परसेन्ट नहीं।

श्रीमती जयाबेन शाह : क्या यह बात सही है कि उन्होंने १०० करोड़ रुपये की मांग की थी थर्ड फाइव इअर प्लैन में, पर उसके बजाय सिर्फ १७ करोड़ रु० देने की ही गुंजाइश है?

डा० का० ला० श्रीमाली : जैसा मैंने बताया कि एलिमेन्टरी स्टेज (प्रारम्भिक अवस्था) के लिये ११ करोड़ रुपये रखा गया था। अब देखना है कि ऐक्चुअली स्टेट्स ने अपने-अपने सेक्टर में क्या रखा है।

†**डा० सुशीला नायर :** अध्यापिकाओं को देहाती क्षेत्रों में जाने में सबसे बड़ी बाधा मकानों की कठिनाई है। सभी यह कठिनाई महसूस करती हैं। सरकार इसे दूर करने के लिये क्या कर रही है, या करने का विचार कर रही है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में अध्यापिकाओं के लिये मकान बनाने की योजनाओं के लिये विशेष सहायता दी थी और कई राज्यों ने उसका उपयोग भी किया था। आशा है कि तृतीय योजना-काल में भी ऐसा ही होगा।

†**श्री कोडियान :** संघ क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के लिये क्या व्यवस्था की गई है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** संघ क्षेत्रों के सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है। इसके लिये यदि अलग से प्रश्न पूछा जाये, तो मैं सूचना दे सकूंगा।

रूरकेला में प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज

†*४८१. **श्री सूपकार :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** ७ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(क) रूरकेला में प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई; और

(ख) क्या कालेज का काम जुलाई, १९६१ से शुरू हो जायेगा?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) राज्य-सरकार कालेज के लिये उपयुक्त स्थान का चुनाव कर रही है।

(ख) जी, नहीं।

†**श्री सूपकार :** राज्य सरकार ने अभी कुछ महीने पहले केन्द्र से पूछा था कि वह इस मामले में क्या कर रहा है। जहां तक मुझे मालूम है राज्य सरकार से कुछ दिन और रुकने के लिये कहा

---

†मूल अंग्रेजी में

गया था । देश में इंजीनियरों की बड़ी कमी है, और दूसरी ओर कई विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश भी नहीं मिल पाता । इन दोनों बातों को देखते हुए, रूरकेला में इंजीनियरिंग कालेज चालू होने की रास्ता कब तक देखनी पड़ेगी ?

†**श्री हुमायून कबिर** : पता नहीं माननीय सदस्य ने किस आधार पर यह धारण बना ली है । प्रश्न का दूसरा भाग ग़लत है । द्वितीय योजना काल में प्राविधिक शिक्षा की सुविधाओं का बड़ा विस्तार हुआ है । हम देश की आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के मुताबिक उनका और भी विस्तार करते जायेंगे ।

†**श्री सूपकार** : पूर्वी प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल सका ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह तो सवाल ही नहीं । इसका कोई महत्व नहीं । महत्व की बात तो यह है कि इस पांच साल के दौरान हर वर्ष प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ६,००० से बढ़कर १३,५०० हो गई है ।

†**श्री रंगा** : यह कालेज केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, या रूरकेला तथा अन्य स्थानों के ऐसे कारखानों के लोगों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह कालेज प्रादेशिक कालेजों की श्रेणी में आता है । प्रादेशिक कालेजों में उसी राज्य के विद्यार्थियों के लिये ५० प्रतिशत, उस प्रदेश के राज्यों के विद्यार्थियों के लिये ३० प्रतिशत और अन्य सभी राज्यों के २० प्रतिशत विद्यार्थियों के लिये स्थान सुरक्षित किय जाते हैं ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या माननीय मंत्री को इसकी जानकारी है कि कालेजों की कमी के फलस्वरूप विद्यार्थियों को उनमें प्रवेश पाने के लिये हजारों रुपये देने पड़ते हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इंजीनियरिंग कालेजों के बारे में यह कहना ग़लत है । वे देश की आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों को भर्ती कर रहे हैं । मैंने अभी अभी बताया कि भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ६,००० से बढ़कर १३,५०० हो गई है, और हम तृतीय योजना की समाप्ति तक उसको २०,००० तक बढ़ाना चाहते हैं ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : कितने विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल सका है ? माननीय मंत्री कहते हैं कि इसका कोई महत्व नहीं । लेकिन इसकी जानकारी उनको क्यों नहीं है ?

†**श्री कालिका सिंह** : माननीय मंत्री ने कहा है कि यह प्रादेशिक कालेज है । भारत भर में कितने प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किये जायेंगे ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : द्वितीय योजना-काल में हमने ८ प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना का अनुमोदन किया था, जिनमें से ७ चल रहे हैं । तृतीय योजना-काल के लिये हमने ७ और प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेजों की व्यवस्था की है । तृतीय योजना पूरी होते-होते हर राज्य में एक इंजीनियरिंग कालेज हो जायेगा ।

†**श्री कालिका सिंह** : तृतीय योजना में प्रस्तावित ७ कालेजों के लिये कौन से स्थान चुने गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री हुमायून् कबिर : अन्तिम चुनाव राज्य-सरकारों के परामर्श से ही किया जाता है। हमारे अपने प्रस्ताव के अनुसार वे कालेज उड़ीसा में रूरकेला, गुजरात में सूरत, राजस्थान में जयपुर, और पंजाब में अम्बाला में रहेंगे। उड़ीसा और गुजरात हमारे प्रस्ताव से सहमत हो गये हैं।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश देने की कसौटी यह है कि देश को कितने इंजीनियरों की जरूरत है। क्या देश की आवश्यकतानुसार इंजीनियर हमारे पास हैं? सरकार ने कई बार स्वयं कहा है कि रूरकेला और अन्य स्थानों में इंजीनियरों की बड़ी कमी है।

†श्री हुमायून् कबिर : माननीय सदस्य ने दो अलग-अलग प्रश्नों को फिर एक में गड़बड़ा दिया है। देश में कुछ स्तरों पर अनुभवी और प्रशिक्षित इंजीनियरों की कमी है। लेकिन हम नये भर्ती होने वाले विद्यार्थियों को देश की आवश्यकताओं के अनुसार प्रवेश दे रहे हैं।

†श्री सूपकार : रूरकेला में काफी भूमि अर्जित की गई है और उपलब्ध भी है, तब फिर इस कालेज के लिये स्थान चुनने में इतना समय क्यों लग रहा है?

†श्री हुमायून् कबिर : यह तृतीय योजना की परियोजना है। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य कैसे कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा समय लग चुका है। राज्य सरकार ने अस्थायी तौर पर तीन स्थान चुन लिये हैं और अब वह देख रही है कि उनमें सबसे उपयुक्त कौनसा रहेगा।

†श्री पुन्नूस : माननीय मंत्री ने कहा है कि प्रवेश के लिये रुपया लेने की प्रथा नहीं है। क्या सरकार को जानकारी है कि पालघाट के इंजीनियरिंग कालेज के बारे में ऐसी शिकायतें आई थीं और राज्य सरकार को उनकी जांच करानी पड़ी थी?

†श्री हुमायून् कबिर : मैंने कहा था कि जिन कालेजों को हम सहायता देते हैं उनके बारे में ऐसी शिकायतें नहीं हैं। एक कालेज के बारे में ऐसी शिकायतें आई थीं, और मेरी जानकारी तो यही है कि अब वहां भी ऐसी शिकायत नहीं रही हैं।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

†श्री रघुनाथ सिंह : प्रश्न संख्या ४८६ को ले लिया जाये। वह बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दे दिया है, फिर भी प्राध्यापकों को पुनः बहाल नहीं किया गया है। वह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न संख्या ४८२।

राज्य सूची में उल्लिखित स्मारकों का संरक्षण

†*४८२. श्री नरसिंहन् : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल और सर्किल सुपरिन्टेंडेन्टों ने राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के अतिरिक्त अन्य स्मारकों के संधारण और संरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों का पथ-प्रदर्शन करने के लिये कोई उपक्रम किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कार्यकरण के कुछ सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (श्री म० मो० दास) :** (क) पुरातत्व विभाग स्मारकों के संधारण के बारे में पाठ्यक्रम चालू करता है। राज्य सरकारों से उन के लिये अधिकारी भेजने को कहा जाता है। इस के अतिरिक्त, संघ पुरातात्विक विभाग इस के संबंध में राज्य सरकारों को प्राविधिक परामर्श निःशुल्क देता है।

(ख) जी, नहीं ; महोदय। राज्य सरकारों के लिये नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री नरसिंहन् :** इस के लिये क्या व्यवस्था की गई है कि राज्य-सरकारें संघ पुरातात्विक विभाग के विशेषज्ञता-प्राप्त ज्ञान से लाभान्वित हो सकें ? मिसाल के तौर पर, राज्य सरकारें यह जानकारी कैसे प्राप्त कर सकेंगी कि दक्षिण भारत के प्राचीन मन्दिरों का संरक्षण कैसे किया जाये ? क्योंकि वे मन्दिर राष्ट्रीय महत्व के नहीं हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** इस में मैं इतना और जोड़ना चाहता हूं कि एक पुरातत्व स्कूल भी स्थापित किया गया है। और उस में प्रशिक्षण के लिये हम ने राज्य सरकारों से अधिकारी भेजने के लिये कहा है। कई विश्वविद्यालय भी हैं जो पुरातत्व के सम्बन्ध में अपने यहां पाठ्यक्रम चलाते हैं और उन के अनुराध पर हमें व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये आवश्यक सुविधायें जुटा देते हैं।

†**श्री पु० र० पटेल :** क्या राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार स्मारकों की सूची प्रकाशित करती है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** केन्द्रीय सूची सुलभ है। वह शायद संसदीय पुस्तकालय में भी मिल सकती है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जो स्थान राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित नहीं किये गये हैं, केन्द्रीय सरकार की ओर से उन को भी अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो उस के लिये क्या नियम और संहिता बनाई गई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** सभी स्मारकों के संरक्षण का दायित्व भारत सरकार पर ही है। इसे देखते हुए, क्या भारत सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि अभी इस समय राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले स्मारकों की उचित देखभाल करने में समर्थ हैं या नहीं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** माननीय सदस्य स्वयं ऐसी एक विशेषज्ञ संस्था के सदस्य हैं। उन को मालूम है कि राज्य सरकारों से आग्रह किया जा रहा है कि वे अपने यहां ऐसे विभाग स्थापित करें। मैं ने खुद भी व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक मुख्य मंत्री के साथ इस पर चर्चा की है। मुझे पूरी आशा है कि कुछ ही दिनों में सभी राज्यों के पास अपने ही उचित रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ता हो जायेंगे। तब तक, हम से जो भी सहायता मांगी जायेगी, हम देते रहेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नरसिंहन् : इस के बाद विद्यार्थियों को जो प्रशिक्षत किया जायेगा, और जो काफी उपयोगी सिद्ध होंगे, उस के अतिरिक्त, क्या मंत्रालय के वर्तमान अधिकारी वास्तव में विभिन्न राज्यों को सहायता दे रहे हैं, और यदि हां, तो कितनी ? क्या इस का कोई उदाहरण है ?

†श्री हुमायून् कबिर : मैं बता चुका हूं कि पुरातत्व-स्कूल राज्य के विभागों के, और केन्द्रीय विभागों के भी, अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिये स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हम से जब भी सहायता का अनुरोध किया जाता है हम यथाशक्ति सहायता देते रहते हैं।

प्रश्न संख्या ४८६ और ४८३ के बारे में

†श्री रघुनाथ सिंह : प्रश्न संख्या ४८६ का उत्तर दिया जाये।

†श्री स० मो० बनर्जी : कल उस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जा चुका है। प्रश्न संख्या ४८३ लिया जाये।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या ४८६ के सम्बन्ध में कल ही एक वक्तव्य दिया गया था। श्री बनर्जी प्रश्न संख्या ४८३ के लिये कह रहे हैं, उसे लिया जा सकता है।

युद्ध सामग्री कारखानों में धातु मिश्रित इस्पात का निर्माण

+

†*४८३. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री म० रं० कृष्ण :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध-सामग्री कारखानों में विशेष धातु मिश्रित इस्पात के निर्माण का कोई प्रयास किया गया है ;

(ख) क्या इस के लिये अलग से कोई कारखाना स्थापित किये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं ; तो क्या उस का वर्तमान युद्ध-सामग्री कारखानों में ही निर्माण होगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़) :** (क) युद्ध-सामग्री कारखाने कई वर्षों से मिश्रित इस्पात का निर्माण कर रहे हैं और उसकी नयी-नयी किस्म तैयार करने का प्रयास करते रहते हैं।

(ख) और (ग). मिश्रित और विशेष प्रकार के इस्पातों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि युद्ध-सामग्री कारखानों में सुलभ वर्तमान सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जाये। जनवरी, १९६१ में, ईशापुर की 'मेटिल एण्ड स्टील फैक्टरी' को इस्पात-निर्माण की सुविधाओं के आधुनिकीकरण की एक परियोजना की मंजूरी दी जा चुकी है। कानपुर के युद्ध-सामग्री कारखाने में सुलभ सुविधाओं के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस कारखाने के आधुनिकीकरण की अनुमित लागत और तब उस की रोजगार जुटाने की क्षमता क्या होगी, और क्या इस कारखाने का आधुनिकीकरण किसी विदेशी संस्था के सहयोग से किया जा रहा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : रोजगार जुटाने की क्षमता का ठीक-ठीक पता, उस के वास्तविक आंकड़े, तो तभी पता चलेंगे जब आधुनिकीकरण, वगैरह पूरा हो चुकेगा । कानपुर के सम्बन्ध में तो अभी परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन भी तैयार नहीं हुआ है । अभी उस में छः महीने और लग जायेंगे । उस के बाद ही, रोजगार-क्षमता, उस की संभावना आंकी जा सकेगी ।

†**श्री मुरारका** : इन कारखानों में विशेष प्रकार का यह इस्पात कब से बन रहा है और उस की उत्पादन-लागत कितनी आती है ? क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने उस की प्रति टन उत्पादन-लागत का हिसाब लगाया है ?

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : अभी-अभी विधि मंत्री आप और प्रश्नकर्ता के बीच से निकल कर दूसरी तरफ गये हैं । श्री मुरारका प्रश्न पूछ रहे थे । माननीय विधि मंत्री को सभा के शिष्टाचार के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिये । मैंने कई बार देखा है कि सरकार के मंत्रिगण संसद् के नियमों और औचित्य का ध्यान नहीं रखते ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । अब चूंकि मेरा ध्यान इस की ओर आकर्षित किया गया है, मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्यों को ध्यान रखना चाहिये कि देश के अन्य १४ विधान-मंडल हमारी ओर देखते रहते हैं; वे हमारे आचरण को देख कर चलते हैं । इस लिये हमारा व्यवहार पूर्ण रूप से उचित होना चाहिये । मैं ने अक्सर देखा है कि जब मैं बोल रहा होता हूं तब कई माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं और भवन से चले भी जाते हैं । कम से कम मेरी बात पूरी होने, और मेरे बैठने तक वे रुक ही सकते हैं । और जब माननीय सदस्य भवन में आते हैं, तब शिष्टाचार यही है कि उनको सिर झुका कर अध्यक्ष के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिये । भवन से जाते समय भी यही करना चाहिये । लेकिन वे करते नहीं हैं । इतना ही नहीं, कुछ माननीय सदस्य तो मेरी ओर पीठ किये लगातार बैठे रहते हैं ।

†**एक माननीय सदस्य** : यह बहुत बुरा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें शिष्टाचार के इन नियमों का पालन करना चाहिये । अन्य विधान मण्डलों के लिये हमें सही ढंग की मिसाल पेश करनी चाहिये । किसी भी माननीय सदस्य को भाषणकर्त्ता और अध्यक्ष या सभापति के बीच से निकल कर नहीं जाना चाहिये । ये बिलकुल ही प्रारम्भिक नियम हैं । ये सब माननीय सदस्यों ही नहीं सभी मंत्रियों पर भी उतने ही लागू होते हैं । मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने इस की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया । मैं मानता हूं कि यह सब जानबूझ कर नहीं किया जाता, अनजाने में हो जाता है । फिर भी, ऐसा होना नहीं चाहिये । अब प्रश्न-काल समाप्त हुआ ।

†**श्री मुरारका** : विधि मंत्री के इस आचरण की इस बहस के कारण, मेरा प्रश्न तो रह ही गया है ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : क्या प्रश्न मेरे बारे में था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : हुआ यह था कि मेरे पास ग़लत काग़ज़ आ गये थे और सभा कहीं मेरे विषय के सम्बन्ध में चर्चा शुरू न कर दे, इसलिये मैं उस से सम्बन्धित काग़ज़ लेने गया था। सामान्यतया, मैं सभा के नियमों का पूरो निष्ठा से पालन करता रहता हूं, जैसाकि आप ने स्वयं कहा है। आशा है आप स्वयं इस से सहमत होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब भी ऐसी शीघ्रता का कोई काम आ पड़े, तो माननीय सदस्यों को झुक कर निकलना चाहिये, सीधे खड़े रह कर नहीं।

†**श्री रघुरमैया** : माननीय सदस्य का प्रश्न था कि विभिन्न विशेष प्रकार के इस्पातों का निर्माण कब से शुरू हुआ था। अभी मेरे पास उस की सूचना नहीं है, क्योंकि हम कई क़िस्म के इस्पातों का निर्माण कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पूछें, तो मैं उत्तर दे सकूंगा। प्रति टन इस्पात के मूल्य के बारे में भी यही सही है, क्योंकि उस की कई किस्में तैयार हो रही हैं। यदि कोई स्पष्ट प्रश्न किसी किस्म के बारे में पूछा जाये, तो मैं उस का उत्तर देने की चेष्टा करूंगा।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में पीलिया और टायफायड

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या २. श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक माह से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के निवासियों के बीच पीलिया, टायफायड और पेचिश व्यापक रूप से फैली हुई है और लगभग २०० विद्यार्थियों को डाक्टरी सलाह के अनुसार संस्थान छोड़ कर चला जाना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो वहां की वर्तमान स्थिति क्या है,

(ग) क्या यह महामारियां पीने के पानी के दूषित होने के कारण पैदा हो गयी हैं ?

(घ) भविष्य में इन बीमारियों की रोक थाम के लिये क्या कार्यवाहियां की गयी हैं या की जा रही हैं; और

(ङ) क्या संस्थान के अधिकारी संस्थान को एक माह के लिये बन्द करने का विचार कर रहे हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) से (ग). खड़गपुर संस्थान के अहाते के भीतर रहने वाली ८००० की जनसंख्या में से विद्यार्थियों तथा संस्थान के कर्मचारियों के बीच १६ को पीलिया तथा ९ को टायफायड हुआ। संस्थान के कर्मचारियों के कुछ छोटे बालकों को भी टायफायड हुआ है। ये मामले कदाचित पानी के दूषित होने के फलस्वरूप हुए। तथापि अब स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण किया जा चुका है और चिन्ता का कोई कारण नहीं है। कुछ विद्यार्थी डाक्टरों की सलाह से संस्थान को छोड़ कर चले गये हैं तथा कुछ अपनी इच्छा से गये हैं।

(घ) स्कूल आफ ट्रोपिकल मैडीसिन कलकत्ता के निदेशक, महामारी विशेषज्ञ तथा अन्य विशेषज्ञ कलकत्ता से मौके पर जांच करने के लिए पहुंच गये हैं। उनकी सलाह के अनुसार सभी लोगों को केवल उन लोगों को छोड़ कर जो वास्तव में बीमार हैं टायफायड निरोधक टीके लगा दिये

---

†मूल अंग्रेजी में

गये हैं। संस्थान को गामा ग्लोब्यूलिन कलकत्ता में नहीं मिल सकी थी इसलिये दिल्ली से विमान द्वारा पहुंचाई गई। संस्थान के स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है तथा जल संभरण में सुधार तथा वृद्धि करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ङ) जी नहीं। स्कूल ग्राफ ट्रापिकल मैडिसन कलकत्ता के निदेशक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संस्थान को बन्द करने का कोई कारण नहीं है।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** क्या कसाई नदी से पीने के जल के संभरण की योजना जो बहुत दिन पहले से आरम्भ की गयी थी, पूजा की छुट्टियों में भी क्रियान्वित नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को इस महामारी से ग्रस्त होना पड़ा।

†**श्री हुमायून कबिर :** यह सही है कि कुछ विलम्ब हुआ है। यह इस कारण हुआ कि कुछ विशेष प्रकार के नल और जोड़ उपलब्ध नहीं हो सके। अब इनकी व्यवस्था की जा चुकी है और हम आशा करते हैं कि वे अगले शिक्षा वर्ष तक तैयार हो जायेंगे।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** क्या यह सच है कि अस्पताल में केवल दो डाक्टर हैं न वहां कोई नर्स है और न ही कोई सेवक ?

†**श्री हुमायून कबिर :** वहां कर्मचारी हैं। इस समय वहां निम्नलिखित अतिरिक्त व्यक्ति भेजे गये हैं---मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मिदनापुर और उसके अधिकारी, दो चल चिकित्सक एकक, पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थान के लिये एक अन्य डाक्टर भी भेजा है। छह प्रशिक्षित नर्सें वहां किसी भी समय भेजी जा सकती हैं। स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण किया जा चुका है। हमें दुःख है कि इस प्रकार की घटनायें हुई। १७ फरवरी तक हमें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी। पहला मामला छह फरवरी को हुआ था। वहां के निदेशक जो कि भारत के योग्यतम शिक्षा-विदों में से हैं स्वयं मौके पर मौजूद थे और वे इस सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या जल संभरण का प्रभार केन्द्रीय सरकार के ऊपर था, और क्योंकि पीलिया पानी के दूषित होने से पैदा होता है, क्या सरकार को इसका सही कारण मालूम हुआ क्या जल संभरण की कमी इस महामारी के लिये जिम्मेदार नहीं है ?

†**श्री हुमायून कबिर :** स्कूल आफ ट्रापिकल मैडिसन के निदेशक के प्रारम्भिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि जल का दूषित होना भी इसका एक कारण है। तत्पश्चात अग्रेतर परीक्षाओं से पता चला कि जल तत्वीय रूप से दूषित नहीं हुआ है। कोई अस्थायी बात हो गयी थी। प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ है कि पीलिया वहां बाहर से पहुंचा है। कुछ भी हो हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि जल संभरण में वृद्धि हो इस कार्य के लिये एक अतिरिक्त नलकूप मंजूर किया गया है। जैसे ही ये नये जोड़ तथा नल वहां पहुंच जायेंगे वहां के जल संभरण में सुधार हो जायेगा।

†**श्रीमती रेणुका राय :** क्या यह सही है कि संस्थान के निदेशक ने कुछ समय पहले ही सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि वहां का जल संभरण असन्तोषजनक है तथा इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये।

†**श्री हुमायून कबिर :** माननीय सदस्य केवल मेरी बातों को दुहरा रहे हैं। यह एक स्वायत्त-शासी संस्थान् है और हम इस संस्थान् के प्रशासक निकाय को सीधे उपदान मंजूर करते हैं। उन्हें इस परियोजना पर अग्रेतर कार्य करने का पूरा अधिकार है इस सम्बन्ध में रुपया ४ या ५ वर्ष पहले ही मंजूर कर लिया गया था।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री कासलीवाल : यह ज्ञात होने पर कि पीने का पानी दूषित हो गया है सरकार ने कब कार्यवाही की ?

†श्री हुमायून कबिर : यह बात १७ या १८ फरवरी को ज्ञात हो गयी थी। १७ से २२ फरवरी के बीच जब कि ट्राफिकल मैडिसन के निदेशक वहां मौजूद थे वहां एक मामला हुआ था। निस्संदेह ६ फरवरी को भी एक मामला हुआ था। तथापि उससे यह प्रकट नहीं होता कि वहां कोई महामारी होगी। यह बीमारी बाहर से संक्रमण हुई है। तथापि इस सम्बन्ध में पूरी कार्यवाही की जा रही है कि यह बीमारी पुनः न फैलने पावे।

†डा० रामसुभग सिंह : क्या यह सच है कि बनर्जी नाम का एक विद्यार्थी इस बीमारी से मर गया, उसे अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†श्री हुमायून कबिर : बनर्जी नामक एक विद्यार्थी की दुखद घटना हुई थी। तथापि वह पीलिया या टायफायड का मामला नहीं था। वह १६ जनवरी, १६६१ को तेज नेफ्राइटिस से मरा था। उसके पिता ने कुछ आरोप लगाये। माननीय सदस्य ने यह खुला पत्र, जो कि उस विद्यार्थी के पिता ने भेजा था, मेरे पास भेजा है। मैंने इस सम्बन्ध में जांच की। निदेशक का यह कहना है कि उसके पिता ने जो विवरण दिया है वह भावावेश में आकर लिखा गया है और वह न्यायोचित नहीं है।

†श्री त्यागी : क्या उसे अस्पताल में दाखिल किया गया ?

†डा० राम० दुभग सिंह : क्या उस विद्यार्थी या उसके पिता ने अस्पताल में दाखिल होने को अनुमति मांगी थी ? यदि हां तो उसे दाखिल क्यों नहीं किया गया ? यदि उसे दाखिल किया गया तो उसकी उचित चिकित्सा क्यों नहीं की गई ? उसे मरने क्यों दिया गया ?

†श्री हुमायून कबिर : उसे क्यों मरने दिया गया इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। जैसे ही माननीय सदस्य ने मेरे पास यह मामला भेजा था मैंने इस सम्बन्ध में निदेशक से विस्तृत व्योरा मांगा था। इसका सम्बन्ध रेलवे अस्पताल खड़गपुर से है न कि संस्थान के अस्पताल से। रेलवे अस्पताल से संस्थान केवल अनुरोध कर सकता है। जैसे ही मुझे इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त होगा मैं माननीय सदस्य को स्थिति से अवगत करूंगा। तथापि यह मामला इस विशेष घटना से सम्बन्धित नहीं है।

†डा० रामसुभग सिंह : वह विद्यार्थी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का विद्यार्थी था। क्योंकि वह संस्थान के अस्पताल में भर्ती नहीं हो सका अतः उसे किसी दूसरे अस्पताल में जाना पड़ा। इसी दौरान शायद वह मर गया।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन मांगा है।

†श्री रघुनाथ सिंह : यह विद्यार्थी अस्पताल के बरामदे में मरा। उसकी अस्पताल में चिकित्सा भी नहीं की गयी।

†अध्यक्ष महोदय : क्या रेलवे अस्पताल में मरा ?

†श्री रघुनाथ सिंह : भले ही किसी अस्पताल में मरा हो। मनुष्य अन्ततः मनुष्य है वह तो विद्यार्थी था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं किसी बात का औचित्य सिद्ध नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि उनके सूचना के अनुसार उनकी मृत्यु रेलवे अस्पताल में हुई या संस्थान् के अस्पताल में ?

†**श्री त्यागी :** समाचारपत्रों में इस प्रकार का सम्वाद था कि वह संस्थान् के अस्पताल में गम्भीर रूप से बीमार पड़ा हुआ था। डाक्टर ने उससे कहीं दूसरे अस्पताल में जाने को कहा क्योंकि वह उसका इलाज नहीं कर सका था। डाक्टर ने उसके माता पिताओं से कहा कि वे उसे जिस अस्पताल में चाहें ले जा सकते हैं। उसने बहुत विनती की तथापि उसे अस्पताल में भरती नहीं किया गया।

†**श्री हुमायून कबिर :** यह सही है कि वह एक विद्यार्थी था। यह भी सही है कि वह बहुत सख्त बीमार था। तथा खड़गपुर के अस्पताल में तीव्र नेफ्राइटिस के उपचार को उचित सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं। अतः विद्यार्थी को रेलवे अस्पताल में जाने की सलाह दी गयी। वहां जो कुछ हुआ उसके सम्बन्ध में मैंने प्रतिवेदन मांगा है।

†**डा० रामसुभग सिंह :** इस मामले की आगे जांच की जानी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री जानकारी प्राप्त होने पर सभा को सही स्थिति से अवगत करेंगे। यदि कोई अग्रेतर कार्यवाही आवश्यक होगी तो वह उसे भी करेंगे।

†**डा० सुशीला नायर :** मैं इस प्रश्न के दूसरे पहलू के बारे में प्रश्न करना चाहती हूं। क्या यह सही नहीं है कि उचित जल संभरण करने में इस कारण विलम्ब हुआ कि संभरण प्रणाली के लिये उचित नल उपलब्ध नहीं हो सके। यह बात केवल इसी सम्बन्ध में सच नहीं है अपितु अन्य कई स्थानों के बारे में भी सच है। सरकार पानी के नलों के उचित संभरण के लिये क्या व्यवस्था कर रही है जिससे कि अन्य स्थानों में इस प्रकार की महामारियां न होने पावें।

†**श्री हुमायून कबिर :** मैं पहिले ही कह चुका हूं कि हम इन नलों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहेहैं, तथापि मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं कि खड़गपुर में महामारी हुई थी।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्या के प्रश्न का उत्तर नलों के प्रभारी मंत्री देंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत में चिकनाई वाले तेलों के संयंत्र की स्थापना

†*४७३ { **श्री उस्मान अली खां :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनवाक कम्पनी ने भारत में एक चिकनाई वाले तेलों के संयंत्र की स्थापना की एक योजना सरकार को पेश की है ;

(ख) संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी हां।

(ख) एच० वी० आई० आटोमेटिव आयल और मध्यवर्ती तेल औद्योगिक का उत्पादन प्रति वर्ष १००,००० टन।

(ग) अभी नहीं, श्रीमान्।

रूरकेला में पाइपों का उत्पादन

†*४८४. { **श्री मुरारका**:
श्री राजेश्वर पटेल:
श्री आचार: }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रूरकेला पाइपलाइन संयंत्र में पाइपों के उत्पादन की वर्तमान गति क्या है; और

(ख) बढ़े हुए उत्पादन से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) दिसम्बर, १९६० और जनवरी, १९६१ में पाइपलाइन संयंत्र ने ३५० टन पाइप का प्रति माह उत्पादन किया।

(ख) १९६१ के दौरान पाइप लाइन संयंत्र को बर्मा आइल कम्पनी (पाइप लाइन) को २७००० टन पाइप संभरण करने का आर्डर मिला है। केवल इस आर्डर से तीन करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

पुलिस कर्मचारियों के मकान

†*४८५. **श्रीमती इलापालचौधरी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के इंस्पैक्टर जनरल आफ पुलिस ने हाल में यह आदेश जारी किया है कि कांस्टेबिल की श्रेणी से लेकर सब-इंस्पैक्टर तक की श्रेणी के जो पुलिस कर्मचारी पिछले पांच वर्षों से सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं उन को वे क्वार्टर खाली करने होंगे;

(ख) यदि हां, तो इस आदेश से कितने पुलिस कर्मचारी प्रभावित होंगे;

(ग) ऐसा आदेश जारी करने के क्या कारण हैं; और

(घ) जिन लोगों को अपने वर्तमान क्वार्टर खाली करने होंगे उन को दूसरे मकान देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ग). पुलिस कर्मचारियों के लिये स्थानाभाव को ध्यान में रख कर दिल्ली के पुलिस महानिरीक्षक ने नवम्बर १९६० में यह आदेश जारी किया कि सिपाहियों से उप निरीक्षक तक के पद के सारे कर्मचारी, जो कि पांच वर्ष से अधिक समय से ऐसे स्थानों में रह रहे हैं, वे १ मई, १९६१ तक मकान खाली कर देवें। जिस से कि वह स्थान प्रतीक्षा सूची के अन्य उम्मीदवारों को दिया जा सके। यह आदेश आवंटन प्रक्रिया का वैज्ञानिकन करने के लिये जारी किया गया है, जिस से कि उन पदों के अधीन आने वाले सभी पुलिस अधिकारियों का सरकारी आवासों के उपयोग करने का बराबर अवसर मिले।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ३०६ ।

(ग) जो अधिकारी पुलिस के महानिदेशक के अनुसार अपना आवास खाली करेंगे उन्हें निःशुल्क आवास के बदले में मकान किराया भत्ता दिया जायेगा ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर

†*४८६. **श्री त्यागी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री खुशवक्त राय :
श्री कुन्हन :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री अरविन्द घोषाल

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उन आठ प्रोफैसरों को फिर से नौकरी में ले लिया गया है जिन की बर्खास्तगी उच्चतम न्यायालय द्वारा गैर-कानूनी करार दी गई थी; और

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें अपने विभागों के प्रधान (डीन) के रूप में काम करने से अभी भी वंचित रखा गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) आठ में से चार प्राध्यापकों को जिन के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया था, उन्हें पुनः नौकरी पर वापस ले लिया है । अवशेष चार अध्यापक वे हैं जो इस के पूर्व ही बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कार्यपालिका परिषद् के कारण बतौर नोटिस के विरुद्ध इलाहबाद के उच्च न्यायालय में लेख याचिका प्रस्तुत कर चुके हैं । कार्यपालिका परिषद् ने उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार यह निश्चय किया था कि विश्वविद्यालय की सविधि ३० के अधीन उन के विरुद्ध जांच की जाय । कार्यपालिका परिषद् ने उन चार अध्यापकों को जांच समाप्त होने तथा निर्णय हो जाने तक किसी भी हैसियत में काम करने से मना कर दिया है ।

(ख) जहां तक नौकरी में पुनः रखे गये प्राध्यापकों का सम्बन्ध है यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

विश्वविद्यालयों में गांधी भवन

*४८७. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष ने गांधीवाद के प्रचार के निमित्त प्रत्येक विश्वविद्यालय में गांधी-भवन के निर्माण में सहयोग की प्रार्थना की है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की ओर से इस के लिये स्वीकृति दे दी गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस संबंध में प्रार्थना की गई थी और उस ने कुछ मामलों में अनुदान दिये हैं ।

कोयला धोने के कारखाने

†*४८८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला धोने के वर्तमान कारखानों और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में खोले जाने वाले कारखानों से प्राप्त होने वाले कच्चे और दरमियाने कोयले के उपयोग की विस्तृत जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस की उपपत्तियां क्या हैं ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) सरकार समिति के अंतिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है ।

रडार उपकरण

†*४८९. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्टर के गोलों और बमों का पता लगाने के लिये रडार उपकरण का उत्पादन करने के कोई प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि रायल रडार संस्थापन ने उड़ान के समय मार्टर के गोलों और बमों का पता लगाने के लिये एक विशेष रडार उपकरण तैयार किया है; और

(ग) क्या भारत सरकार ऐसे रडारों का अध्ययन के लिये आयात करने का विचार कर रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). जानकारी देना लोक हित में नहीं है ।

वाराणसी, अयोध्या और मथुरा में मस्जिदें

†*४९०. **पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश :**
श्री बि० चं० सेठ :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी की आलमगीर मस्जिद, जो विश्वनाथ मंदिर को गिरा कर बनाई गई थी, अयोध्या की बाबरी मस्जिद, जो राम जन्म भूमि मंदिर के गिराये जाने के बाद बनाई गई थी, और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को गिरा कर बनाई गई मस्जिद संरक्षित स्मारक हैं ;

(ख) क्या सरकार इन गिराये हुए मंदिरों को गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तरह उन का मूल रूप देने के लिये कोई कदम उठा रही है;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इन मस्जिदों में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति अभी भी प्राप्त है; और

(घ) क्या हिन्दुओं को इन गिराये हुए मंदिरों के स्थानों पर पूजा करने की अनुमति है?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उप मंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) वाराणसी की आलमगीर मस्जिद और अयोध्या की बाबरी मस्जिद संरक्षित इमारत नहीं हैं। मथुरा की मस्जिद सरक्षित है।

(ख) जी नहीं।

(ग) मथुरा की मस्जिद का धार्मिक कार्यों के लिये उपयोग किया जाता है।

(घ) हिन्दू टीले के उस भाग में पूजा करते हैं जिसे कि कृष्ण जन्म स्थान कहा जाता है।

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के उपकुलपति

*४९१. **श्री वाजपेयी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के निर्वाचन की प्रणाली को समाप्त करने का निश्चय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्र सरकार से विचार विनिमय किया गया है; और

(ग) क्या समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति के तरीके में एकरूपता लाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारत सरकार ने १९५४ में ही सब राज्य सरकारों को लिखा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में उपकुलपति की नियुक्ति का जो तरीका प्रचलित है वह निर्वाचन या नामांकन की बहुत सी खामियों से मुक्त है और राज्य सरकारों को चाहिये कि वे राज्य विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति के लिये भी यही तरीका अपना लें। अब यह राज्य सरकारों पर निर्भर है कि हर मामले में परिस्थितियों को देखते हुए जहां तक वे उचित समझें इस सुझाव पर अमल करें।

कोयले का संभरण

†*४९२. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या इस्पात, खान और इंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नागपुर नगर के कोयला उपभोक्ताओं को साफ्ट और हार्ड कोक के सम्भरण में गम्भीर कमी के कारण होने वाली कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया गया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भविष्य में कोयले का सम्भरण बढ़ाने और उसे नियमित रखने के लिये किस प्रकार के कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया जा रहा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह)** : (क) सरकार को ज्ञात है कि सोफ्ट कोक और हार्ड कोक का पूरा कोटा, महाराष्ट्र राज्य, जिसमें नागपुर भी शामिल है नहीं भेजा गया है । अतः उपभोक्ताओं को कुछ कठिनाई हुई होगी ।

(ख) (१) यह व्यवस्था की जा रही है कि सोफ्ट कोक को ब्लाक रैकों में महाराष्ट्र के कुछ विशेष केन्द्रों में भेजा जाय जहां से राज्य अधिकारियों द्वारा सरलता से सम्भरण किया जा सके ।

(२) नियमित रूप से हार्ड कोक उपोत्पाद का सम्भरण करने के लिये पृथक् व्यवस्था की जा रही है; और

(३) नागपुर के स्थानीय अधिकारियों को यह सलाह दी गई है कि वे भिलाई इस्पात संयंत्र के नट कोक का इस्तैमाल करें क्योंकि बंगाल बिहार से रेलों द्वारा यातायात आसानी से हो सकेगा । यह कोक घरों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों दोनों ही जगह काम में लाया जा सकता है ।

हिमाचल प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†*४९३. **श्री ज० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार हिमाचल प्रदेश की चीनी और पांगी क्षेत्रों का भूतत्वीय सर्वेक्षण कराने का विचार कर रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदारस्वर्ण सिंह)** : वर्ष १९६०–६१ में भारत के भूतत्वीय विभाग द्वारा चीनी और पांगी से सलग्न क्षेत्रों का विधिवत् मान चित्रांकन और खनिज सर्वेक्षण हो चुका है । यह जांच तीसरी पचवर्षीय योजना की अवधि में भी जारी रहेगी ।

सरगवाला (अहमदाबाद) में खुदाइयां

†*४९४. **श्री कालिका सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में सरगवाला में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक क्या खोजें हुई हैं ;

(ग) क्या लोथल के टीले से कोई महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं; और

(ङ) अभी तक किए गए अध्ययन से कौन से ऐतिहासिक अथवा प्रागैतिहासिक काल, लोगों और संस्कृति का पता चला है ?

†**वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक कार्य उपमत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ङ) विस्तृत जानकारी वर्ष १९५४–५५ से १९५९–६० के बीच प्रकाशित भारतीय पुरातत्व एक पुनरीक्षण में प्रकाशित की गयी है, इसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी संगठनों का अखिल भारतीय संघ

†*४९५. { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी भाषा के प्रचार के लिए सरकार द्वारा विभिन्न एच्छिक हिन्दी संगठनों का एक अखिल भारतीय संघ स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). सरकार स्वयं ऐसे फैडरेशन की स्थापना नहीं करना चाहती है। स्वेच्छा संस्थायें इस प्रकार का फैडरेशन बना सकती हैं। तथापि कई स्वेच्छा संस्थाओं ने ऐसे संगठन की आवश्यकता अनुभव की है। सरकार इस प्रकार के कार्य को सहायता देना चाहती है अतः यह प्रश्न विस्तृत जांच के लिये हिन्दी शिक्षा समिति को भेजा गया है।

कोयले का संभरण

*४९६. { **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उचित किस्म के लिये कोयले की कमी के कारण भारतीय उद्योगों के विकास में रुकावट आ रही है ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आरम्भ होने वाले बड़े बड़े उद्योगों के मार्ग में कोई बाधा न आये इसके लिए पर्याप्त कोयले के सम्भरण के लिये शासन कौन से कदम उठा रहा है; और

(ग) कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने क्या-क्या योजनायें बनायी हैं और उनकी पूर्ति के लिये किन-किन देशों से सहयोग लेने का विचार है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) यह सच है कि परिवहन सुविधाओं की प्राप्ति की अपेक्षा कोयले की मांग अधिक होने के कारण कोयले की कमियों को कई स्थानों पर महसूस किया गया है। जुलाई १९६१ के बाद इस स्थिति में बहुत काफी सुधार होने की आशा है। इसी बीच में कोयले के प्रेषण के लिए अधिक वैगनों के भेजने के लिए हर प्रकार के यत्न किये जायेंगे। परिवहन के अन्य साधनों का अधिक उपयोग करने का अनुसन्धान किया जायेगा।

(ख) तथा (ग). सभा पटल पर एक विवरण रख दिया है।

(ख) तृतीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्र, जिसमें बड़े उद्योग शामिल हैं, की भावी मांगों को ध्यान में रखते हुए समधिक उत्पादन के लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। सिंगरैनी खदानों को शामिल करते हुए सरकारी क्षेत्र में २० मिलियन टन और व्यक्तिगत क्षेत्र में १६ मिलियन टन से लेकर १७ मिलियन टन के उत्पादन करने को कहा जायगा; इस प्रकार दोनों क्षेत्रों में द्वितीय योजना के लक्ष्य से लगभग ३७ मिलियन टन अधिक का उत्पादन होगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक योजना बनाने का काम और अन्य प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है और यह कार्य यथासम्भव शक्ति से अनुसरण किया जा रहा है। बढ़ती हुई मांगों के अनुसार रेलवे की परिवहन योजना का समायोजन किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने अपने द्वारा उत्पादित किये जाने वाले कोयले के समधिक १७ मिलियन टन का क्षेत्रों के अनुसार अस्थायी कार्यक्रम नियत किया है। वर्तमान खानों से उत्पादन को बढ़ाने के अतिरिक्त, कथारा, रामगढ़, पश्चिमी बोकारो, झरिया और दूसरे क्षेत्रों में नई खानों के विकास की योजनाएं चालू हैं। गहन व्यधन, जिनको शुरू किया गया है, के परिणामों को जानने के बाद खानों की वास्तविक स्थिति मालूम होगी।

विवृत खनन (ओपन कास्ट माइनिंग) भूमिगत खनन, और केन्द्रीय वर्कशापों के निर्माण तथा देखभाल और धावन-शालाओं (वाशरी) के कई कठिन विषयों के बारे में विदेशीय सहायता मांगी जा रही है। इस विषय में जिन देशों से सहायता मांगी गई है, वे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, इंगलिस्तान, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और पोलैण्ड। पहले चार देशों में से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन पर विचार की अवस्था विभिन्न है। झरिया क्षेत्र में कोक कोयला के गहरे कूपक खनन (डीप शैफ्ट माइनिंग) का अन्वेषण करने के लिये पोलैण्ड से आया हुआ एक तकनीकी दल आजकल देश में है। इन देशों में से हर एक देश से प्राप्त होने वाली सहायता के क्षेत्र और तरीकों पर अन्तिम निर्णय करने में कुछ समय लगेगा।

जनगणना

†*४६७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों के उद्भव सम्बन्धी कुछ प्रश्न, जो बच्चों की वास्तविक मातृ भाषा का निर्णय करने में सहायक होते हैं और जो १९५१ की जनगणना की प्रश्नावलि में सम्मिलित किये गये थे १९६१ की जनगणना की प्रश्नावलि में सम्मिलित नहीं किये गए हैं; और

(ख) क्या प्रगणकों को आंकड़े एकत्रित करते समय सही तथ्यों का पता लगाने के लिये कोई विशेष हिदायतें जारी की गयी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १९५१ की जनगणना के अवसर पर राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गयी थी कि वे प्रश्नावली में कोई भी प्रश्न शामिल कर सकते हैं। आसाम सरकार ने स्थानीय व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक प्रश्न शामिल किया था। इस प्रश्न से लोगों की मातृभाषा की जानकारी में कोई सहायता नहीं मिली। यह निश्चय किया गया कि १९६१ की जनगणना में राज्य सरकारें कोई प्रश्न शामिल न करें।

(ख) प्रगणकों को जनगणना के सम्बन्ध में गहन प्रशिक्षण दिया गया है। उनसे कहा गया है कि वे नागरिकों द्वारा दिये गये उत्तरों को ही लिखें। तथापि जहां प्रगणक यह सन्देह करता है कि उसे जानबूझ कर गलत जानकारी दी जा रही है, तो भी प्रगणक केवल दिये हुए उत्तर ही लिखेगा तथापि नागरिक को जनगणना अधिनियम के अधीन दण्ड दिया जा सकता है।

कलकत्ता स्थित कोयला नियंत्रक का कार्यालय

†*४९८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष पुनर्गठन एकक की सिफारिशों के परिणामस्वरूप कलकत्ता के कोयला नियन्त्रक के कार्यालय के १०० से अधिक कर्मचारी फालतू हो गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो सही संख्या क्या है; और

(ग) क्या कोयला नियन्त्रक के कार्यालय के बढ़ते हुए महत्व और अधिक उत्पादन के कारण बढ़े हुए कार्य की दृष्टि से उनके मामलों का पुर्नविलोकन किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख), जी हां। अधिकारी पदालियों में से ४ और अन्य कर्मचारियों में से १४१ कर्मचारी फालतू घोषित कर दिये गये हैं।

(ग) जी नहीं। इस मामले पर यथा समय जब कोयला नियन्त्रक के मुख्य कार्यालय में काम की वृद्धि के सम्बन्ध में इस आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे तभी विचार किया जा सकता है। इस बीच फालतू कर्मचारियों को कोयला नियन्त्रक संगठन के सामान्य रिक्त स्थानों में खपाया जायेगा। उन्हें कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों में खपाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

शुद्ध मापक उपकरणों के मिस्त्रियों और प्रविधिज्ञों की संस्था

†*४६६. { **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री बहादुर सिंह :
श्री नेकराम नेगी
श्री दामानी : }

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री ७ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुद्ध मापक उपकरणों के मिस्त्रियों और प्रविधिज्ञों के लिये प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने के लिये "स्विस शिल्पिक सहायता निधि" (स्विस फाउण्डेशन फार टैक्नीकल एसीस्टेंटस) और भारत सरकार के बीच करार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हो गया है; और

(ख) इस मामले में और क्या प्रगति हुई है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं।

(ख) समझौते का मसविदा स्विस फाउण्डेशन को भेजा जा चुका है। इस समझौते पर अन्तिम रूप से निश्चय करने के लिये स्विटजरलैण्ड से एक दल मार्च महीने के आरम्भ में दिल्ली आने वाला है।

जापानी मिशन

†*५००. { **श्री अरविंद घोषाल :**
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान से एक आर्थिक सहयोग मिशन हाल में आर्थिक समस्याओं और प्रविधिक सहयोग व्यवस्था की चर्चा करने के लिये भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो किन मामलों पर चर्चा की गयी थी; और

(ग) भारत की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में उनके विचार क्या हैं ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : इस प्रश्न का उत्तर वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री किसी बाद की तारीख को देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में स्कूल अध्यापकों की हड़ताल की धमकी

†*५०१. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रामकृष्ण गुप्त }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के स्कूल अध्यापक संघ ने एक नोटिस इस आशय का भेजा है कि यदि उस की मांगें स्वीकार नहीं की जायेंगी तो अध्यापक हड़ताल कर देंगे ;

(ख) यदि हां, तो वे मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). दिल्ली स्कूल अध्यापक संघ ने १२ फरवरी १९६१ को उन की सामान्य सभा द्वारा एक विशेष बैठक में पारित संकल्प की प्रतिलिपि भेजी है, जिस में कहा गया है कि दिल्ली के अध्यापक उन को जून १९५८ में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति के लिये, जिन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, किसी प्रकार की प्रभावशाली कार्यवाही—जिस में सामान्य हड़ताल और भूख हड़ताल भी शामिल है, करेंगे ।

(ग) संघ ने भारत सरकार द्वारा जून १९५८ में स्वीकृत मांगों को पूरा न करने का जो आरोप लगाया है यह गलत है । सरकार द्वारा जो मांगें अंशतः या पूर्ण स्वीकृत की गयी थीं, उन्हें क्रियान्वित कर दिया गया है । कुछ मांगों के संबंध में सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि यदि विशेष मामलों पर ध्यान दिलाया जायेगा तो उन में से प्रत्येक पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा । संघ ने जिस जिस मामले पर ध्यान दिलाया उन की जांच की गयी और यह ज्ञात हुआ कि वे अध्यापक दिल्ली म्युनिसिपल निगम के अध्यापक हैं । उन के मामले निगम के समक्ष जांच तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये रखे गये । संघ को यह शिकायत है कि इन में से कुछ व्यक्तिगत मामलों के बारे में, जिन पर अभी तक निगम ने कोई फैसला नहीं किया है, विलम्ब हुआ है । निगम से कहा गया है कि वे इन मामलों का जल्दी निपटारा करें, तथा उन्हों ने ऐसा करने का वचन भी दे दिया है । तथापि इस मामले पर पुनः ध्यान दिलाया जा रहा है ।

मद्य निषेध

†*५०२. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्य निषेध के सम्बन्ध में लोक-सभा के १९५६ के संकल्प को स्वीकार एवं क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम[1] बनाया गया था और इस मामले में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) १९४७ और १९६० में राज्यों को शराब पर उत्पादन शुल्क से कुल कितनी आय हुई थी ; और

(घ) मद्य निषेध लागू करने से देश की विदेशी मुद्रा की स्थिति तथा सामान्य अर्थ व्यवस्था पर क्या असर पड़ने का अनुमान है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). मद्य निषेध का एक ऐसा कार्यक्रम बनाया गया था जिस के कई दौर थे और साफ साफ सिफारिशों को दूसरी पंचवर्षीय योजना के उनतीसवें अध्याय में शामिल किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य-सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) इस से व्यापक प्रश्न उठाया गया जिस का समाधान प्रश्न के उत्तर की सीमाओं में रह कर नहीं किया जा सकता ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण

†*५०३. **श्री उस्मान अली खाँ :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रामी रेड्डी
श्री आचार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान मद्रास के बार एसोसिएशन द्वारा पारित इस संकल्प की ओर दिलाया गया है जिस में राष्ट्रीय एकता के हित में भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का परस्पर स्थानान्तरण करने का सुझाव दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय का सर्किट सत्र दक्षिण भारत में करने के सुझाव की ओर भी दिलाया गया है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्थापनाओं पर विचार किया है, और इन के बारे में क्या निश्चय किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). सरकार ने केवल मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा पारित संकल्प की सूचनायें अखबारों में ही देखी हैं और इस सम्बन्ध में उन्हें कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली ।

बाल पुस्तक न्यास

†*५०४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बालपुस्तक न्यास द्वारा मुद्रणालय की स्थापना करने के बारे में क्या प्रगति की गयी है ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

[1]**Phased Programme.**

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : बाल पुस्तक न्यास के कार्यालय के भवन की योजना को दिल्ली नगर निगम स्वीकार कर चुका है। बाल पुस्तक न्यास भवन निर्माण शुरू कराने के लिए कदम उठा रहा है।

लड़कियों की शिक्षा

†*५०५. **श्री कोडियान** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में लड़कियों के लिये माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) स्त्री शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति और स्त्री शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने, तीसरी योजना के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के विस्तार के एक खास कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है। इस कार्यक्रम में ये योजनाएं शामिल होंगी :—

(१) लड़कियों के लिए होस्टल, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए।

(२) ग्रामीण क्षेत्रों में निश्शुल्क शिक्षा और शहरों में एक खास आमदनी वाले वर्ग की लड़कियों के लिये आधे शुल्क की रियायत देना।

(३) सह-शिक्षा वाली संस्थाओं में स्वच्छता आदि की विशेष सुविधायें।

(४) जहां होस्टल सुविधाएं न हों वहां पर मुफ्त या राजसहायता प्राप्त परिवहन की सुविधा।

(५) जरूरतमंद और योग्य लड़कियों को छात्रवृत्तियां, वृत्तियां और पुरस्कार आदि।

राज्य सरकारें/संघीय क्षेत्र, इन में से एक या अधिक योजनाओं को, जो स्थानीय दृष्टि से उपयुक्त हों, चुन सकते हैं। (इन के अलावा दूसरी योजनाओं को भी चुना जा सकता है)

(ख) इस उद्देश्य के लिये राज्यीय क्षेत्र में रकम की व्यवस्था की जाती है। राज्य सरकारों ने अपनी योजनाओं में जो व्यवस्थायें की हैं उन की जानकारी अभी प्राप्त होनी है।

व्यय कर देने वालों के लिये रियायत

†*५०६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने निश्चय किया है कि व्यय कर अधिनियम की धारा ६(२) के अन्तर्गत व्यय कर देने वालों को ग्राह्य कुल वैकल्पिक भत्ते के बारे में कुछ रियायत दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या ; और

(ग) इन रियायतों की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (१) जो करदाता, धारा (१) के खंड (ख) से (ज) तक की रियायतों उदाहरणार्थ ३०,००० रुपये के बुनियादी एलाउंस, माता पिता के खर्च, ब्याह शादी आदि के खर्च, विधि संबंधी, चिकित्सा और शिक्षा संबंधी खर्चों की अपेक्षा १९५९-६० और १९६०-६१ के लिये व्यय कर अधिनियम की धारा ६(२) के अन्तर्गत रियायत चाहते हैं, उन्हें, ३१ मार्च, १९६१ तक वैसी अनुमति मिलेगी। वैसे धारा ६(२) के अनुसार ऐसी रियायत १९५८-५९ की विवरणिका भरने से पहले ही ली जा सकती थी।

(२) इस धारा के अधीन वैकल्पिक रियायत, व्यय कर अधिनियम के प्रथम वर्ष से पूर्व के तीन वर्षों के औसत व्यय पर आधारित होगी। साधारणत: ऐसी गणना उस हिसाब से की जायेगी जैसेकि १९५८ में कानूनी स्थिति थी। औसत व्यय की गणना के लिये १९५९-६० के वर्ष से अब निम्न मदों का हिसाब भी लगाया जायगा :—

(क) आश्रितों पर व्यय।

(ख) करदाता या उस के आश्रितों के रिहायशी मकानों के रख रखाव का व्यय।

(ग) बुलियन या जवाहरात का व्यय।

(घ) कुटीर उद्योगों की चीजों और कला की चीजों जिन का मूल्य १,००० रुपया या उस से कम हो, का व्यय।

(३) जिन करदाताओं का १९५९-६० तथा १९६०-६१ का कर निर्धारित हो चुका है वे भी इसी आधार पर रियायत ले सकते हैं।

(ग) जिस व्यय पर करारोपण हो सकता है उस की व्याप्ति और उस का आधार १९५९ में अधिक बढ़ा दिया गया है। इन रियायतों द्वारा, एलाउंस सम्बन्धी उपबन्धों को ढीला करना अभिप्रेत है ताकि एलाउंस के निर्धारण के लिये भी औसत व्यय की गणना के लिये वही तरीका अपनाया जाय जो उस व्यय की गणना के लिये अपनाया जाता है जिस पर कर लगता है। ऐसा कर दाता जिस का वैकल्पिक एलाउंस इस आधार पर बढ़ेगा, अब सामूहिक वैकल्पिक एलाउंस लेना पसन्द कर सकता है। इसलिये ३१-३-१९६१ तक ऐसे करदाताओं से विकल्प मांगे गये हैं। यह रियायतें इस कारण दे दी गई हैं ताकि कानून के कठोर निर्वचन से कठिनाइयां पैदा न हों।

स्टाफ कारें

†*५०७. **श्री त्यागी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा सरकारी गाड़ियों के तौर पर इस्तैमाल किये जाने के लिये कितनी स्टाफ कारों का आर्डर दिया गया अथवा आयात किया गया; और

(ख) उन का आयात किन देशों से किया जाता है और इस में कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खान कार्यक्रम

†*५०८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को कोयला खनन कार्य-क्रम के लिये विदेशों से सहायता प्राप्त करने के अपने प्रयासों में सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की परियोजनाओं को तीसरी पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) मंजूरशुदा परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य हाथ में लेने के लिये कौन कौन से देश भारत से बात चीत कर रहे हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (घ). ओपन-कास्ट तथा भू-गत खनन के कुछ कठिन कामों और केन्द्रीय कार्यशालाओं तथा कोयला धोने के कारखानों की स्थापना के बारे में सहायता ली जा रही है। इस संबंध में सहायता लेने के लिये, अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी तथा पौलैंड से कहा गया है। पहले दौर से कुछ प्रस्ताव आये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। इस समय पोलैंड का एक टैक्निकल दल भारत आया हुआ है जो झरिया में कोक कोयला के गहन-शाफ्ट खनन के काम का अनुसंधान कर रहा है। इन की सहायता कैसे उपयुक्त की जाय उस का निर्णय करने में समय लगेगा।

इस के अलावा रूसी ऋण सहायता से, एक ओपन-कास्ट खान, दो भू-गत खानें, कोरबा क्षेत्र में एक कार्यशाला और कठारा तथा करनपुरा में एक एक कोयला धोने के कारखाने की स्थापना की जानी है ।

(ग) निम्न परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की संभावना है :—

(१) कठारा, करनपुरा और जारंगडीह में मोटी और झुकी परतों का भू-गत खनन;

(२) रामगढ़ के निकट कोक-कोयले की ओपन-कास्ट खुदाई;

(३) झरिया में कोक कोयले की गहन-शाफ्ट खुदाई ।

आसाम में जनगणना

†*५०९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम घाटी में बंगला बोलने वाले लोगों के वर्ग को स्थानीय माना जाता है अथवा नहीं, और

(ख) क्या भारत के किसी अन्य राज्य ने इस बात की जांच करने का अनुरोध किया है कि उन राज्यों में स्थानीय लोग कौन से हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) आसाम में १९६१ की जनगणना के लिये ऐसा कोई वर्गीकरण स्वीकार नहीं किया गया ।

(ख) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बेल्जियम के राजदूतावास पर अफ्रीकी छात्रों का प्रदर्शन

†*५१०. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के ६० अफ्रीकी छात्र श्री लुम्मुबा की हत्या के विरोध में १४ फरवरी, १९६१ को जोरबाग, नई दिल्ली में स्थित बेल्जियम के राजदूतावास पर जलूस बना कर गये, उन्होंने इसके दरवाजे तोड़ डाले, उस के अन्दर जबरदस्ती घुस गये और वहां की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई ;

(ख) क्या इस घटना के दौरान कोई व्यक्ति घायल हुआ;

(ग) सम्पत्ति को अनुमानतः कितनी क्षति पहुंची; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ) १४ फरवरी, १९६१ को लगभग १–३० मध्याह्न पश्चात् करीब ४० अफ्रीकी विद्यार्थियों ने, जोरबाग में जा कर बेल्जियम राजदूतावास के सामने प्रदर्शन किया। वे भवन के भीतर जा घुसे और उन्हों ने कुछ शीशे, खिड़कियां और अल्मारियां भी तोड़ीं। अनुमान है कि इस प्रकार उन्हों ने १०० रुपये तक का नुकसान किया। इस में किसी को चोट नहीं आई। पुलिस आने पर वे लोग चले गये। राजदूतावास की सुरक्षा के आवश्यक प्रबन्ध कर दिये गये हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद्

†*५११. { **श्री उस्मान अली खां :**
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान परिषद् की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) शिक्षा मंत्रालय एक प्रस्थापना पर विचार कर रहा है।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और अभी अन्तिम रूप उसे नहीं दिया गया है।

केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†*५१२. **श्री कोडियान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती सम्बन्धी हिदायतों का पालन सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक मंत्रालय में विशेष सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सेवाओं में इन जातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति में कोई सुधार हुआ है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) इन में से कितने सम्पर्क अधिकारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). सम्पर्क अधिकारी अप्रैल, मई, १९५९ में नियुक्त किये गये थे और १ जनवरी, १९५९ के मुकाबले केन्द्रीय सरकार में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है। किन्तु यह कहना कठिन है कि यह वृद्धि किस हद तक सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति के कारण है ?

(ग) इन में दोनों अधिकारी अनुसूचित जातियों के हैं और आदिम जातियों का कोई नहीं है ।

रुपये की क्रय-शक्ति

†*५१३. **श्री कालिका सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि यह मान लिया जाय कि दशमिक सिक्के लागू करने की तिथि को रुपये की क्रय-शक्ति १०० नये पैसे थी, तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा तैयार किये जाने वाले अन्तिम देशनांक के अनुसार रुपये की मौजूदा क्रय-शक्ति कितने नये पैसे कम हो गयी है;

(ख) क्या आर्थिक संकेतों के अनुसार रुपये की स्थिति सुदृढ़ है; और

(ग) रुपये की दृढ़ता में बैंक दर से किस प्रकार सहायता मिल रही है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) मार्च, १९५७ और दिसम्बर, १९६० के बीच थोक मूल्यों के सूचक अंकों में १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उसी अवधि में श्रम वर्ग के जीवन व्यय के सूचक अंकों में १६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अंतः रुपये की क्रय-शक्ति के फेरबदल की इन दोनों के बीच अर्थात् १४-१५ प्रतिशत तक समझा जा सकता है।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) बैंक की दर से ऋण निर्माण के परिमाण के विनियमन और मुद्रा संबंधी स्थायित्व के संधारण में सहायता मिलती है ।

केन्द्रीय सरकार को आसाम के भूतपूर्व इंस्पैक्टर जनरल पुलिस के पत्र

†*५१४. **श्री त्यागी** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री आसर :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में बंगला विरोधी उपद्रव होने से बहुत पहले, आसाम के तकालीन इंस्पैक्टर जनरल पुलिस, श्री एस० एम० दत्त, ने केन्द्रीय गृह-मंत्रालय को राज्य की स्थिति का परिचय देने वाले तीन पत्र लिखे थे; और

(ख) क्या मंत्री महोदय इन पत्रों की प्रतियां पटल पर रखेंगे ?

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) श्री एस० एम० दत्त ने, इंटेलिजेन्स ब्यूरो के निदेशक को जून १९६० में तीन गोपनीय व्यक्तिगत पत्र लिखे ।

(ख) जी, नहीं ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये पश्चिम जर्मनी की सहायता

†*५१५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला के लिये पश्चिमी जर्मनी द्वारा दी गयी सहायता के पर्याप्त अंश के **बच** जाने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम के बच जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इस रकम का उपयोग अन्य सम्बन्धित परियोजनाओं के लिये किये जाने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** (क) से (ग). २६-२-१९५८ के ऋण संबंधी करार में दरज किये गये सौदों से उत्पन्न होने वाले दायित्वों को पूरा करने के बाद, राउरकेला के डी० एम० ६६०० लाख के ऋण में से कुछ थोड़ी रकम बचेगी । ऋण की प्राप्ति की अवधि को बढ़ा कर सारी रकम प्रयोग करने के सवाल पर विचार किया जा रहा है और जर्मन अधिकारियों से बातचीत चल रही है ।

केरल में स्मारक

†७९९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में प्रत्येक वर्ष केरल के रक्षित स्मारकों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए कितनी रकम रखी गयी ; और

(ख). हर स्मारक पर कुल कितना वास्तविक व्यय हुआ है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित करने पर जो समय और श्रम लगा वह उसके परिणामों के अनुकूल नहीं है ।

मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये होस्टल

†८००. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मराठवाड़ा विश्वविद्यालय या महाराष्ट्र सरकार की ओर से, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों के लिए होस्टल बनाने के लिए ऋण लेने या अनुदान प्राप्त करने के निमित्त कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). १९५९–६० में, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से संबद्ध दो कालेजों अर्थात् मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद और पीपल्स कालेज, नांदेड ने अनुदान आयोग को, लड़कियों के होस्टल बनाने के लिए सहायता के लिए कहा था ।

मिलिंद महाविद्यालय का प्रस्ताव, अनुदान आयोग ने मान लिया है लेकिन शर्त यह है कि १,३३,००० रुपये की अनुमित लागत में से आयोग या तो ९९,७५० रुपये तक की सहायता देगा या ७५ प्रतिशत लागत, जो भी कम होगी । अब तक महाविद्यालय को ३०,००० रुपया दिया जा चुका है ।

नांदेड पीपल्स कालेज की १,३६,८०० रुपये की अनुमित लागत का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है लेकिन आयोग या तो १,०२,६०० रुपया या लागत का ७५ प्रतिशत भाग देगा, जो भी कम होगा । आयोग ने पहली किस्त के रूप में १५,००० रुपये की रकम देनी मंजूर की है ।

महाराष्ट्र में शारीरिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता

†८०१. **श्री पांगरकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९६०–६१ में महाराष्ट्र की किन शारीरिक प्रशिक्षण संस्थाओं को धन की सहायता मिली और कितनी-कितनी ;

(ख) उन संगठनों के नाम जिन्होंने सहायता के लिए आवेदन तो दिये परन्तु उन्हें सहायता नहीं मिली ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

१.	कैवल्यधाम श्रीमान् माधव योग मंदिर समिति लाने वाला,	८२,३७६ रुपया
२.	महाराष्ट्रीय मंडल, पूना	२०,०००/- ,,
३.	गुजरात गवेषणा परिषद्, बम्बई . . .	५००/- ,,
४.	श्री समर्थ व्यायाम मंदिर, दादर, बम्बई . .	२,५००/- ,,
५.	भानु तालीम संस्था, मिराज . . .	२,५००/- ,,
६.	व्यायाम मंडल, सतारा	१,१९०/- ,,
७.	सुभाष मंदिर, नागपुर	१,२३०/- ,,
८.	नागपुर व्यायामशाला, नागपुर . . .	१,४५१/- ,,

(ख) १ गुजरात गवेषणा परिषद्, बम्बई ।

२. एच० वी० पी० मंडल भारतीय शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालय, अमरावती ।

३. योग संस्था, शांता क्रुज, बम्बई ।

४. श्री समर्थ व्यायाम मंदिर, प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम—शारीरिक शिक्षा संस्था दादर, बम्बई, में— ।

† मूल अंग्रेजी में

डाक द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा

†८०२. श्री पांगरकर :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दामानी :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :

क्या शिक्षा मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा देने के बारे में विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). कुछ विश्वविद्यालयों में डाक द्वारा शिक्षा देने की योजना का मसविदा तैयार कर लिया गया है और उसे अनुदान आयोग के पास उसके विचारार्थ भेजा गया है ।

महाराष्ट्र में छोटी बचतें

†८०३. **श्री पांगरकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र के भीर जिले में १९५९–६० में छोटी बचत योजना के अधीन कितना रुपया इकट्ठा किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : लगभग ३२,२६,००० रुपये ।

पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी

†८०४. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीने में कितने पाकिस्तानी तस्कर व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया या कितने घायल हुए ;

(ख) उन से जब्त माल कितने मूल्य का था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

सरकारी उपक्रमों में अधिवर्ष अधिकारी[1]

†८०५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले अधिवर्ष अधिकारियों के नाम, पद, वेतन तथा अवधि देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Superannuated officers.

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आदेश दिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। इकट्ठा होने पर इसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

(ख) जो आदेश सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं, उन्हें ही सामान्यतया सरकारी उपक्रमों में भी माना जाता है।

दिल्ली में बेसिक शिक्षा

†८०६. **श्री कुन्हन** : क्या शिक्षा मंत्री २९ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा दिल्ली के बेसिक स्कूलों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये जो प्रावकलन समिति बनाई गई थी उसने अपना काम समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां तो क्या उस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) जी नहीं।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

चांदी की खानें

†८०७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन-किन राज्यों में तथा कितने स्थानों पर चांदी की खानों में काम हो रहा है ; और

(ख) वर्ष में कुल कितने रुपयों की चांदी यहां से प्राप्त होती है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) वैसे तो भारत में चांदी की अलग से कोई खान नहीं है लेकिन सोना तथा सीसा की खानों से चांदी मिल जाती है। मैसूर राज्य में ४ तो सोने की खानें हैं और राजस्थान में एक सीसा-जिंक की खान है जिनसे चांदी भी मिलती है।

(ख) वर्ष १९५९ तथा १९६० में इन खानों से निम्न मात्रा एवं निम्न राशि की चांदी प्राप्त हुई है :—

(१) वर्ष	मात्रा	मूल्य
१९५९ .	३,९८१ किलोग्राम	६,६१,००० रुपये
१९६० . . .	४,१२८ किलोग्राम	७,८०,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

अफीम की खेती

†८०८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब के किन जिलों में अफीम की खेती होती है ; और

(ख) किन जिलों के व्यक्ति पिछले चार वर्षों से अफीम की खेती के बारे में मांग कर रहे हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (१) पंजाब में अफीम की खेती नहीं होती ।

(ख) भारत सरकार के पास पंजाब से अफीम की खेती करने के बारे में कोई मांग नहीं आई है ।

राजस्थान में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चे

†८०९. **श्री औंकार लाल** : क्या गृह-कार्य मंत्री केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को दी गई सहायता के बारे में बतायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : राजस्थान में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को दी जाने वाली प्रति वर्षीय केन्द्रीय सहायता का विवरण उपरोक्त सदस्य के अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ के उत्तर के बारे में सभा-पटल पर रख दिया गया था । इस प्रकार की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार ने राज्यों में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिये सहायता की एक केन्द्रीय योजना तैयार की है । इस योजना के अनुसार इस प्रकार राज्यों में होने वाले व्यय का आधा भाग केन्द्रीय सरकार उठायेगी । राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सहायता पाने के लिये समर्थन हेतु अभी तक अपनी कोई योजना नही भेजी है ।

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी

†८१०. **श्री कुम्भार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्रत्येक राज्य तथा संघ प्रशासित क्षेत्रों के कितने-कितने विद्यार्थी किन-किन देशों में शिक्षा पा रहे हैं ; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति के विद्यार्थी कितने हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७]**

उड़ीसा को शिक्षा सम्बन्धी अनुदान

†८११. **श्री कुम्भार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में प्रति वर्ष, लड़कियों, महिलाओं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सुधार के लिये अलग-अलग से कितनी राशि रखी गई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) इस सम्बन्ध में तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिये उड़ीसा के लिये कितनी राशि रखी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) लड़कियों की प्राथमिक तथा मिडिल स्तर की शिक्षा तथा महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये जो कि वर्ष १९५७–५८ में शुरू हुआ था, केन्द्र द्वारा जारी कई योजना के अधीन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में उड़ीसा राज्य को प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि निम्न है :—

१९५७-५८	१,११,९६० रुपये
१९५८-५९	३,६१,००० रुपये
१९५९-६०	४,००,००० रुपये
१९६०-६१	३,६१,००० रुपये

उपरोक्त केन्द्रीय योजना के अधीन मिडिल तथा माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों के आवास की व्यवस्था करने के लिये १९६०-६१ में एक उपयोजना मंजूर की गई थी और उस योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार ने १.५ लाख रुपये की मंजूरी निर्धारित की है ।

उच्च स्तर की लड़कियों की शिक्षा के लिये ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ख) उपरोक्त योजना पर जो धन व्यय हुआ है उसके लिये प्रति वर्ष निम्नलिखित राशि व्यय हुई है :

१९५७-५८	५१,१७० रुपये
१९५८-५९	३,८६,९५६ रुपये
१९५९-६०	३,१७,३६८ रुपये
१९६०-६१	मार्च १९६१ के बाद पता चलेगा ।

(ग) इस योजना के लिये राज्य सरकार ही अपनी योजना में राशि निर्धारित करेगी । राज्यीय योजना में इसके लिये कुल कितना धन निर्धारित किया गया है, इसकी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

उड़ीसा में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक

†८१२. **श्री कुम्भार** :
श्री संगण्णा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में प्रति वर्ष उड़ीसा राज्य के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों में वेतन की मद में अब तक कितनी राशि उड़ीसा राज्य के लिये निर्धारित की गई है ; और

(ख) इस मद में तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में सुधार करने के लिये वर्ष १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में क्रमशः २.७७ लाख तथा ५.७६ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है। इन वर्षों में उड़ीसा राज्य ने माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये कोई योजना नहीं बनाई थी। योजना के शेष वर्षों के बारे में इस प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। संशोधित प्रक्रिया के व्यक्तिगत योजनाओं के लिये नहीं बल्कि कुल योजनाओं के लिये राशि स्वीकृत की जाती है।

(ख) तृतीय योजना में राज्य सरकार ही इन योजनाओं के लिये राशि निर्धारित करेगी। क्योंकि वह ही अपने अध्यापकों के वेतन सुधारने के बारे में निर्णय करेगी। और यह राशि राज्य के लिये निर्धारित कुल राशि की सीमा में ही रहेगी।

उड़ीसा में करों की वसूली

†८१३. **श्री कुम्भार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में अब तक केन्द्र ने उड़ीसा राज्य से कुल कितनी राशि विभिन्न करों के रूप में एकत्रित की है ; और

(ख) बकाया राशि, यदि कोई है तो, कितनी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८]**

उड़ीसा से केन्द्रीय ऋण की बकाया

†८१४. **श्री कुम्भार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक किस मद में उड़ीसा राज्य से केन्द्रीय ऋण बकाया है ;

(ख) ऋण की वापिसी की वार्षिक किस्त क्या है एवं वार्षिक ब्याज की राशि क्या है ; और

(ग) प्रत्येक खाते में मूल तथा ब्याज की कितनी राशि वापस की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). ३१ मार्च, १९६० तक विभिन्न प्रकार के ऋणों की बकाया राशि बताने वाला तथा १९५९-६० के दौरान में वापस किया गया मूल एवं ब्याज का विवरण सभा पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९]**

(ग) चूंकि ऋण की शर्तें एवं निबन्धन हर एक ऋण के मामले में उसकी अवधि तथा प्रयोजन की दृष्टि से अलग-अलग हैं अतः मूल तथा ब्याज के भुगतान की वार्षिक किस्तें निश्चित नहीं हैं।

उड़ीसा में हिन्दी का प्रचार

†८१५. **श्री कुम्भार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में अब तक उड़ीसा राज्य में हिन्दी भाषा के प्रचार के लिये उड़ीसा राज्य को किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस अवधि में किस प्रकार की योजना उस राज्य में क्रियान्वित की गई है ; और

(ग) इस कार्य के लिये तीसरी योजना में कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख).

(१) उड़ीसा राज्य ने "हिन्दी की वृद्धि करो" योजना के अधीन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में निम्न मदों पर केन्द्रीय सहायता में से १,५८,८३१ रुपये का उपयोग किया है :

(१) कालिजों में हिन्दी प्राध्यापकों की नियुक्ति

(२) हिन्दी प्राध्यापक प्रशिक्षण कालिज खोलने

(३) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, कटक, को अनुदान

(४) राज्य सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने में ।

(२) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान में "हाई/माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी प्राध्यापकों की नियुक्ति" के लिये उड़ीसा सरकार को २,१३,९०८ रुपये दिये गये थे । राज्य सरकार ने इन अनुदानों में से २,११,५४६ रुपये का उपयोग किया है और इस योजना के अधीन १८० हाई स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति की है ।

(३) वर्ष १९५८-५९ तथा १९५९-६० में पुस्तकालयों को बांटने के लि ३६ चुनी हुई हिन्दी की किताबों के १००० सेट तथा ११ चुनी हुई हिन्दी की किताबों के ३३८ सेट राज्य को निःशुल्क दिये गये हैं ।

(ग) द्वितीय योजना के दौरान में हिन्दी प्रचार के लिये जो योजना चालू की गई थी वे तीसरी योजना में भी चालू रहेंगी । राज्यों के लिये अलग अलग से आलक्कन नहीं बनाये गये हैं ।

कोयले का निर्यात

†८१६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६० में कुल कितनी मात्रा में कोयले का निर्यात विदेशों को किया गया है ; और

(ख) किन-किन देशों को भेजा गया है एवं इस सम्बन्ध में उनके साथ जो समझौते हुए हैं उनकी विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) १४,०१,९८६ टन ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बर्मा, लंका, पाकिस्तान, जापान, यूगोस्लोविया, हांगकांग तथा नेपाल को कोयले का निर्यात किया गया है। पाकिस्तान को जो कोयला भेजा गया है वह ही केवल सरकारी स्तर पर व्यापारिक समझौते के आधार पर भेजा गया है। समझौते में पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान को प्रतिमास १,००,००० टन कोयला भेजने की व्यवस्था की गई है। बाकी सब निर्यात व्यापार के रूप में किया गया है।

पंजाब में नगरपालिका के मेहतरों को सुविधायें

†८१७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब को वर्ष १९६०-६१ के दौरान में वहां की नगरपालिकाओं के मेहतरों को सुविधाएं देने की दृष्टि से कोई सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्य में से कोई नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

लद्दाख सीमा पर मुठभेड़

†८१८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भा की लद्दाख सीमा पर पिछले ३ महीनों में कितने सिपाही अथवा पदाधिकारी चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में अथवा चीनी सैनिकों की गोलियों से अथवा पुलिस की गोलियों से मारे गये हैं अथवा घायल हुये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: लद्दाख सीमा पर पिछले तीन महीनों में हमारी सेना अथवा पुलिस का कोई भी व्यक्ति न तो मारा ही गया है और न घायल ही हुआ है।

उत्तर प्रदेश में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चे

†८१९. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितनी सहायता दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: उत्तर प्रदेश में राजनैतिक पीड़ितों एवं उनके परिवारों को प्रतिवर्ष केन्द्रीय सहायता देने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०]** इस प्रकार की सहायता के अतिरिक्त राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को उनकी शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति देने के लिये वर्ष १९६०-६१ में एक योजना शुरू की गई थी। इस सिलसिले में प्रत्येक राज्य द्वारा व्यय किये गये धन में से आधा धन केन्द्रीय सरकार देगी। वर्ष १९६०-६१ में उत्तर प्रदेश द्वारा इस योजना पर किये गये व्यय में केन्द्रीय सरकार के व्यय की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब कि उत्तर प्रदेश की सरकार उस वर्ष का कुल व्यय बताती है।

तम्बाकू का उत्पादन

†८२०. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ४ वर्षों में उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कुल कितना तम्बाकू पैदा किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उक्त अवधि में प्रति वर्ष कितना उत्पादन शुल्क एकत्रित किया गया है ; और

(ग) किस प्रकार यह उत्पादन शुल्क लगाया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख).

वर्ष	तम्बाकू का उत्पादन पांउड में	कुल उत्पादन शुल्क (मूल एवं अतिरिक्त) जो इकट्ठा किया गया रुपयों में
१९५६–५७	८२३१०	५४६०४ (मूल)
१९५७–५८	४६०५५	६११९९
१९५८–५९	६७३६६	६१५४९
१९५९–६०	६६०६७	६६१५९

(ग) घोषित उत्पादित मात्रा पर ही, जो कि वास्तविक तोल तथा औसतन उत्पाद की जांच करने पर आता है, सामान्यतः शुल्क लगाया जाता है। ऐसे मामलों में जहां कि उत्पादकों द्वारा घोषित उत्पाद और निकाले गये औसतन उत्पाद में अथवा ऐसे मामलों में जहां कि केन्द्रीय आबकारी के कलक्टर द्वारा दी गई छूट की सीमा से अधिक उत्पादक उत्पाद करता है लेकिन वह इस अधिक उत्पादन को वार्षिक रिटर्न दिये बिना अथवा गलत रिटर्न देकर बेचता है, तो ऐसे मामलों में उत्पादक को यह नोटिस दिया जाता है कि वह यह बताये कि उस पर क्यों न प्रति एकड़ तथा औसतन उत्पाद के आधार पर कर लगाया जाये। उसका उत्तर मिलने पर उसकी जांच की जाती है और केन्द्रीय आबकारी नियम १९४४ के नियम ३७-क के अधीन उत्पादन शुल्क की उससे मांग की जाती है।

उत्तर प्रदेश के लिये लोहे की चादरें

†८२१. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में उत्तर प्रदेश में कितनी लोहे की चादरों की मांग की है; और

(ख) किस हद तक उस मांग की पूर्ति की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). मांग आई है और नियतन वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया है। वर्ष १९६०–६१ सम्बन्धी सूचना नीचे दी हुई है :—

	(लोंग टनों में)	
मांग	९०,१७३	
नियतन .	४३,१०१	
सम्भरण/भेजा गया	१०,७८५	(अप्रैल से दिसम्बर ६० तक)

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये घर

†८२२. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में प्रतिवर्ष अब तक अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के रहने के लिये घर बनाने के हेतु विभिन्न संघीय क्षेत्रों को कितनी-कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) उस अवधि में अब तक कितने घर बनाये गये हैं;

(ग) कितने परिवार उन घरों में बस गये हैं; और

(घ) इस काम के लिये तीसरी योजना में कितनी राशि निर्धारित की जाने वाली है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) से (ग). प्रशासनों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिल जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) यह जानकारी देना इसलिये सम्भव नहीं है क्योंकि हर एक योजना के लिये नियतन अभी तक निश्चित नहीं हुआ है ।

विदेश भेजे गये शिष्टमंडल

८२३. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री पहाड़िया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में कितने सरकारी अथवा गैर-सरकारी शिष्टमण्डल विदेशों को भेजे गये;

(ख) इन शिष्टमण्डलों में से प्रत्येक पर सरकार का कितना धन व्यय हुआ ;

(ग) क्या भविष्य में देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार इन शिष्डमण्डलों की संख्या कम करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). मांगी गयी सूचना विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों से लेकर इकट्ठी की जा रही है और तैयार होने पर सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

(ग) और (घ). सरकार की बराबर से यही कोशिश है कि ऐसे शिष्टमण्डलों (डेलीगेशन) की संख्या कम से कम रहे । मौजूदा हिदायतों के अनुसार, शिष्टमण्डलों को विदेश भेजने के सभी प्रस्तावों के लिए ऊंचे से ऊंचे स्तर पर मंजूरी लेनी पड़ती है। वरिष्ठ (सीनियर) अफसरों की एक समिति भी ऐसे प्रस्तावों को सरकार के पास भेजने से पहले उनकी जांच करती है । सरकारी शिष्टमण्डल को विदेश भेजने से पहले, भेजने वाले मंत्रालय को, दूसरे मंत्रालय को भी, जिन्हें इस सम्बन्ध में दिलचस्पी हो सकती है, इसकी सूचना देनी पड़ती है ताकि यदि सम्भव हो, तो वे भी शिष्टमंडल की सेवाओं का अपने काम के लिए उपयोग कर सकें ।

संसद् और राज्य विधान-मंडलों के रिक्त-स्थान

८२४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **विधि** मन्त्री ७ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् और राज्य विधान-मण्डलों के उस समय कितने स्थान रिक्त थे;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन रिक्त स्थानों की पूर्ति किन-किन तिथियों को हुई;

(ग) उनके बाद संसद् और राज्य विधान-मण्डलों के कौन-कौन से स्थान रिक्त हुए हैं; और

(घ) इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कब तक हो जाने की आशा है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) ७ दिसम्बर, १९६० को संसद् में चार स्थान और राज्य विधान मंडलों में चार स्थान रिक्त थे ।

(ख) चार संसदीय स्थानों में से तीन की पूर्ति क्रमशः १४ दिसम्बर, १९६०, २२ दिसम्बर, १९६० और २ फरवरी, १९६१ को हुई थी । चौथे संसदीय स्थान के लिये उप-निर्वाचन अप्रैल या मई, १९६१ में होना सम्भाव्य है । राज्य विधान मण्डलों के चार स्थानों में से तीन की पूर्ति क्रमशः ३ दिसम्बर, १९६०, ६ फरवरी, १९६१ और ९ फरवरी, १९६१ को हुई थी । चौथे स्थान के लिये मतदान १४ मार्च, १९६१ को होना है ।

(ग) और (घ). १ दिसम्बर, १९६० और १९ फरवरी, १९६१ के बीच रिक्त हुए स्थानों और उनकी पूर्ति की बाबत वर्तमान स्थिति को दिखाने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	वर्तमान स्थिति
	संसद्
सभा सदस्य (मैसूर) . .	. उप-निर्वाचन के लिए आदेश दे दिया गया है । मतदान की तारीख १४-३-६१ ।
नई दिल्ली (दिल्ली) .	. उपनिर्वाचन के लिए आदेश दे दिया गया है । मतदान की तारीख २-४-६१ ।
गंजाम (उड़ीसा)	. यह सम्भाव्यता है कि उपनिर्वाचन अप्रैल या मई, १९६१ में हो जाये ।
	राज्य विधान मंडल
सभा सदस्य (मद्रास) .	. उपनिर्वाचन के लिए आदेश दे दिया गया है । मतदान की तारीख १४-३-६१ ।
सभा सदस्य (बिहार) . .	. उपनिर्वाचन १४-२-६१ को निर्विरोध हो गया ।
शेखपुर (बिहार) .	. यह सम्भाव्यता है कि उपनिर्वाचन अप्रैल या मई, १९६१ में हो जाये ।
मंगावां (मध्य प्रदेश) . .	. उपनिर्वाचन के लिए आदेश दे दिया गया है । मतदान की तारीख १०-३-६१ ।
शाहपुर (मध्य प्रदेश)	. उपनिर्वाचन के लिए आदेश दे दिया गया है । मतदान की तारीख २६-३-६१ ।
हवेली (महाराष्ट्र)	. उपनिर्वाचन के लिए आदेश दे दिया गया है । मतदान की तारीख १२-३-६१ ।

†मूल अंग्रेजी में

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	वर्तमान स्थिति
बूंदी (राजस्थान) . . .	उपनिर्वाचन के लिए आदेश दे दिया गया है। मतदान की तारीख ८–३–६१।
रानीखेत दक्षिण (उत्तर प्रदेश) . .	उपनिर्वाचन के लिए आदेश दे दिया गया है। मतदान की तारीख १२–३–६१।
अलंद (मैसूर) . . .	उपनिर्वाचन १७–२–६१ को हुआ। निर्विरोध निर्वाचन।

पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से भारी संख्या में लोगों का जम्मू और काश्मीर राज्य में आना

८२५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह समाचार कहां तक सच है कि पाकिस्तान अधिकृत तथाकथित आजाद काश्मीर से पुरुष, स्त्रियां और बच्चे भारी संख्या में जम्मू और काश्मीर राज्य में आ गये हैं;

(ख) इस प्रकार कितने व्यक्ति आये हैं;

(ग) क्या जम्मू और काश्मीर सरकार ने इस विषय में केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श किया है अथवा करने की इच्छा प्रकट की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ) तक मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। जम्मू और काश्मीर सरकार को अपेक्षित सूचना भेजने के लिए प्रार्थना की गई है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हेलीकोप्टर

†**८२६. श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सीमान्त क्षेत्रों में हेलीकोप्टरों द्वारा गश्त कराने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो ये हेलीकोप्टर किन-किन देशों से प्राप्त किये जायेंगे; और

(ग) भारत कब तक हेलीकोप्टरों में आत्म-निर्भर बन सकेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) इस सम्बन्ध में योजनाओं का संकेत करना वांछनीय नहीं होगा।

(ख) उपरोक्त की दृष्टि से प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) अभी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया जा सकता है।

पुरातत्व विभाग, पटना के एक पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप

८२७. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पटना के पुरातत्व विभाग के एक पदाधिकारी द्वारा जनता के साथ बुरा व्यवहार करने और उनकी उपेक्षा करने के बारे में, जिसका उल्लेख मुजफ्फरपुर की प्रगति नामक समाचार-पत्र के सितम्बर (दूसरे सप्ताह) १९६० के अंक में उल्लेख किया गया है, कोई शिकायतें मिलती हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

स्वामी श्रद्धानन्द की प्रतिमा

८२८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की किसी संस्था ने सरकार को यह पत्र लिखा है कि घंटाघर के स्थान पर स्वामी श्रद्धानन्द जी की प्रस्तर प्रतिमा स्थापित करने में जो भी व्यय होगा वह सब वह वहन करने को तैयार है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार को अनेकों ऐसे प्रस्ताव मिले हैं जिनमें स्वामी जी का स्मारक घंटाघर के स्थान पर ही बनाने का आग्रह किया गया है; और

(ग) घण्टाघर के रिक्त स्थान पर कितने वर्ग फीट जगह इस समय ऐसी है जो किसी काम में नहीं आ रही ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) (क) जी हां।

(ख) जी हां, कुछ प्रस्ताव मिले हैं।

(ग) चान्दनी चौक में घण्टाघर के स्थान का सारा क्षेत्र यातायात द्वीप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

रक्षित स्मारक

८२९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कितने और ऐतिहासिक स्मारक राष्ट्रीय संरक्षण में लिये गये ;

(ख) क्या ऐसे भी कुछ रक्षित स्थान है जो राज्य सरकारों को लौटा दिये गये अथवा अरक्षित घोषित कर दिये गये ;

(ग) क्या यह सच है कि दक्षिण के कुछ बड़े-बड़े मन्दिरों को, जिन का बड़ा धार्मिक महत्व है और जो संरक्षण न मिलने से ध्वस्त होते जा रहे हैं, भी राष्ट्रीय संरक्षण में लेने का सरकार से आग्रह किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) एक भी नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार को स्मारकों के धार्मिक महत्व से वास्ता नहीं है, उनके पुरातत्वीय, वास्तु-विद्या सम्बन्धी या ऐतिहासिक महत्व से है।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

शिक्षा संस्थाओं को संविहित मान्यता

८३०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जामिया मिलिया, गुरुकुल कांगड़ी और स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं को संविहित मान्यता प्रदान करने के लिये जो समितियां नियुक्त की गई थीं, क्या उन्होंने इस बीच अपना कार्य समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी सिफारिशों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों की सूचियों में संशोधन

८३१. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री सिद्धय्या :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों और पिछड़े वर्गों की सूचियों में संशोधन करने का जो प्रश्न विचाराधीन था, उस के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई ; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) स्थिति वही है, जैसी कि पहले बताई जा चुकी है ।

(ख) अंतिम निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा । इस के लिये कोई निश्चित अवधि बताना अभी संभव नहीं है ।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक

†८३२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **शिक्षा** मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१०१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समान मूल वेतन पाने वाले प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों की असमानता दूर करने की दृष्टि से उन को देय महंगाई भत्तों के समीकरण की दिशा में उठाये गये कदमों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से उत्तर मिल गये हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्राप्त उत्तर किस प्रकार के हैं ; और
(ग) इस मामले में और क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग) जिन चार राज्य सरकारों को पत्र लिखे गये थे उन में से अभी तक केवल दो के उत्तर प्राप्त हुए हैं। जब समस्त राज्य सरकारों के उत्तर मिल जायेंगे तब स्थिति की जांच की जायगी ।

सोने का तस्कर व्यापार

†८३३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी सीमांत पर सोने के तस्कर व्यापार में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति के सुधार के लिये इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई** : (क) सरकार यह नहीं मानती है कि पश्चिमी भू-सीमान्त पर सोने का तस्कर व्यापार बढ़ रहा है ।

(ख) और (ग) उत्पन्न नहीं होते ।

पहाड़ी केन्द्रों में अवकाश गृह

†८३४. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २१ नवम्बर, १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा श्रमिकों और जवानों के लिये पहाड़ी स्थानों में अवकाश-गृहों के निर्माण के लिये योजना तैयार करने मे अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में श्रमिकों के लिये वर्तमान कल्याण व्यवस्था का पुनरीक्षण करने और उस के सुधार तथा विस्तार के लिये जिस में उन के लिये अवकाश गृहों के निर्माण का प्रश्न सम्मिलित है, निर्दिष्ट सिफारिशें करने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा अधिकारियों की एक समिति निर्मित की गई है। उस समिति का प्रतिवेदन प्रतिक्षित है ।

जलियांवाला बाग में राष्ट्रीय स्मारक

†८३५. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २१ नवम्बर, १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलियांवाला बाग के राष्ट्रीय स्मारक के कार्य को पूरा करने में क्या प्रगति हुई है ; और
(ख) उस पर कुल कितना व्यय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) कार्य प्रायः सभाप्ति पर है और उसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) २० फरवरी, १६६१ तक ८,२०,५४६ रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†८३७. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पंजाब का विस्तृत भूतत्वीय सर्वेक्षण करने को लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख) इस संबंध में पंजाब सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा पंजाब में खनिज निक्षेपों, इंजीनियरिंग भूतत्वशास्त्र और भूमिगत जल का भूतत्वीय परिमाप एवं अनुसंधान किया गया था और यह कार्य कुछ वर्षों तक जारी रहेगा क्योंकि इस प्रकार का कार्य अनन्त होता है। पंजाब में १९६०-६१ में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा निम्नांकित अनुसंधान कार्य किये जा रहे हैं :

(१) पंजाब और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, मण्डी क्षेत्र के नक्शे बनाना जारी रखना।

(२) ३१ से ३२ उत्तर अक्षांश और ७६ ४५' और ७७ ३०' पूर्व के समानान्तरों के बीच स्थित लारगी, मण्डी और सुन्दर नगर क्षेत्रों के नकशे बनाना।

(३) नांगल उर्वरक कारखाने के लिये चूने के पत्थर के निक्षेपों का अनुसंधान।

(४) शिमला पहाड़ियों में सीसा, तांबा, पाईराइट, चूने का पत्थर और अन्य खनिजों की जांच।

(५) गुड़गांव जिले में नन्धा में सल्फाइट खनिज निक्षेपों की जांच।

(६) कांगड़ा जिले के कुल्लू सब-डिवीजन की पार्वती घाटी में सीसा और सम्बद्ध धातुओं का अनुसंधान।

(७) भाखड़ा बांध के निर्माण काल में विस्तृत भूतत्वीय अनुसंधान जारी रखना।

(८) थीन बांध के स्थलों की जांच पड़ताल और समेकित प्रतिवेदन तैयार करना जिस में भूतत्वीय सर्वेक्षणों के परिणाम और निर्वचन सम्मिलित होंगे।

(९) व्यास बांध परियोजना के लिये आयोजन की अवस्था के भूतत्वीय अनुसधान का पूरा किया जाना।

(१०) मण्डी–कुल्लू–मनालीरोड क्षेत्र का अनुसंधान।

(११) अम्बाला जिले में खोज संबंधी छिद्रण के क्षेत्रों में भूजलविक्षज्ञान संबंधी अनुसंधान जारी रखना।

(१२) होशियारपुर जिले में खोज संबंधी छिद्रण के क्षेत्रों में भूजल विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान जारी रखना।

(१३) फीरोजपुर क्षेत्र के जलप्लावित क्षेत्रों में भूमिगत जल का अध्ययन।

(१४) कांगड़ा जिले में गर्म जल के झरनों का अनुसंधान।

(१५) चण्डीगढ़ में अतिरिक्त जल संभरण के लिये अग्रेतर भूतत्वीय अनुसंधान।

---

†मूल अंग्रेजी में

खम्बात में तेल निक्षेप

†८३७. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खम्बात क्षेत्र में पाये गये तेल में पैराफीन की मात्रा अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का प्रतिशत क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख) अशोधित तेल में पैराफीन मोम २० प्रतिशत तक हो सकता है। अभी तक परीक्षण किये गये नमूनों से मालूम हुआ है कि खम्बात के अशोधित तेल में लगभग १४ प्रतिशत पैराफीन मोम है।

निर्वाचिन सम्बन्धी अनिर्णीत मामले

†८३८. { **श्री सूपकार** :
श्री कालिका सिंह :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ में लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं को हुए निर्वाचनों को रद्द करने के लिये दायर किये गये कितने मामले (१) न्यायाधिकरणों अथवा (२) उच्च न्यायालयों अथवा (३) उच्चतम न्यायालय में अभी तक विचाराधीन हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : १९५७ में लोक-सभा तथा राज्य विधानसभाओं को हुए निर्वाचनों को रद्द करने के लिये दायर की गई और १५ फरवरी, १९६१ तक अनिर्णीत निर्वाचन-याचिकाओं की संख्या निम्न प्रकार है :

(१) निर्वाचन न्यायाधिकरणों में विचाराधीन निर्वाचन याचिकायें .	दो
(२) उच्च न्यायालयों में विचाराधीन निर्वाचन याचिकायें .	चार
(३) उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन निर्वाचन याचिकायें .	चार

विदेशों में हिन्दी का अध्यापन

†८३९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या श्रीलंका की सरकार ने हिन्दी को भी अपने पाठयक्रम में सम्मिलित कर लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रीलंका की सरकार ने हिन्दी के योग्य अध्यापकों के अभाव में आरम्भ में केवल कुछ सरकारी विद्यालयों में ही हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था की है और यदि हां, तो क्या उन की इस कठिनाई को दूर करने में भारत सरकार उन की सहायता करेगी;

(ग) श्रीलंका के अतिरिक्त एशिया और यूरोप में और कितने ऐसे देश हैं जहां हिन्दी पढ़ने और पढ़ाने का कार्य आरम्भ हो गया है; और

(घ) भारत सरकार अन्य देशों में हिन्दी के प्रसार के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां। जनरल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिये जो तीन विषय अपनी इच्छा से लिये जा सकते हैं, उन में हिन्दी भी एक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विभिन्न स्कूलों के जिन ६०० विद्यार्थियों ने अब तक हिन्दी ली है, उन को हिन्दी पढ़ाने के लिये सीलोन की सरकार ने हिन्दी जानने वाले १६ सीलोनी शिक्षक नियुक्त किये हैं। सीलोन सरकार ने हमसे हिन्दी शिक्षक नहीं मांगे।

(ग) बर्मा, चीन, कम्बोडिया, इंदोनेशिया, नैपाल, जापान, फिलीपाइनस, थाईलैंड, रूस, चकोस्लोवाकिया, फ्रांस, इटली, ईरान, पश्चिमी जर्मनी, और संयुक्त राज्य (ब्रिटेन)।

(घ) इन में (१) हिन्दी की किताबें भेजना, (२) हिन्दी शिक्षक भेजना, (३) हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को भारत भ्रमण के रूप में इनाम देना, (४) हिन्दी किताबों का अनुवाद करने के लिये विदेशी लेखकों को आर्थिक सहायता देना, (५) भारत में पढ़ने वाले अफ्रीकी छात्रों को छात्रवृत्तियां देना, (६) विदेशों में कुछ भारतीय दूतावासों में हिन्दी सिखाना शामिल है।

आदिम जाति क्षेत्रों का विकास

†८४०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के समस्त आदिम जाति क्षेत्रों के तीसरी पंचवर्षीय योजना में सघन विकास के लिये ४५० विशेष खण्ड मंजूर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विशेष खंडों का तीसरी पंच वर्षीय योजना में राज्य-वार आवण्टन किस प्रकार है; और

(ग) उड़ीसा को तीसरी पचवर्षीय योजना में ऐसे कितने विशेष खण्ड आवण्टित किये गये हैं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). मामला विचाराधीन है।

कटक स्थित आयकर अधिकारियों के लिये क्वार्टर

†८४१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्राही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक स्थित आयकर अधिकारियों के लिये स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया है?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

†८४२. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा खरीद किया गया विमान चालू हालत में है; और

(ख) उस की मरम्मत पर अभी तक कितनी राशि व्यय की गई है?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, श्रीमान।

(ख) ३१ मार्च, १९६० तक, ३,४९,३८५ रुपये। १९६०–६१ में किया गया खर्च उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजकीय रहस्य अधिनियम

†८४३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६० से जनवरी, १९६१ तक की अवधि में राजकीय रहस्य अधिनियम के अतिक्रमण के कितने मामले दर्ज किये गये थे या पता लगे थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गांजे का तस्कर व्यापार

†८४४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जनवरी, १९६० से जनवरी, १९६१ तक गांजे के तस्कर व्यापार के कितने मामले पकड़े गये;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(ग) क्या चोरी छिपे लाये गये माल को जब्त कर लिया गया था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) ८,२५३ ।

(ख) ८,९०९ ।

(ग) हां, श्रीमान ।

इस्पात नीति

†८४५. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पंजाब रजिस्टर्ड (लोहा तथा इस्पात) स्टाक होल्डर संघ से संघ सरकार की इस्पात नीति के बारे में चादरों, तार, कड़ों आदि के वितरण और उन की छोटे पैमाने के उद्योगों को उपलब्धता के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन की शिकायतें क्या थीं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

भारत का इतिहास

†८४६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी के भारत विद्या तथा धर्म के प्रोफेसर डा० पी० थियामा और पुरातत्वविज्ञान के प्रोफसर डा० मिलोजसिस ने, जो हाल में भारत आये थे, यह विचार प्रकट किया है कि भारतीय राष्ट्र के भूतकाल का सही चित्र उपस्थित करने के लिये भारत के इतिहास का एक काल फिर से लिखा जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इन विचारों के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

निर्यात संवर्धन

†८४७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन के उपाय के रूप में कुछ कच्चे माल पर प्रशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट देने का निर्णय किया है !

(ख) यदि हां, तो किन निर्दिष्ट वस्तुओं पर; और

(ग) यह छूट किस हद तक दी जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). ऐसे उत्पादों के निर्यात पर शुल्क में छूट दी जाती है जिन के निर्माण में प्रशुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क भुगतान किये गये कच्चे माल का उपयोग किया गया हो यदि संबंधित उत्पाद शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात छूट (सामान्य) नियम, १९६०, जैसा कि वे समय समय पर संशोधित किये जा चुके हैं, की अनुसूचियों में सम्मिलित हो। इस समय इन अनुसूचियों में ११० से अधिक चीजें हैं।

(ग) पूरी छूट दी जाती है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय सिक्योरिटी कोर

†८४८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रघुरामैया समिति ने प्रतिरक्षा मंत्रालय सिक्योरिटी कोर के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों के पुनरीक्षण का विचार किया था;

(ख) यदि नहीं, तो क्या एक पृथक समिति के निर्मित किये जाने की संभावना है;

(ग) प्रतिरक्षा मंत्रालय सिक्योरिटी कोर के कर्मचारियों और सामान्य सैनिकों के वेतन-क्रमों और भत्ते में क्या अन्तर है; और

(घ) इस अन्तर को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). रघुरमैया समिति ने प्रतिरक्षा मंत्रालय सिक्योरिटी कोर के कर्मचारियों के वेतन क्रमों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निर्दिष्ट रूप से विचार नहीं किया था। परन्तु सरकार न सामान्य सैनिकों के वेतन तथा भत्तों के पुनरीक्षण के लिये अंगीकृत विधि के आधार पर इन कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों का पुनरीक्षण किया था और दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों के सम्बंध में आदेश एक साथ सितम्बर, १९६० में जारी किये गये थे, तथा उन्हें एक ही तारीख (अर्थात् १ जुलाई, १९५९) से भूतलक्षी प्रभाव दे कर लागू किया गया था। इसलिये इस प्रयोजन के लिये एक पृथक समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं है।

(ग) और (घ). जानकारी संलग्न विवरण में दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१]** वेतन तथा भत्तों की दरों में अन्तर का कारण दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों तथा निबन्धनों का अन्तर है इसलिये उस को दूर करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रौद्योगिक संस्था, कानपुर

†८४९. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री कालिका सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था की स्थापना में क्या प्रगति हुई है.

(ख) क्या प्रथक भवन का निर्माण हो चुका है;

(ग) क्या संस्था के लिये आवश्यक समस्त भूमिका अर्जन किया जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार को समस्त भूमि मिलने में क्या कठिनाइयां हो रही हैं ; और

(ङ) उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) संस्था चालू हो गई । जुलाई, १९६० में पांच वर्ष के पाठ्यक्रम में से प्रथम वर्ष में १०० विद्यार्थियों का पहला दल भर्ती किया गया था ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । वास्तुशास्त्री नियुक्त किए जा चुके हैं और आशा है कि संस्था भवन का निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाएगा ।

(ग) से (ङ). योजना की प्रथम प्रावस्था के लिए आवश्यक ६१० एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है । शेष ४३५ एकड़ भूमि के अर्जन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं और आशा है कि यह भूमि मार्च, १९६१ तक संस्था को दे दी जाएगी ।

महाराष्ट्र को आवण्टित स्टीम कोयला

†८५०. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्ष १९६०-६१ में अभी तक उद्योगों के लिए स्टीम कोयले का कितना कोटा आवण्टित किया गया है ; और

(ख) क्या उपरोक्त अवधि में संभरण नियमित रूप से कायम रखा गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). महाराष्ट्र राज्य के लिए पृथक कोटा जुलाई, १९६० से निर्धारित गिया गया था । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें स्वीकृत मासिक कोटा और लदान (वैगनों) में दिखाया गया है ।

विवरण

महीना	राज्य द्वारा पोषित उद्योग		केन्द्र द्वारा घोषित उद्योग	
	कोटा	लदान	कोटा	लदान
जुलाई, १९६०	२५६७	१५२२	४०४७	३६४४
अगस्त, १९६०	२५६७	१९८५	४०४७	३६५७
सितम्बर, १९६०	२६६७	२०८०	४०४७	३२४३
अक्टूबर, १९६०	२६६७	१९५९	४०४७	३०७९
नवम्बर, १९६०	२६६७	२०८०	४०४७	३३२१
दिसम्बर, १९६०	२६८२	२३४४	४०४७	३६५७
जनवरी, १९६१	२६८२	२५००	४०४७	३७५०

†मूल अंग्रेजी में

बीज फार्म योजना सम्बन्धी अध्ययन दल

†८५१. **श्री वें० ईयाचरण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना संबंधी समिति द्वारा बीज सुधार के लिए नियुक्त किए गए अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) इस दल ने किन किन राज्यों और गवेषणा केन्द्रों का दौरा किया है ; और

(ग) इस समिति ने कौन कौन सी किस्म के बीजों के किसानों को संभरण की सिफारिश की ह ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (ग). दल ने मद्रास, मैसूर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में बीज फार्मों का अध्ययन शुरू किया है । वह हिमाचल प्रदेश के संबंध में प्रशासन अधिकारियों के साथ चर्चा करने के पश्चात् अपना प्रतिवेदन खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को और मद्रास के संबंध में राज्य सरकार को भेज चुका है । कुछ अन्य प्रतिवेदन भी प्रायः तैयार हो चुके हैं और उन्हें शीघ्र ही पेश कर दिया जाएगा । दल द्वारा जिन गवेषणा केन्द्रों का भ्रमण किया गया था उनकी सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२]** किसानों को संभरण के लिए सिफारिश किए गए बीजों की किस्मों से संबंधित जानकारी प्रतिवेदनों पर संबंधित राज्य सरकारों और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा विचार कर लिए जाने के पश्चात् ही दी जा सकती है ।

इस्पात संयंत्रों में टिपलर[1]

†८५२. **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बॉक्स टाइप के माल डिब्बों को संभालने के लिए तीनों इस्पात संयंत्रों में टिपलर मौजूद है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उनका उपबन्ध न किए जाने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). इस्पात संयंत्रों में रेलवे व्यवस्था रेलवे विभाग के साथ परामर्श करके की गई थी तथा उसमें यह उपबन्ध किया गया था कि केवल भिलाई संयंत्र में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बॉक्स टाइप के माल डिब्बों को संभालने के लिए टिपलर रखे जायेंगे । रूरकेला में बॉक्स टाइप के माल डिब्बों का सामान भूमिगत कोष्टों में मजदूरों द्वारा पहुंचाया जाना था और टिपलरों की व्यवस्था नहीं की जानी थी । दुर्गापुर को कोयले के वहन के लिए बॉक्स टाइप माल डिब्बों का उपयोग १९६१–६२ से किये जाने की आशा थी । तब तक हिन्दुस्तान लिमिटेड वहां उपयुक्त टिपलरों की व्यवस्था करने की आशा करता है ।

जब तीसरी पंचवर्षीय योजना में नए इस्पात संयंत्रों का विस्तार किया जाएगा तब उन सभी में बॉक्स टाइप के माल डिब्बों के लिए टिपलरों की व्यवस्था होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Tipplers.

रद्दी इस्पात की बिक्री

†८५३. { **श्री नथवानी** :
{ **श्री मुरारका** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा मंत्रालय अपने रद्दी इस्पात की बिक्री किस अभिकरण द्वारा करता है ;

(ख) गत पांच वर्षों में, वर्ष वार अनुमानतः कितनी मात्रा में रद्दी इस्पात बेचा गया ; और

(ग) उसको किस मूल्य पर बेचा गया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) रद्दी 'इस्पात के नियंत्रित साधन' से प्राप्त माल के अतिरिक्त लोहा तथा इस्पात के मरम्मत किए जाने योग्य अनइच्छित रद्दी इस्पात के टुकड़े, आयुध कारखानों के महानिदेशक की आवश्यकताओं को पूरा करके, प्रतिरक्षा भांडारकर्त्ता, स्वीकृत नीलामकर्त्ताओं द्वारा नीलाम करा देते हैं ।

'रद्दी इस्पात के नियंत्रित साधन' से प्राप्त रद्दी इस्पात के टुकड़े लोहा तथा इस्पात निदेशक द्वारा बेचे जाते हैं । निम्नलिखित आयुध कारखानों को 'रद्दी इस्पात के नियंत्रित साधन' घोषित किए गए हैं :—

१. मेटल एण्ट स्टील फैक्टरी, ईशापुर ।
२. गन एण्ड स्टील फैक्टरी, कासीपुर ।
३. आर्डनैन्स फैक्टरी, कानपुर ।
४. आर्डनैन्स फैक्टरी, मुरादनगर ।
५. आर्डनैन्स फैक्टरी, अम्बरनाथ ।

(ख) और (ग). गत पांच वर्षों में प्रतिरक्षा भांडारकर्त्ताओं द्वारा बेचे गये लोहा तथा इस्पात के रद्दी टुकड़ों की अनमानित मात्रा तथा उससे प्राप्त मूल्य नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	मात्रा	बिक्री मूल्य
	(टन)	(रुपये)
१९५६	८३२०	१०,५५,९२८
१९५७	३७४१	६,६६,०२१
१९५८	३५५१	५,४६,२५४
१९५९	३६८४	३,५६,५५८
१९६०	१८६३	२,८३,७४४

गुजरात में सोने का पकड़ा जाना

†८५४. **श्री मों० व० ठाकुर** : क्या **वित्त** मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में यात्रियों अथवा अन्य व्यक्तियों से सीमाशुल्क अधिकारियों ने सोना पकड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) १९६० में गुजरात में ४८ मामलों में सोना पकड़ा गया था । इन मामलों में से एक मामलों में राज्य के अन्दर से २,२३९ ग्राम सोना पकड़ा गया जिसका मूल्य २२,७०३ रुपये था । शेष ४७ मामलों में समुद्र से आने वाले यात्रियों से ३४,३९८ रुपये का ३,१७३ ग्राम सोना पकड़ा गया था ।

ऋण पत्रों का जारी किया जाना

†८५५. श्री दामानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त होने वाले बारह महीनों में जारी किए गए ऋणपत्र, १९५९ में जारी किए गए ऋणपत्र से अधिक है ; और

(ख) ऋणपत्र जारी करने के लिए स्वीकृति के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) फरवरी १९६१ के तीसरे सप्ताह तक समवायों से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन, जिन समवायों को ऋणपत्र जारी करने की अनुमति है, उन्होंने १९५९ में ९.९५ करोड़ रुपये के तथा १९६० में ७.०१ करोड़ रुपये के ऋणपत्र जारी किए हैं ।

(ख) ऋणपत्र जारी करने के आवेदन पत्रों पर निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर विचार किया जाता है :

१. क्या जारी करने का प्रयोजन अनापत्तिजनक है ।

२. क्या दी गई प्रतिभूति पर्याप्त है ।

३. क्या ऋण पत्रों को पूरा करने के लिये समवाय की लाभ लेने की क्षमता अच्छी है ।

४. क्या सूद की दर समेत जारी करने की शर्तें उचित हैं ।

५. क्या ऋण पूंजी और आधार अंश पूंजी के बीच समवाय की पूंजी में उचित संतुलन है । ऋण तथा आधार अंश के बीच १ : २ का अनुपात सामान्य माना जाता है । इस कार्य के लिये आधार अंशों में आधार अंश पूंजी और समवाय का रक्षित धन होता है और ऋण में ऋणपत्र तथा प्राप्त किये गये ऋण होते हैं । परन्तु यह ऋण थोड़ी अवधि के ऋण तथा पूर्वाधिकार अंश जो १२ वर्षों से बकाया न हों, नहीं होने चाहियें ।

६. वाहक ऋण पत्रों को जारी करने की अनुमति नहीं दी गई है । ऋण पत्रों का भुगतान केवल पंजीबद्ध व्यक्तियों को ही किया जाता है ।

७. ऋण पत्रों को समाप्त करने की तिथि के निलम्बन के आवेदन पत्र पर तभी अनुमति दी जा सकती है जब अन्यथा न्याययुक्त हों अथवा इस शर्त पर कि निलम्बन स्वीकार न करने वाले ऋणपत्रधारी ऋण पत्र का भुगतान नक़द करें ।

फ़िल्म वित्त निगम

†८५६. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के फिल्म वित्त निगम, बम्बई के पदों के लिये आवेदनपत्र मांगे गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं तो क्या १००० रुपये से अधिक के मासिक वेतन वाले किसी पद पर हाल में ही नियुक्ति की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो नियुक्त व्यक्ति का क्या नाम है और उस की अर्हतायें क्या हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सरकारी विभागों तथा संविहित निगमों से स्थानान्तरण के द्वारा फिल्म वित्त निगम में थोड़े से कर्मचारी भरती किये गये हैं। १००० रुपये से अधिक के मासिक वेतन वाले टैक्नीकल सलाहकार के पद पर सरकार ने हाल में ही श्री ए० भास्कर राव की नियुक्ति की है। यह पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्मस डिवीजन में अतिरिक्त उप निर्माता थे ।

अखिल भारतीय सेवायें

†८५७. श्री हेम राज : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के वर्ग में एक राज्य के व्यक्तियों को दूसरे राज्य में नियुक्त करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) विभिन्न उच्च न्यायालयों में अन्तर्राज्यीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इन कार्यवाहियों के बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों से पहले भी भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के कैंडीडेट का आवंटन करने में यथा-संभव इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाता था। १९५६ के बाद से भारतीय पुलिस सेवा के कैंडीडेटों के आवंटन में भी यथासंभव इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जा रहा है।

(ख) और (ग). उच्च न्यायालयों में भी कुछ नियुक्तियां संबंधित राज्यों से बाहर के राज्यों के व्यक्तियों की हों, इस बारे में भारत सरकार की नीति को राज्यों ने स्वीकार कर लिया है और इसीलिये परिस्थितियां अनुकूल होने पर संबंधित अधिकारियों के सहमत होने पर ऐसी नियुक्तियां की जाती हैं। १ नवम्बर १९५६ से विभिन्न उच्च न्यायालयों में ऐसी तेरह नियुक्तियां हुई हैं ।

अहमदनगर में राष्ट्रीय सेनाछात्र दल का प्रशिक्षण शिविर

†८५८. श्री आसर : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ दिसम्बर १९६० से ७ जनवरी १९६१ तक राष्ट्रीय सेना छात्र दल का प्रशिक्षण शिविर अहमदनगर में हुआ था ;

(ख) उस शिविर में कितने कैडेट थे और उस शिविर का कौन प्रभारी था ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ कैडेटों ने एक विद्यार्थियों के दल जिस में महिलायें भी थीं, और जो किला देखने आया था, के साथ दुर्व्यवहार किया था ;

(घ) यदि हां, तो घटना के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ङ) उस के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) २५ दिसम्बर १९६० से ७ जनवरी १९६१ तक अहमदनगर में राष्ट्रीय सेना छात्र दल का एक शिविर लगाया गया था ।

(ख) शिविर में ५४४ कैडेटों ने भाग लिया था । कैप्टेन आर० एस० ढिलों ओ सी ११ महा-राष्ट्र आर्म्ड स्क्वैड्रन एन सी सी, नागपुर शिविर के कमान्डेंट थे ।

(ग) से (ङ). बताया जाता है कि १ जनवरी १९६१ को एक घटना हो गई थी जिस में कुछ एन सी सी कैडेट तथा हाई स्कूल के विद्यार्थी भिड़ गये थे । ४ मध्यप्रदेश आर्म्ड स्क्वैड्रन के ४० कैडेट जब अहमदनगर में सलाबत खां की कब्र पर से लौट रहे थे उस समय श्रीपुर के श्री विद्यालय हाई स्कूल के विद्यार्थियों जिन में लड़कियां भी थीं, को उन्हों ने कब्र देखने जाते देखा । यह बताया जाता है कि कुछ एन सी सी कैडेटों ने विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया और कुछ लड़कों तथा अध्यापक को पीटा ।

एक जांच न्यायालय से जांच करने के लिये कहा गया परन्तु क्योंकि उस ने सभी गवाहियों को नहीं लिखा इसलिये और जांच के आदेश दिये गये । जांच के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस का ४८वां अधिवेशन

†८५९. श्री हेम बरुआ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस के ४८वें अधिवेशन में अपराध की समस्या, उस के कारण तथा निरोध पर विशेष रूप से चर्चा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस में हुई चर्चा से लाभ हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). यह बताया गया है कि ६ जनवरी, १९६१ को रुड़की में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के ४८वें अधिवेशन में अपराध, उन के निरोध आदि पर एक गोष्ठी हुई थी । निर्णयों अथवा सिफारिशों का कोई प्रतिवेदन सरकार को नहीं मिला है ।

तिरुमलाई वेंकटेश्वर कालिज-दिल्ली

†८६०. श्री रामी रेड्डी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुमलाई वेंकटेश्वर नाम से एक कला और विज्ञान का कालिज नई दिल्ली में आरम्भ किया जा रहा है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उस के लिये कोई धनराशि दी है और यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है ;

(ग) क्या तिरुमलाई-तिरुपति देव स्थानाम बोर्ड ने कोई धनराशि दी है और यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है ;

(घ) किस अध्ययन वर्ष से कालिज चालू हो जायेगा ; और

(ङ) कालिज में क्या क्या पाठ्यक्रम पढ़ाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) दिल्ली विश्वविद्यालय ने तिरुमल-तिरुपति देवस्थानाम न्यास को नई दिल्ली में एक कालिज आरम्भ करने की अनुमति दे दी है। उस का नाम श्री वेंकटेश्वर कालिज होगा और उस में कला और समाज विज्ञान के विषय पढ़ाये जायेंगे।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेजों को कोई धन नहीं देता है। परन्तु उन्होंने इस कालिज को भी अनुदान भागीदार आधार पर देना स्वीकार कर लिया है। यदि कालिज अनुमानों के भुगतान के लिये निश्चित सभी शर्तें पूरी करे।

(ग) तिरुमल-तिरुपति देवस्थानाम के न्यासी बोर्ड ने ५ लाख रुपया देना स्वीकार कर लिया है और कालिज के भवन के लिये ५० प्रतिशत व्यय भी देना स्वीकार कर लिया है।

(घ) १९६१-६२ के अध्ययन वर्ष से।

(ङ) आरम्भ में कालिज में निम्नलिखित पाठ्यक्रम पढ़ाये जायेंगे :--

१. प्रारम्भिक :

अंग्रेज़ी, हिन्दी, मैथेमैटिक्स, इकोनोमिक्स, हिस्ट्री और सिविक्स।

२. बी० ए० (पास)

अंग्रेज़ी, हिन्दी, मैथेमैटिक्स, इकोनोमिक्स, हिस्ट्री, पोलिटिकल साइन्स, तामिल और तेलुगु।

पाकिस्तान को कोयले का निर्यात

†८६१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में पाकिस्तान को कितने टन कोयले का निर्यात किया गया था ;

(ख) १९५९ की तुलना में यह आंकड़े किस प्रकार के हैं ; और

(ग) १९६१ में कितने टन कोयले का निर्यात करने का विचार है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). पाकिस्तान को निर्यात किये गये कोयले की मात्रा नीचे दी जाती है :—

वर्ष	मात्रा (टनों में)
१९५९	८२१,५२४
१९६०	१,२३३,४६६

(ग) भारत-पाकिस्तान व्यापार समझौते के अनुसार १,५६०,००० टन।

मेदवा के पुरातत्व अवशेष

८६२. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किश्तवार (जम्मू और काश्मीर राज्य) से ५० मील दूर मेदवा स्थान पर १६०० वर्ष पुरानी शिव की एक मूर्ति मिली है ;

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या मेदवा स्थान वही स्थान है जिसका उल्लेख कल्हण ने राजतरंगिणी में किया है ; और

(ग) यह मूर्ति इतिहास पर क्या प्रकाश डालती है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, हां। समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि मेदवा में शिव की एक मूर्ति मिली है।

(ख) अब तक पुरातत्व विभाग के अफसर ने इस जगह का निरीक्षण नहीं किया।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल

†८६३. { **श्री तंगामणि** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति एक्स० जोजेफ की यह याचिका मंजूर कर ली है कि केन्द्रीय सरकार सेवा (संशोधन) नियम का नियम ४ (ख) अवैध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस नियम के अधीन कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही वापस लेने का है ; और

(ग) जुलाई, १९६० की हड़ताल में भाग लेने वाले कितने कर्मचारियों के विरुद्ध इस नियम के अधीन कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) उच्च न्यायालय के निर्णय की एक प्रति अभी मिली है। निर्णय का अध्ययन करने के बाद इस पर विचार किया जायेगा कि क्या कार्यवाही की जानी चाहिये।

(ग) जानकारी ज्ञात नहीं है। यह ध्यान रखना चाहिये कि नियम ४(ख) के अधीन हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती है परन्तु इसके अधीन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है जो ऐसे संघ/संस्था का सदस्य हो जिसको बने छः महीने के अन्दर मान्यता नहीं मिली हो अथवा जिसकी मान्यता वापस ली गई हो।

असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंटों की परीक्षा

†८६४. **श्री तंगामणि** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने १९६० में असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेंटों की नियमित अस्थायी स्थापनाओं में पदोन्नति के लिये परीक्षा ली थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति पास हुए और कितने चुने गये ; और

(ग) योग्यता के लिये क्या परीक्षण निश्चित किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) संघ लोक सेवा आयोग ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के असिस्टेंटों में से नियमित अस्थाई स्थापना में विभागाधिकारी बनाने के लिए जून १९६० में एक परीक्षा ली थी।

(ख) और (ग). आयोग ने अभी परीक्षा का परिणाम नहीं भेजा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बन्दरगाहों पर निजी वस्तुओं की घोषणा

†८६५. श्री ले० अचौ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब जहाज भारत के विभिन्न बन्दरगाहों के बीच आता जाता है तब सभी भारतीय बन्दरगाहों पर जहाज के कर्मचारियों से उनकी निजी वस्तुओं की घोषणा कराई जाती है ;

(ख) क्या नाविकों ने यह शिकायत की है कि कर्मचारियों द्वारा निजी सम्पत्ति तथा मुद्रा की घोषणा कराने के बारे में सीमाशुल्क विनियमनों का दुरुपयोग किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत में नाविकों की शिकायतों को दूर करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी हां। परन्तु केवल उन्हीं मामलों में जिनमें जहाज़ विदेश व्यापार करते हों। यह जांच इसलिये आवश्यक है जिससे कर्मचारी अपनी निजी वस्तुओं को गलत रूप में न बेच द।

(ख) सीमा शुल्क अधिकारियों से इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की गई है। भारत सरकार को एक शिकायत मिली थी। जांच करने पर वह निराधार सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की शिकायतें कलकत्ता के एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई हैं।

(ग) क्योंकि शिकायत विनियमनों के सम्बन्ध में न होकर उनके दुरुपयोग के बारे में है इसलिये सीमाशुल्क कलक्टर के परामर्श से विचार किया जा रहा है कि क्या नियमों में कोई रूपभेद किया जा सकता है।

सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों की पाइप लाइन क्षमता

†८६६. श्री ले० अचौ सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के दोनों तेल शोधक कारखानों की क्षमता बढ़ जाने के कारण और रुद्रसागर (आसाम) में और तेल मिल जाने के कारण गोहाटी और बरौनी की पाइप लाइन क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या यह सच है कि यदि तेल शोधक कारखानों की बढ़ी हुई क्षमता का उपयोग करने के बारे में निश्चित आश्वासन नहीं दिया गया तो पाइप लाइन के लिये अतिरिक्त विनियोजन नहीं मिलेगा ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यदि आसाम में और अधिक तेल मिल गया तो पाइप लाइन की क्षमता बढ़ाई जायेगी। तेल मिल जाने पर सरकारी क्षेत्र शोधनशालाओं की क्षमता भी उसी प्रकार बढ़ जायेगी। ऐसा होने पर आशा है कि अतिरिक्त विनियोजन का प्रबन्ध करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

पश्चिम जर्मन ऋण

†८६७. श्री अ० क० गोपालन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला परियोजना के लिये पश्चिम जर्मनी द्वारा स्वीकृत ऋण में से केवल ५२०० लाख जर्मन मार्क[1] व्यय किये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Deutshe mark.

(ख) यदि हां, तो क्या शेष राशि के उपयोग के बारे में कुछ और बातचीत की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो समझौते की क्या शर्तें हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). जनवरी, १९६१ तक रूरकेला परियोजना के लिये स्वीकृत ६६०० लाख जर्मन मार्क में से ५२९० लाख जर्मन मार्क व्यय किया गया था। ऋण की उपलब्धता की अवधि ३१ मार्च, १९६१ से आगे बढ़ाने के लिये तथा शेष धन का उपयोग करने के लिए जर्मनी की फेडेरल रिपब्लिक की सरकार से बातचीत की जा रही है।

आयात

†८९८. **श्री कालिका सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक २ जनवरी, १९६१ संख्या १-आइ टी सी (पी एन)। ६१ की आयात व्यापार नियंत्रण अधिसूचना जिसमें १००० रुपये के अधिकतम मूल्य के बैगेज (सामान) को निःशुल्क आयात करने की अनुमति है, के साथ विदेशी बन्दरगाहों पर से यात्रियों द्वारा वस्तुओं का आयात करने के बैगेज नियमों को देखने पर सामान्यतया सीमा शुल्क कलक्टर किन वस्तुओं को बैगेज करार देते हैं ;

(ख) विदेश में रहने वाले व्यक्ति की निवास अवधि का क्या असर आयात किये जाने वाली वस्तुओं पर होता है;

(ग) क्या गत भूतकाल में सीमा शुल्क अधिकारियों ने यात्रियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के अधिक मामले पकड़े हैं ; और

(घ) यदि हां, तो यह उल्लंघन किस प्रकार के थे तथा कितने थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) यात्री (अपर्यटक) बैगेज, नियम, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३**] व्यक्तिगत प्रयोग में आने वाली वस्तुओं, जैसे पहनने के कपड़े, के अतिरिक्त इन नियमों में बैगेज की कुछ रियायतें दी गई हैं परन्तु नियमों में बताई गई शर्तों तथा सीमाओं के अतिरिक्त व्यक्तिगत वस्तुओं को भी छूट दी जाती है। उदाहरणतः जवाहरात, उपयोग में लाई जानेवाली वस्तुयें, जैसे हाथ घड़ी, फाउन्टेन पेन, इलैक्ट्रिक शेवर, इलैक्ट्रिक आयरन, क्राकरी, तथा वस्त्र, क्यूरियों, सौवेनीर तथा उपहार की वस्तुयें, जैसे खिलौने, श्रृंगार के सामान और मिठाइयां।

(ख) भाग (क) में बताये गये अनुसार बैगेज नियमों के नियम ५ में इसके बारे में व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ). नये बैगेज नियम १-१-६१ से लागू हुए हैं। सरकार को जो रिपोर्ट मिली हैं उनसे पता लगता है यात्री उतनी ही सीमा में वस्तुयें लाते हैं जितने की उनको निःशुल्क लाने की अनुमति है और ऐसे मामले बढ़े नहीं हैं।

उड़ीसा में कोयला क्षेत्र

†८९९. **श्री संगण्णा** : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल सुविधाओं की कमी के कारण सुन्दरगढ़ जिले (उड़ीसा) में कोयले वाले क्षेत्रों से कोयला नहीं निकाला जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या राय है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जी नहीं। वास्तव में दक्षिण पूर्व रेलवे लाइन कलकत्ता से बम्बई तक इस क्षेत्र से होकर गुजरती है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पश्चिम बंगाल में स्मारकों का संरक्षण

†८७०. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल के पुरातत्वीय अवशेष और मन्दिरों के संरक्षण के लिये पिछले तीन साल में पश्चिमी बंगाल सरकार को कोई अनुदान दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस अनुदान का उपयोग किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली प्रशासन के सफाई कर्मचारी

८७१. **श्री बाल्मीकी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के कार्यालयों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को दूना काम करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो भंगी-व-चौकीदार और फर्राश का एक साथ काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां, कुछ कार्यालयों में।

(ख) १०।

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

८७२. **श्री बाल्मीकी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६० और १९६०-६१ में अनुसूचित जातियों के कितने विद्यार्थियों को (राज्य-वार) छात्रवृत्तियां दी गईं; और

(ख) सबसे अधिक पिछड़े हुए वर्गों का, इस विषय में, कहां तक ध्यान रखा गया ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४]

उच्च माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक

८७३. **श्री बाल्मीकी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग ने पिछले पांच वर्षों में उच्च माध्यमिक स्कूलों (हायर सेकेण्डरी स्कूलों) में कितने अध्यापक नियुक्त किये ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इनमें कितने अध्यापक अनुसूचित जाति के हैं; और

(ग) क्या उनकी संख्या अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित अभ्यंश (कोटे) के अनुसार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयात किये गये तेल की खरीद

†८७४. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री नारायणनकुट्टि मेनन : }

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार के परिवहन निगम के लिए आयात किये गये तेल की खरीद के सम्बन्ध में पंजाब सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इण्डियन आयल कम्पनी और पंजाब सरकार के बीच कोई करार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) से (ग). पंजाब राज्य परिवहन विभाग को हाई स्पीड डीजल तेल की सप्लाई के सम्बन्ध में मेसर्स इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड और पंजाब सरकार के साथ अभी बातचीत चल रही है। अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।

आई० ए० एस० आदि परीक्षायें

†८७५. **श्री कालिका सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री अक्तूबर, १९६१ में होने वाली आई० ए० एस० आदि परीक्षाओं के बारे में दिनांक २८ जनवरी, १९६१ के गजट आफ इण्डिया, भाग १, सैक्शन १, के पृष्ठ १९ में अधिसूचना संख्या २०/२२/६०--एआई एस (१), नयी दिल्ली, १९ जनवरी, १९६१ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन सेवाओं के लिए परीक्षा होने वाली है उनमें से प्रत्येक में अस्थायी रूप से कितने रिक्त स्थान हैं;

(ख) क्या पहले की परीक्षाओं के बाद जारी की गयी प्रतीक्षा सूचियों में अभी भी ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें नियुक्तियां नहीं, प्राप्त हुई हैं; यदि नहीं, तो प्रत्येक सेवा में नियुक्त किये जाने वाले उम्मीदवारों में से संख्या किस प्रकार निर्धारित की जाती है ;

(ग) क्या हिन्दी का ज्ञान उम्मीदवारों के लिये कुछ लाभदायक होगा; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५]**

(ख) जी नहीं। विभिन्न सेवाओं में उम्मीदवारों का चुनाव योग्यता सूची में उनके स्थान के आधार पर किया जाता है लेकिन जिन विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की हो उस पर भी ध्यान दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). सेवा में प्रवेश पाने के बाद विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिये हिन्दी का ज्ञान लाभदायक होगा ।

रिजर्व बैंक की नीति

†८७६. **श्री कालिका सिंह:** क्या वित्त मन्त्री २३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारिता आन्दोलन के लिये किसानों को मदद करने की रिजर्व बैंक की योजना को और अधिक उदार बनाने के प्रश्न की छानबीन पूरी हो गयी है और यदि हां तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है;

(ख) क्या रिजर्व बैंक उत्तर में उल्लिखित विशेष विकास ऋण पत्रों के लिये उचित अंशदान दे रहा है और यदि हां तो वह अंशदान कितना है; और

(ग) भारत की कृषि सम्बन्धी अर्थव्यवस्था की सहायता के लिये रिजर्व बैंक और दूसरे क्या-क्या प्रयत्न कर रहा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) मझली अवधि के ऋणों के लिये वर्तमान ऋण-सीमाएं सुलभ करने के बारे में सहकारी ऋण सम्बन्धी मेहता समिति ने जो सिफारिशें की हैं उन्हें रिजर्व बैंक ने सिद्धान्त रूप से मान लिया है । प्रक्रिया सम्बन्धी ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है ।

(ख) सेण्ट्रल लैण्ड मार्टगेज बैंक ने अभी तक कोई विशेष विकास ऋणपत्र जारी नहीं किये हैं और इसलिये रिजर्व बैंक द्वारा कोई अंशदान दिये जाने का प्रश्न अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है ।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ऋण देने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की यह कोशिश है कि पर्याप्त ऋण सुविधाओं की व्यवस्था कर विभिन्न स्तरों पर सहकारी ऋण संगठनों को अधिक सुदृढ़ बनाया जाये । यह बैंक राज्यों के सहकारी बैंकों को रियायती दर पर थोड़ी अवधि और मझली अवधि के ऋण देता है ताकि वे खेती सम्बन्धी कामकाज के लिये धन दे सकें और राज्य-सरकारों को सहकारी बैंकों की शेयर खरीदने के लिये दीर्घकालीन ऋण और पेशगियां दे सकें । यह बैंक सेन्ट्रल लैण्ड मार्टगेज बैंकों को दीर्घकालीन ऋण और पेशगियां देकर तथा इन बैंकों द्वारा जारी किये गये साधारण और ग्रामीण ऋण पत्रों को खरीदकर उन्हें मदद भी करता है ।

सेना के कर्मचारियों के लिये जमीनें

†८७७. **श्री राम गरीब :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृत्ति या रिहाई के बाद उनकी सेवाओं की मान्यता के लिए जो खेती की जमीन दी गयी है क्या उससे उन्हें केवल पैदावार लेने का अधिकार है या उन पर उनका पूर्ण स्वामित्व होता है और उन्हें उनके हस्तान्तरण के भी अधिकार हैं; और

(ख) इस विषय में यदि कोई नियम बनाये गये हों तो क्या उनकी प्रतिरक्षा सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) सेना कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या रिहाई के बाद उनकी सेवाओं की मान्यता के लिए आजकल खेती की कोई जमीन नहीं दी जाती ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रुद्रसागर में तेल के निक्षेप

†८७८. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सबसे हाल के अनुमान के अनुसार असम में रुद्रसागर क्षेत्र में ५ करोड़ टन तेल का निक्षेप हैं;

(ख) रुद्रसागर में कितने कुएं खोदे जा चुके हैं;

(ग) इन कुओं की औसतन गहराई कितनी है; और

(घ) अशोधित तेल साफ करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) असम स्थित रुद्रसागर में इस दशा में कोई विश्वसनीय अनुदान नहीं लगाया जा सकता कि वहां कितना अशोधित तेल है जो निकाला जा सकता है ।

(ख) और (ग). एक / ३८१७ मीटर

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैसूर में पिछड़े वर्गों के छात्रों के मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†८७९. **श्री सद्दिया** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में १९६०–६१ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां देने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो १९६०–६१ में मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को अलग-अलग कुल कितनी रकम दी गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत में मट्रिक के बाद के अध्ययन के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति ों की भारत सरकार की योजना १९५९–६० से विकेन्द्रित कर दी गई थी। राज्य सरकारों के लिये यह जरूरी होता है कि वे तिमाही प्रगति विवरण भारत सरकार को भेजें। पिछली तिमाही की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। इसलिये यह बताना संभव नहीं है कि १९६०–६१ के लिये सभी छात्रवृत्तियों के संबंध में मैसूर सरकार ने अन्तिम निर्णय किया है अथवा नहीं और अब तक कुल कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ।

उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम

†८८०. **श्री कुम्भार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोष जमा और बैंक बचत मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों द्वारा वापिस लेने के लिये भारत सरकार ने अब तक किस प्रकार के उत्तराधिकार-नियम बनाये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत में विभिन्न बैंकों की अनेक शाखाओं में रकमें निकालने के अब तक कितने मामले विचाराधीन पड़े हैं, और उन की रकम क्या है; और

(ग) मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों द्वारा यह बचत ठीक ढंग से निकाले जाने के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जहां तक भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं का संबंध है, १९५९ में इस उद्देश्य से विधान बनाया गया था कि डाकखाना बचत बैंको में रुपया जमा करने वालों और बचत प्रमाण पत्र रखने वालों के उत्तराधिकारी प्रशासन पत्र, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या अधिकार संबंधी अन्य वैध प्रमाण प्रस्तुत किये बिना भुगतान प्राप्त कर सकें । उस के अनुसार १ अगस्त, १९६० से यह सुविधा दी गई है कि रुपया जमा करने वाला किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नामजद कर सकता है जो उस की मत्यु के बाद भुगतान लेने के अधिकारी होंगे । तत्संबंधी नियम अर्थात सरकारी ऋण (संशोधन) नियम, १९६० और डाकखाना बचत बैंक (नाम निर्देशन) नियम, १९६० की प्रतियां ११ अगस्त, १९६० को सभा पटल पर रखी गयीं थीं ।

अनुसूचित तथा अन्य व णिज्यिक बैंकों में जमा या निदेश के संबंध में, जमा करने वालों या निवेश करने वालों के मरने पर बकाया रकमों का भुगतान उत्तराधिकार आदि संबंधी विधि के सामान्य उप-बन्धों के अनुसार किया जाता है ।

(ख) विभिन्न बैंकों की अनेक शाखाओं में रकमें निकालने के विचाराधीन मामलों की संख्या और रकमों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओ के मामले में नामजद करने की व्यवस्था का समाचारपत्रों तथा विज्ञापन के अन्य साधनों द्वारा काफी प्रचार किया गया है ।

दिल्ली प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग

८८१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के काम में हिन्दी का उतरोतर प्रयोग करने के लिये जो प्रारम्भिक कदम उठाये गये हैं, क्या उन के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी उर्दू रिपोर्ट की प्रति देवनागरी लिपि में मांगे तो वह उस को मिल सके; और

(ख) यदि अब तक ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है तो, इसे करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं ।

(ख) हिन्दी के उतरोत्तर अधिक प्रयोग को सुलभ बनाने के लिये कर्मचारियों को हिन्दी प्रशि-क्षण दिया जा रहा है तथा अन्य प्रारम्भिक कदम उठाये गये हैं ।

सेक्शन अफसरों के ग्रेड

†८८२. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री वारियार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का मूल आशय यह था कि १ नवम्बर, १९५९ से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो के संशोधित वेतन क्रम लागू किये जायें;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या संशोधित वेतन क्रम लागू करने की तारीख बाद में २ अगस्त, १९६० को १ जुलाई, १९५९ कर दी गयी;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सेक्शन अफसरों के ग्रेड २ और १ में मिला दिये जाने के कारण, ग्रेड ३ के सेक्शन अफसरों को जिन की ग्रेड २ में पदवृद्धि १ जुलाई और १ नवम्बर, १९५९ के बीच हुई थी, भारी वित्तीय नुकसान हुआ है; और

(घ) क्या इस बात के लिये कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है कि उन अफसरों को एकीकृत वेतन क्रम में अपने पद उपलब्धियां और वृद्धियों के मामले कोई नुकसान न हो, और यदि हां, तो क्या ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ). १ जुलाई, १९५९ से केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सेक्शन अफसरों के दो ग्रेड मिला कर एक ग्रेड बना दिया गया और इस कारण उस तारीख से ग्रेड ३ और ग्रेड २ अलग अलग नहीं रहे। इसलिये उस तारीख के बाद ग्रेड २ में जो पद वृद्धियां हुई वे निष्प्रभावी हो गयीं और संबंधित व्यक्ति सेवा के ग्रेड २ के लिये अलग से निर्धारित पुराना वेतन लेने के हकदार नहीं रहे और वे वे केवल एकीकृत ग्रेड का संशोधित वेतन ही ले सकते हैं: यही बात अन्य सेवाओं के लिये भी है जहां वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सीधी पद वृद्धि की दिशा में दो ग्रेड मिला कर एक ग्रेड बना दिया गया है। फिर भी ऐसे मामलों में वेतन में कर्मी के लिये कुछ संरक्षण देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण

†८८३. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद में इंडियन स्कूल आफ माइन्स एण्ड अप्लाइड जिओलोजी में १९५७ से कितने छात्रों को पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण मिल रहा है;

(ख) वे संभवतः कब तक अपना शिक्षाक्रम पूरा कर लेंगे ;

(ग) असम या बिहार में तेल शोधक कारखाने पूरी तरह तैयार हो जाने से पहले उन की सेवाओं का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा; और

(घ) क्या इस बीच की अवधि में और आगे प्रशिक्षण के लिये उन्हें विदेश भेजने की कोई योजना है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). २९ छात्रों का पहला दल, जिन्हें जुलाई, १९५७ में भरती किया गया था, मार्च, १९६१ में अपना शिक्षा क्रम पूरा कर लेगा।

(ग) धनबाद में पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी के शिक्षा क्रम में पैट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड एक्सप्लोरेशन के प्रशिक्षण की व्यवस्था है और तेल शोधन संबंधी विशेष ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं है यद्यपि यह परीक्षा के लिये एक विषय अवश्य है। धनबाद में इंडियन स्कूल आफ माइन्स एंड अप्लाइड जिओलोजी के छात्रो की सेवाओं के उपयोग के सम्बन्ध में कोई निश्चित योजना नहीं है। उन्हें सामान्य रूप में संबंधित कम्पनियों में उचित रोजगार प्राप्त करना होता है।

(घ) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

फुलारा आयल मिल, उपलेटा में उत्पादन-शुल्क अधिकारियों की दौड़

†८८४. **श्री क० उ० परमार** : क्या **वित्त** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सौराष्ट्र (गुजरात राज्य) में फुलारा आयल मिल, उपलेटा में, केन्द्रीय उत्पा-दन शुल्क विभाग की दौड़ आयी थी और तेल के ऐसे हजारों टीन मिले जिन पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नहीं दिया गया था. और

(ग) यदि हां, तो उस विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं। फुलारा आयल मिल में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियो ने अपनी दौड़ में तेल का कोई टिन जब्त नहीं किया। इस मामले में तथ्य यह है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त मिल का निजी हिसाब किताब जांचने पर यह मालूम हुआ कि कुछ पार्टियों से खरीदी गयी मूंगफली का हिसाब उस फैक्टरी में नहीं दिखाया था। बाद में जांच पड़ताल के बाद यह पता लगा कि उस मूंगफली से निकाला गया तेल भी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के लिये हिसाब में नहीं दिखाया गया था और शुल्क भुगतान किये बिना ही वह तेल दूसरी जगह हटा दिया गया। इस प्रकार उस फैक्टरी ने सभवतः ९३ टन २ हंडरवेट ३ क्वार्टर १६ पौंड बनस्पति सुगंधिहीन तेल पर उत्पादन शुल्क बचा लिया।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों का उल्लघन करने के लिये इस पार्टी के विरुद्ध विभाग कार्यवाही कर रहा है।

दिल्ली में माध्यमिक शिक्षा के लिये अलग बोर्ड

†८८५. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह मांग की गई है कि दिल्ली में माध्यमिक शिक्षा के लिये एक अलग बोर्ड बनाया जाय; और

(ख) यदि हां, तो यह मांग कब तक पूरी हो जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). दिल्ली में पहले से ही एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड काम कर रहा है। फिर भी, दिल्ली में एक केन्द्रीय बोर्ड स्थापित करने का विचार है। इस की सेवाय दिल्ली के स्कूलों को और भारत की या भारत के बाहर की उन शैक्षिक संस्थाओं को उपलब्ध हो सकेंगी जो बोर्ड द्वारा ली जाने वाली उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिये विद्यार्थी तैयार करना चाहें। आशा है कि नये बोर्ड की स्थापना जल्दी ही हो जायेगी।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिए नैतिकता सम्बन्धी भाषण

८८६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों में नैतिकता की भावना जागृत करने के लिये एक भाषण-माला का आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक किये गये प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या विशेषज्ञों को भाषण देने के लिये कोई पारिश्रमिक भी दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो कितना;

(ङ) अब तक कितने भाषण कराये गये हैं; और

(च) इन भाषणों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कालिजों, वाणिज्य तथा व्यापार संगठनों के कार्यालयों आदि में भिक्षु चमन लाल द्वारा सामाजिक व्यवहार संबंधी समस्याओं से संबंधित एक भाषण-माला का संयोजन किया है।

(ग) और (घ). दो मास की अवधि के लिये रहने,भोजन तथा यात्रा का वास्तविक व्यय अदा करने का विचार था परन्तु भिक्षु चमन लाल ने प्रशासन को सूचित किया है कि उन्हों ने स्वयं अपना प्रबन्ध कर लिया है ।

(ङ) चार भाषण दिये गये हैं ।

(च) ऐसे भाषणों के प्रभाव का मूल्यांकन करना कठिन है, परन्तु इन से एक स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक वातावरण अवश्य उत्पन्न होता है ।

निर्वाचन याचिकाएं

†८८७. **श्री बै० ना० कुरील** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ के लोक सभा चुनाव के बारे में कितनी निर्वाचन याचिकायें निर्वाचन आयोग के पास आयी हैं; और

(ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ८५ और ८६ के अधीन अलग अलग कितनी निर्वाचन याचिकायें निर्वाचन आयोग ने निबटायीं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) १९५७ के लोक सभा चुनाव के बारे में निर्वाचन आयोग को ५९ निर्वाचन याचिकायें प्राप्त हुई ।

(ख) इस में से १ निर्वाचन याचिका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ८५ के अधीन खारिज कर दी गयी और ५७ याचिकायें धारा ८६ के अधीन निर्वाचन न्यायाधिकरणों को मुकदमे के लिये सौंप दी गयी । इस के साथ ही १ याचिका को अधिनियम की धारा ११० के अधीन वापिस लेने की अनुमति दी गयी ।

बट्टे खाते डाला गया आय कर

†८८८. **श्री क० दा० परमार** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद में १९५५, १९५६, १९५७, १९५८, १९५९ और १९६० में आय कर की कुछ रकमें बट्टे खाते डाली गयीं ;

(ख) यदि हां तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) यह किन परिस्थितियों में किया गया ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १९५५ और १९५६ में कोई रकम बट्टे खाते नहीं डाली गयी लेकिन १९५७, १९५८, १९५९ और १९६० में कुछ रकमें बट्टे खाते डाली गयीं ।

(ख) और (ग). आयकर अधिनियम की धारा ५४ में उल्लिखित वैधानिक निषेध को देखते हुए ये ब्यौरे देना सम्भव नहीं है ।

सोने का भाव

†**८८९. श्री गु० क० जेधे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोने का भाव रोकने और उस पर नियन्त्रण रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से सरकार ने सोने का पायात बन्द कर दिया है । चोरी से सोना लाना रोकने के लिये भी कार्यवाही की गयी है । इस सन्दर्भ में यह नगण्य है कि इस देश में किस भाव पर सोना बेचा-खरीदा जाता है ।

फिर भी सट्टेबाजी को रोकने के लिए, वृहत्तर बम्बई की सीमा के अन्तर्गत सोने का वायदा सौदा वायदा सौदा अधिनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया है । बम्बई बुलियन असोसियेशन लिमिटेड अब वायदा बाजार आयोग के निरीक्षण में सोने का वायदा व्यापार चलाता है ।

महाराष्ट्र और मैसूर का भूगर्भीय सर्वेक्षण

†**८९०. श्री गु० क० जेधे** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला और तेल निक्षेप ढूंढने के उद्देश्य से पश्चिमी घाट और महाराष्ट्र के समुद्र-तटीय प्रदेश और मैसूर राज्य पूरा भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर हां हो, तो उसका क्या ब्यौरा है और किन किन जगहों (जिलों) में तेल और कोयला मिला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री क० दे० मालवीय)**: (क) जी नहीं । फिर भी भारतीय **भूगर्भ** सर्वेक्षण ने पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र के समुद्र तटीय प्रदेश और मैसूर राज्य में कुछ खोजबीन की थी ।

(ख) इन क्षेत्रों में न तो चट्टानों की बनावट तेल की खोज के लि ` सुविधाजनक है और न ही इन क्षेत्रों में फर्मों कार्बनिफेरस तथा टर्शियरी फार्मेशन्स हैं जिनमें कोयले की परतें होने की सम्भावना हो ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

शिक्षण संस्थाओं के लिये वैज्ञानिक उपकरण

८९१. श्री रा० च० शर्मा : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षण संस्थाओं को उचित मूल्य पर वैज्ञानिक उपकरण देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) आयात होने वाले उपकरणों का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) सूचना नीचे दी है :—

(१) जो उपस्कर देश में वाजबी कीमत पर आसानी से नहीं मिलते उनके लिये शिक्षा संस्थाओं को विदेश से उपस्कर मंगाने के लिये विदेशी मुद्रा और आयात लाइसेंस दिये जाते हैं।

(२) ये संस्थायें विदेशों से जो वैज्ञानिक और तकनीकी सामान मंगाती हैं उस पर कुछ शर्तों के अधीन ड्यूटी माफ कर दी जाती है ;

(३) सब संस्थाओं को सामान की एक माडल सूची भेजी जाती है। इसमें अच्छे निर्माताओं की कीमतों की दरें भी दी रहती हैं। जहां मुमकिन है वहां मन्त्रालय के क्षेत्रीय दफ्तर ठीक कीमतों पर सामान लेने में संस्थाओं की मदद करते हैं। संस्थाओं को सामान मंगाने की ठीक जगहें भी बताई जाती हैं।

(ख) विदेशों से आने वाले उपस्कर पर कोई खास कीमत कण्ट्रोल नहीं हैं।

सभा में शिष्टाचार का पालन

†**श्री अमजद अली** (धुबरी): श्रीमान् मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह ठीक है कि सभा में प्रवेश करते समय हर सदस्य को अध्यक्ष के सम्मुख झुकना चाहिये लेकिन मुसलमान, केवल खुदा ही के आगे झुकता है। इसलिये हमें धार्मिक दृष्टि से थोड़ी आपत्ति हो सकती है। मगर इसे गलत न समझा जाय।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : यहां पर झुकना केवल नम्रता दिखाने के लिए है। इसमें धर्म का दखल नहीं होना चाहिये।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : शायद मेरे मित्र को इस्लाम के अहकाम के बारे में गलतफहमी है। यहां पर केवल सम्मान के लिये झुका जाता है। खुदा के आगे झुकना दूसरी बात है।

†**श्री त्यागी** : आखिर मुसलमान भी अपने मां बाप की इज्जत करते हैं और उनके आगे झुकते हैं।

†**श्री अमजद अली** : मैं सम्मान प्रदर्शन करने के लिये हाथ खड़े कर सकता हूं लेकिन झुकना तो झुकना ही है।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : आज तक ऐसा प्रश्न नहीं उठा। मुसलमानों को सम्मान के लिये झुकना निषिद्ध नहीं है।

(इस समय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सतीशचन्द्र चलते देखे गये)

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय उपमन्त्री को अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। सभी सदस्यों को शिष्टाचार का पालन करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जहां तक धार्मिक दृष्टि से आपत्ति का सम्बन्ध है यदि कोई सदस्य झुकने को धर्म के विरुद्ध मानता है तो वह न झुके।

†**श्री मुरारका** (झुंझुनूं) : श्री अमजद अली ने ९ वर्ष के बाद यह प्रश्न आज ही क्यों उठाया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: श्रीमान् मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे पता नहीं था कि यहां क्या हो रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को सभा में प्रवेश करते समय आदरपूर्वक अध्यक्ष की ओर दृष्टि करके झुकना चाहिये। उन्हें यहां पर इस तरह से नहीं आना चाहिए जिससे यह प्रतीत हो कि वह लड़ने आए हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मध्य-भारत और भोपाल मुस्लिम वक्फ बोर्ड (विघटन) आदेश

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**: श्रीमान् मैं वक्फ अधिनियम १९५४ की धारा ६६-क की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २८ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११७ में प्रकाशित मध्य भारत और भोपाल मुस्लिम वक्फ बोर्ड (विघटन) आदेश, १९६१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी—२६८९।६१]

समुद्र-सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, और नमक अधिनियम के अधीन जारी की गयीं अधिसूचनाएं

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : श्रीमान् मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १८७।

(दो) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १८८।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—२६९१/६१]

लोक-सहायक सेना (संशोधन) नियम

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : श्रीमान् मैं लोक सहायक सेना अधिनियम, १९५६ की धारा ११ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४०६ में प्रकाशित लोक सहायक सेना (संशोधन) नियम, १९६० की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—२५३९।६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसाम में रहने वाले बंगालियों के नाम मतदाताओं की सूची में दरज करना

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : श्रीमान्, नियम १९७ के अधीन मैं विधि मन्त्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"आसाम में रहने वाले बंगालियों द्वारा मतदाताओं की सूची में अपने नाम दरज कराने के बारे में कठिनाई ।"

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : श्रीमान्, भारत सरकार को किसी ऐसी कठिनाई का ज्ञान नहीं हैं । किन्तु यह कहा गया है कि नाम दर्ज कराने के लिये बंगालियों से यह सबूत मांगा जा रहा है कि वे आसाम में १९ जुलाई १९४८ से पहले आकर बसे हैं । नाम दरज कराने की पहली शर्त यह है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिये । आसाम में जो बंगाली पैदा हुए वे स्वाभाविक रूप से भारत के नागरिक हैं । किन्तु आसाम में पूर्वी बंगाल से आये हुए अनेक विस्थापित भी हैं । वे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं यदि वे १९ जुलाई १९४८ से पहले भारत में आए अथवा उन्होंने नागरिकता अधिनियम की धारा ५(१) के अन्तर्गत अपना नाम दरज कराया । विस्थापित व्यक्तियों को मतदाता बनने के लिये इन शर्तों में से एक को पूरा करना पड़ेगा ।

किन्तु विस्थापित व्यक्तियों के नाम दरज कराने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है । आसाम की सरकार ने समस्त जिला अधिकारियों को यह हिदायत दे दी है कि वे विस्थापित व्यक्तियों को नाम दर्ज कराने के मामले में पूरी सुविधायें दें । उन्हें कहा गया है कि जो व्यक्ति आवेदन दें, वह उसके आवेदन पर ध्यान दें और शीघ्र ही उसका निपटारा करें । निर्वाचन आयोग ने भी मुख्य निर्वाचक अधिकारी को यह हिदायत दे दी है कि वह इस तरह से कार्यवाही करें कि किसी को किसी तरह की शिकायत न हो । निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुसार आसाम राज्य की निर्वाचक सूची का एक भाग ही दुबारा देखा जा रहा है । अर्हता प्राप्त (क्वालीफाइड) मतदाताओं को भरती करने के लिये हर प्रकार का ध्यान रखा जा रहा है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : १९५५ या १९५६ में बंगालियों से ऐसी चीज नहीं मांगी गयी । नागरिकता प्रमाणपत्र के लिए उन्हें काफी खर्चा करना पड़ेगा ।

†**श्री अ० कु० सेन** : यह कठिनाई १९५५ और १९५६ में भी हुई थी । जहां तक भारतीय नागरिकता का सम्बन्ध है जिस व्यक्ति ने १९ जुलाई १९४८ से पहले भारत में पदार्पण किया है वह स्वयमेव भारत का नागरिक है । इस कारण यदि वह निर्वाचन की सूची में नहीं है तो उसे सबूत तो देना ही होगा । जो लोग १९ जुलाई १९४८ के बाद आए हैं उन्हें आवेदन देना होगा । यदि माननीय सदस्य परिपत्र की प्रति दें तो मैं उसे अवश्य देखूंगा । उन्हें वह परिपत्र तुरन्त भेजना चाहिए । यदि १९ जुलाई, १९४८ से पहले आए विस्थापितों से भी इसी प्रकार की मांग की जा रही है तो यह बात निश्चय ही गलत है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम) : परन्तु इस बात पर भी क्यों ज़ोर दिया जा रहा है कि परिवार का हर सदस्य सबूत पेश करे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री अ०कु० सेन :** इस के बारे में उनसे कह दिया जायेगा। परन्तु माननीय सदस्यों को स्पष्ट बातें बतानी चाहिएं।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : जो अफसर नाम दर्ज करने का काम कर रहे हैं क्या वे राज्य सरकार की हिदायतों के अनुसार कर रहे हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन :** यह सब निर्वाचन आयोग के अधीन ही हो रहा है। नीति संबंधी मामलों के निर्धारण के लिए अधिनियम के अनुसार काम किया जाता है दूसरी बात प्रशासनिक नीति के बारे में है। प्रशासन में यह कठिनाइयां आती हैं। इनमें भी मुख्य निर्वाचक अधिकारी समय समय पर हिदायतें देता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी ने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कहा है कि वह राज्य का दौरा करे और यह देखे कि उसकी हिदायतों का पालन हो रहा है या नहीं।

†**श्री त्यागी :** क्या राज्य सरकार को ऐसी शर्त रखने का अधिकार है ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (मालदा) : जब एक व्यक्ति विस्थापित होने का प्रमाण पत्र दे दे उसे ही काफी समझा जाना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि कोई स्पष्ट मामला हो तो उसको बताइए।

†**श्री अ० कु० सेन :** यदि यही बात, कि परिवार के मुखिया के अलावा अन्य लोगों को भी प्रमाण पेश करने के लिए कहा जाता है, मुझे पहले ही बता दी जाती तो मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त से इस संबंध में जांच करने को कहता।

†**श्री मानन** (दार्जीलिंग) : ऐसा ही कठिनाइयां नेपालियों के सामने भी हैं। जो नेपाली १९५२ में पंजीवद्ध थे उन्हें भी अब शामिल नहीं किया जा रहा। यह बड़ी गंभीर बात है।

†**श्री अ० कु० सेन :** नेपाल के लोगों की कठिनाइयां उतनी ही हैं जितनी कि बंगालियों की। यह चीजें अवैध हैं अतः इन की जांच की जायगी।

रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा--जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा पुनः रेलवे बजट पर चर्चा जारी करेगी। श्रीमती कृष्णा मेहता अपना भाषण जारी रखें।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं ने कल कहा था, मैं रेलवे मंत्रालय को और रेलवे बोर्ड को बधाई देती हूं उनके काम के लिए।

श्रीमान् विभाजन के पश्चात् इस लम्बे समय में रेलवे को काफी सुधार करना पड़ा। मंत्रालय के सामने बहुत कठिनाइयां थीं। विभाजन के समय ६६०० मील लाइन कम हुई और ७७०० मील रेलवे लाइन भारत को मिली। सन् १९४९ में रियासतों से जो रेलवे लाइनें मिली वे ३२ पुरानी रेलवे लाइनें थीं। इन सब को ठीक से चलाना, अनुभवी कार्यकर्त्ताओं का चुनना और प्रशासन का काम ठीक ढंग से चलाना, ये सब कठिनाइयां रेलवे मंत्रालय के सामने थीं।

रेलवे मंत्रालय ने दस साल पहले करोड़ों रुपए रियासतों की रेलवे लाइनों को ठीक करने के लिए खर्च किए। मैं तो अपनी रियासत की बात आपके सामने रखती हूं। उस समय जब कि सब

रियासतों की लाइनों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए तो आपने जम्मू काश्मीर की रेलवे लाइन को किसलिए भुला दिया था । मैं तो यह कहे बिना नहीं रह सकती कि यह जम्मू काश्मीर की जनता के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है । फर्क यह था कि जम्मू की जो लाइन थी उसको आक्रमणकारियों ने आक्रमण के समय नष्ट कर दिया था । मैं मानती हूं कि उस समय वह रास्ता दूसरा था जिसको जम्मू काश्मीर की जनता अपनाना नहीं चाहती थी । आज भी वहां बोर्ड लगा हुआ है जिसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, जम्मू रेलवे स्टेशन । आज भी वह स्थान है जिसको कहा जाता है जम्मू रेलवे स्टेशन रोड । लेकिन ये सब चीज़ें होते हुए भी आज वहां सूना पड़ा है । अभी तक रेलव का वहां कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है ।

रेलवे बोर्ड को तथा रेलवे मंत्रालय को मैं प्रति वर्ष की तरह यह बात याद दिला रही हूं, परन्तु उस याद दिलाने और आज के याद दिलाने में कुछ फर्क है । सन् १९५९ में मैंने मिनिस्टर साहब से प्रार्थना की थी और जम्मू तथा काश्मीर की जनता के विचार इस हाउस में बतलाए थे । तो उनका ध्यान इस तरफ गया था । उसके लिए मैं मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड को बधाई देती हूं और उनको धन्यवाद भी देती हूं ।

(श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए)

लेकिन आज तक माधोपुर कठुआ लाइन जो कि लगभग ६ मील की है बनी ही नहीं । क्या हम आशा कर सकते हैं कि आगामी वर्ष तक वहां की रेलवे लाइन का काम पूरा हो जाएगा । सन् १९५८-५९ के रेलवे बजट में कोई धन माधोपुर और जम्मू लाइन के लिए नहीं रखा गया था, किन्तु सन् १९५९-६० के बजट में माधोपुर कठुआ की लाइन की तरफ ध्यान गया । सन् १९६१-६२ के अपने बजट भाषण में रेलवे मंत्री जी ने कहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक कार्रवाई लाइनों की की जाएगी जिनकी लम्बाई ५४० मील है । इसमें माधोपुर कठुआ की लाइन ६ मील की है । मैं सदन के सामने यह कहना चाहती हूं कि सारे भारतवर्ष में ५४० मील लम्बी लाइन की योजना है जिसमें से हमारे हिस्से में केवल ६ मील लाइन आयी है । मैं तो यह कहूंगी कि तीसरी योजना में जो यह ५४० मील लाइन बनाने की योजना है इसमें जम्मू तक रेलवे लाइन पहुंचाने का इन्तिज़ाम किया जाना चाहिए । मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बताया था कि तीसरी योजना में माधोपुर कठुआ लाइन को बढ़ाकर जम्मू तक ले जाया जाएगा । इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं । इसके साथ ही मेरा यह नम्र निवेदन है कि आपने जो यह कहा है कि यातायात की संभावना निर्धारित करने के लिए प्रारम्भिक जांच की जाएगी, ये शब्द मेरी समझ में नहीं आए । इन शब्दों को बदला जाए और यह किया जाए कि तीसरी योजना के अन्त तक जम्मू की लगभग ६० मील की लाइन बनायी जाएगी । इससे बहुत महत्व का काम होगा और वहां की जनता को बहुत संतोष होगा और उनका यह गिला भी दूर हो जाएगा कि अभी तक हमारी ६० मील की लाइन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है जब कि देश में चारों ओर रेलवे लाइनें बिछायी जा रही हैं । लोगों का कहना है कि हमें क्यों यह लाइन नहीं दी जाती ।

रेलवे मंत्रालय को मैं यह भी भरोसा दिलाती हूं कि जम्मू काश्मीर में जो रेलवे लाइन बनायी जाएगी वह घाटे पर नहीं चलेगी । आप देखें कि रेलवे लाइन होने से वहां उद्योग धन्धे बहुत उन्नति करेंगे । इसके अलावा कोयला आदि बहुत से मिनरल भी वहां पाए जाते हैं । वहां की सरकार ने हिसाब लगाया है कि रियासत में जो कोयला कालाकोट और जंगलगली में होता है उसको नारदर्न रेलवे अपने खर्च के लिए खरीदे तो उससे बहुत फायदा हो सकता है क्योंकि अभी रेलवे को कोयला बहुत दूर से लाना होता है । वह कोयला बहुत सस्ता पड़ सकता है । तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए ।

आप जो स्लीपर जम्मू काश्मीर सरकार से खरीद रहे हैं वे भी आप को बहुत सस्ते पड़ेंगे। अभी उनकी ढुलाई में आप को बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो येसब चीजें आप सोचें। और मैं अपनी तरफ से और वहां की जनता की तरफ से आप को विश्वास दिलाती हूं कि इस लाइन को खोल कर आप घाटे में नहीं रहेंगे। यह जरूर है कि पहले आप को कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। मैं आशा करती हूं कि इस मामले में सदन मेरा साथ देगा। हमारे देश में उद्योग बढ़ रहे हैं। लेकिन काश्मीर की जनता का कहना है कि हमारे यहां कोई कारखाने नहीं हैं। कोई रेलवे नहीं है। वही छोटे छोटे कारखाने हैं जिन में बेचारे दिनरात मेहनत करते हैं और उस से उन को थोड़ी बहुत मजदूरी मिल जाती है। जब तक हमारे यहां रेलवे नहीं आयेगी तब तक हम कैसे बढ़ेंगे। जब हम नक्शे में अपनी रियासत की रेलवे लाइनों की हालत को देखते हैं तो बड़ी निराशा होती है। और जब हम वापस जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि तीसरी दफा हमारा मेम्बर पार्लियामेंट में हो कर गया लेकिन हमारी रेलवे लाइन तक नहीं बनवा सका। खैर, वे चाहे जो कुछ कहें,लेकिन मेरी आप से प्रार्थना है कि आप इस तरफ ध्यान दें और तीसरी योजना के अन्त तक वहां यह रेलवे लाइन बना दें। जिस तरह से देश के और हिस्सों का हक है उसी तरह से वहां के लोगों का भी हक है। वहां दूर दूर तक बस्तियां फैली हुई हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप वहां के लिये जरूर ध्यान दें।

जो रेलवे में धीरे धीरे सुधार हो रहा है उस के लिये भी मैं तारीफ किये बिना नहीं रह सकती। सन् १९५९-६० की रिपोर्ट से मालूम होता है कि चित्तरंजन में रेलवे इंजिन कारखाना आत्मनिर्भरता के लक्ष्य तक पहुंच गया है और १६४ डब्ल्यू जी इंजिन और ९ डब्ल्यू टी०इंजिन तैयार हुए हैं। १९५० से उत्पादन शुरू हुआ है। तब से १००६ इंजिन तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से मद्रास में पैरम्बूर के सवारी डब्बों के कारखाने में दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य से अधिक डब्बे तैयार हुए हैं। जो लक्ष्य था उस से भी ज्यादा पूरा हो चुका है। इन सब कामों को देख कर आज देश विदेश में लोग तारीफ किये बिना नहीं रह सकते। यह बहुत बड़ी तरक्की है। मैं आशा करती हूं कि इसी तरह और भी आगे तरक्की होगी।

और भी बहुत से अच्छे काम रेलवे में हुए हैं। तीसरे दर्जे में कुछ गाड़ियों में यात्रियों के सोने का भी प्रबन्ध किया गया है। लेकिन मैं तो कहूंगी कि अभी भी तीसरे दर्जे की ओर आप को ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि गाड़ियों में इतनी भीड़ होती है कि लोगों को खड़ा रहना पड़ता है और कई जगह तो ऐसा होता है कि दरवाजे पर भी लोग खड़े रहते हैं। मैं जानती हूं कि मंत्रालय को कठिनाइयां हैं। कहीं फारिन एक्सचेंज की कठिनाई है, और भी कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये। जब तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक जनता को यह नहीं मालूम होगा कि रेलों में क्या क्या आसानियां हुई हैं क्योंकि हमारी ज्यादातर जनता तीसरे दर्जे में ही सफर करने वाली है। इसलिये जितनी भी सुविधा उन को दी जा सकती है दी जानी चाहिये।

साथ ही मैं यह भी कहूंगी कि आप की जो योजना थी मकान बनाने की उस के लिये भी आप ने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी योजना में ५४ हजार मकान बनाने का लक्ष्य था, उस में से अभी तक आप ने ४७ हजार बनाये हैं। मैं आशा करती हूं कि बाकी काम भी आप अच्छी तरह करेंगे क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब तक रेलवे कर्मचारियों, खास कर मजदूरों को, मकान नहीं मिलते तब तक उन को शान्ति नहीं मिलती और वे अपनी ड्यूटी भी पूरी नहीं दे पाते। इसलिये आवश्यकता है उन की थकावट मिटाने की। इस के लिये उन के लिये मकानों का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि उन के घर की व्यवस्था जो है वह अच्छी हो जाये।

अब चूंकि सभापति महोदय की मेरे लिये घंटी बज चुकी है इसलिये और अधिक न कह कर मैं फिर अपने रेलवे मंत्री महोदय का ध्यान जम्मू और कश्मीर की रेलों की समस्या की ओर दिलाऊंगी और उन से मेरा निवेदन है कि वहां की रेलवे लाइन बनाने की योजना को वह इस तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में पूरा करें। मैंने वहां के निवासियों की जो इस सम्बन्ध में भावनायें थीं वह मैं ने सदन के सामने रख दी हैं और मुझे आशा है कि आप ने जैसे उस समय ध्यान दिया था जबकि आप ने इस जम्मू काश्मीर लाइन को शुरू किया था उसी तरीके से आप इस को पूरा करने के लिये फिर ध्यान देंगे ।

†**डा० कृष्णस्वामी** (चिंगलपुट) : रेलवे के बारे में एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति यह चल रही है कि प्रादेशिक मांगों की इस आधार पर अवहेलना की जा रही है कि वे वाणिज्यिक दृष्टि से अलाभकारी हैं। किन्तु हमें देखना चाहिये कि क्या यह विनियोजन उचित हैं या नहीं ?

दूसरी योजना के लिये १,१२१.५ करोड़ रुपया निर्धारित है। इस में सामान्य निधि से काफी रकम डाली जाती है। उस निधि की रकम की अदायगी ४.२५ प्रतिशत की दर से की जानी है। इसलिये हमें रेलवे की अदायगी की क्षमता को भी देखना है। इस के अलावा हमें यह भी देखना है कि क्या रेलवे अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग लाभदायक ढंग से भी कर रही है।

इस के अतिरिक्त इस बात को भी मैं मानता हू कि रेलवे कर्मचारी पूरी दक्षता से काम चला रहे हैं और माल ढोने के सिलसिले में उन का काम सराहनीय रहा है परन्तु हमें यह जरूर देखना है कि क्या निर्माण सम्बन्धी लागत और मांगों के सुधार आदि की लागत भी उसी अनुपात से हो रही है। मैं समझता हूं कि हमें आभी काफी कुछ करना है ।

अब में ऋणों के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। रेलवे बोर्ड में यह बात चल रही है कि ४.२५ प्रतिशत की दर काफी ज्यादा है। परन्तु हमें यह भी देखना चाहिये कि इस समय रिजर्व बैंक खुद ४ प्रतिशत की दर पर ऋण ले रहा है। मैं यह चीज साफ कर देना चाहता हूं कि हमें जो भी सहायता देनी हो उसे इस प्रकार से दें कि उस का ज्यादा शोर न मचे। इसी आधार पर हमें रेलवे के विकास के पहलुओं की परख करनी चाहिये ।

माननीय मंत्री ने कहा कि जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है रेलवे के कामों के ठेकों पर देश के काफी लोगों को रोजगार मिला हुआ है। किन्तु मैं इस तर्क को ज्यादा वजनदार नहीं मानता। रेलवे के विकास के कुछ एक पहलुओं को मैं सन्देह की दृष्टि से देखता हूं।

परिवहन की लागत के बारे में यदि संसद ही यह कह दे कि हमें कुछ घाटा वहन करना चाहिये तो हमें उस चीज़ को सहन करना पड़ेगा और उस के लिये कोई चारा ही नहीं है।

मैं पूछना चाहता हूं कि हमें शीतोष्ण नियंत्रित जनता गाड़ियां चलाने से क्या लाभ है जबकि वे घाटे में चल रही हैं। उस का घाटा बर्दाश्त करने से फायदा ही क्या होगा। हां यदि ऐसी माल गाड़ी चलाई जाये तो दूसरी बात है। परन्तु घाटे में ऐसी यात्री गाड़ी चलाना किधर की बुद्धिमत्ता है ।

कुछ मित्रों का कहना है कि हम दक्षिण में रेलों के विस्तार की मांग तो करते हैं पर उन के लाभालाभ की बात नहीं सोचते। किन्तु जब दूसरी ओर तो घाटा उठाया जा रहा हो तो हम कैसे यह अनुभव न करें कि हमारी अवहेलना नहीं की जा रही। क्यों न मद्रास से ले कर जालारपेट तक रेलों को बिजली से चलाया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय मंत्री ने अपने भाषण के दौरान खुद कहा है कि नयी परियोजनाओं से पहले पहल लाभ की संभावना कम होती है। किन्तु इसी चीज पर ज्यादा जोर देने से हानि भी हो सकती है।

मैं इस समय दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो यह है कि हमारे विनियोजन का अनुपात कुल के मुकाबले कितना है ; दूसरे यह कि यदि हम सब बातों को कहना नहीं चाहते तो नीति निर्धारित करते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिये। विनियोजन से आर्थिक लाभ और सामाजिक लाभ, दोनों चीजों को देखना होता है।

इसके साथ ही मैं सड़क परिवहन की बात भी कहना चाहता हूं। सड़कों पर भी काफी पूंजी लगाई जा रही है परन्तु उन से पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा। सड़क परिवहन को रेलवे का प्रतिद्वंदी न मान कर हमें उसे उस का अनुपूरक ही मानना चाहिये। परन्तु हो रहा है इस से उलट। डीजल पर भारी कर लगाने और मोटर गाड़ियों पर ज्यादा कर लगा देने के कारण बहुत सी सड़कों का पूरा उपयोग ही नहीं हो रहा। यह चीज हमारे लिये हानिकारक है। इस कारण मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यदि रेलवे दक्षिण में अधिक पूंजी लगाने में कठिनाई अनुभव करती है तो कुछ न कुछ निवेश उसे अवश्य करना चाहिये।

जहां तक मैं समझता हूं "समन्वय" तथा "एकीकरण" जैसी चीजों से प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। इन चीजों पर अमल करने से पहले हमें यह देखना चाहिये कि हमारी रेलों का वास्तविक भविष्य क्या है।

हमें यह देखना चाहिये कि हमें विनियोजन कार्यक्रम की पूर्ति कैसे करनी है और उन्हें सहायता किस तरह देनी है। इस का समाधान होने पर सामान्य निधि से विभिन्न प्रकार के परिवहनों के विकास के लिये सन्तुलित ढंग पर सहायता दी जायगी और प्रादेशिक विकास का काम भी बराबरी से चलेगा। तब किसी देश को यह शिकायत न रह जायेगी कि उन की अवहेलना की जा रही है।

श्रीमती जयाबेन शाह : (गिरनार) : सभापति महोदय, रेलवे तथा परिवहन मंत्रालय के लिये खास तौर पर खुशकिस्मती की बात है कि उस के ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा हो रही है। उस के साथ थोड़े से कांटे भी हैं, मगर उन्होंने जो प्राग्रेस और डेवलपमेंट का काम पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में किया है, उस के लिये मैं भी उन्हें मुबारकबाद दे रही हूं।

कितने ही प्वाइंट्स इस सदन में बार बार उठाये गये हैं, मुझे भी उन्हीं प्वाइंट्स को लेना पड़ता है। रोड और रेल ट्रान्स्पोर्ट के बारे में सभी सदस्यों ने कहा है। उस के सम्बन्ध में एक बात यह कही गई, जैसा श्री अशोक मेहता ने भी कहा, कि जहां पर रोड ट्रांस्पोर्ट काफी हो वहां रेल की जरूरत नहीं है। मगर मेरी रिक्वेस्ट यह है कि जहां पर रेलवे नहीं है वहां पर वैकुअम तो नहीं हो सकता। वहां पर रोड ट्रांस्पोर्ट होना चाहिये। जो कुछ भी अब तक हुआ है वह हमारे लिये आनंद की बात है मगर इस का मतलब यह नहीं है कि वहां का केस बिल्कुल खत्म कर दिया जाये क्योंकि वहां रोड ट्रान्स्पोर्ट हो गया है। मेरी प्रार्थना है कि इस के बारे में ओवर आल पिक्चर देखनी चाहिये, और हमारी पालिसी ऐसी बननी चाहिये कि हर एक जगह पर भले ही वहां पर थोड़ा रोड ट्रान्स्पोर्ट भी हो मगर थोड़ा रेल ट्रान्स्पोर्ट भी होना चाहिये। कामर्शल साइड को देखना मेन बात हो सकती है लेकिन उस के साथ और भी प्राब्लेम्स हैं, और भी पहलू हैं, जिन की ओर हम को देखना चाहिये।

यहां पर कोल के बारे में भी कुछ कहा गया। मैं उस को दोहराना नहीं चाहती हूं, मगर एक बात अवश्य कहना चाहती हूं। मुझे इस बात को देख कर बड़ा दुःख और आश्चर्य होता है कि कुछ दिन पहले स्टील और माइन्स मिनिस्ट्री व रेलवे मिनिस्ट्री ने अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने

की कोशिश की । मैं समझती हूं कि जहां पर डिमाक्रेसी के अन्दर कैबिनेट फंक्शन करती है और जहां पर क्लेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का सवाल है, वहां पर एक दूसरे पर रिस्पांसिबिलिटी डालना मुनासिब नहीं है । कोयले की शार्टेज के बारे में सारे देश को कष्ट सहन करना पड़ा है । मैं सिर्फ गुजरात की बात नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन जो कुछ सारे देश में हुआ उस से प्लैनिंग कमिशन और सरकार को कुछ सबक सीखना चाहिये और आइन्दा ऐसी कंटिन्जेंसी नहीं पैदा होने देना चाहिये । अगर इस तरह का पाठ वे लें तो ठीक है ।

दूसरी बात कोचेज के बारे में है । जो कोचेज बनीं या बन रही हैं उनमें जो एक नई बात हुई है वह मेरी इन्फार्मेशन के अनुसार यह है कि उस में लगने वाले पुर्जों में से ६० या ७० परसेन्ट जो बाहर से आते थे, अब हम ने उन को इंडिजिनेंस तरीके पर बानाना शुरू किया है । यह हमारे लिये बड़ आनन्द की बात है ।

मैं इस बारे में भी रेलवे मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहती हूं कि जो नये डिब्बे बने हैं वे अभी काफी डिफेक्टिव हैं । जब वे चलते हैं तो उनसे पुराने डिब्बों जैसी ही आवाज आती है और उनमें डस्ट भी बहुत आती है । जब भी मैं राजस्थान से होकर आती हूं तो मुझे ऐसा अनुभव होता है, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और हो सके तो हमको उनमें सुधार करना चाहिये ।

मैं एक बात कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर उसके बारे में कहा है कि हमारे मंत्री महोदय ने अपनी स्पीच में उसका उल्लेख नहीं किया । वे सभी लोग इसके लिये नाराज हैं कि उन्होंने क्यों इसके बारे में जिक्र नहीं किया है । मुझे पता नहीं कि इस बात का जिक्र करने की क्या आवश्यकता थी ।

श्री वाजपेयी : (बलरामपुर) : जिक्र किया गया है ।

श्रीमती जयाबेन शाह : अगर वह किया गया है तो ठीक है ।तब तो आपको शिकायत करने की कोई बात ही नहीं है । मैं समझती हूं कि जो कुछ हुआ वह हमारी इस इन्फैन्ट डिमाक्रेसी के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जायेगा और जो लोग यहां आकर इस बारे में बात कर रहे हैं और जिन्होंने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ को मिसडाइरेक्ट (गुमराह) किया है, वे ही इसके लिये जिम्मेदार हैं । **दे आर शेडिंग देअर क्रोकोडइल टिअर्स हिअर** (झूठी समवेदना प्रकट कर रहे हैं) जो भी जनता को और सरकार को इसके लिये कष्ट पहुंचा है उसके लिये उनको पश्चाताप होना चाहिये, इस तरह की बातों को यहां करने से कोई खास फायदा नहीं है ।

एक बात मैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहती हूं । जेनरली तो वह सारे देश के एड-मिनिस्ट्रेशन पर लागू होती है, मगर खास तौर से इस रेलवे विभाग पर लागू होती है जो कि एक कामर्शल कंसर्न माना जाता है । वैसे तो यह शीर्ष रूप में कामर्शल विभाग नहीं है क्योंकि देश की जनता को क्या ऐमेनेटीज चाहिये, यह भी उसको देखना चाहिये । फिर भी उनको थोड़ी सी फ्रीडम है, जैसी कि देश के दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है । मैं चाहती हूं कि उनमें कुछ रैशनलाइजेशन हो, कुछ नयापन आ जाय और उनका आउटलुक बदल जाये । हमारे तजुर्बे में बहुत सी बातें आती हैं । उन्हीं में से एक जोन्स की मांग है । जोन्स का आपस में कोआर्डिनेशन नहीं है, और हर एक जोन अपने में एक एम्पायर जैसा बन रहा है । मैं समझती हूं कि यह टेन्डेन्सी सही नहीं है । पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने भी कुछ बातें बतलाई हैं । लेकिन जब इस तरह के बड़े बड़े काम चलते हैं तो उनमें कुछ गलितियां हो ही जाती हैं, इसलिये मैं उनके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना चाहती हूं । मगर जिस प्रकार की बातें यहां बतलाई गई हैं, जैसे कि साइकल स्टैन्ड है, रिफ्रैशमेंट है, स्टोर्स है, स्पेसि-फिकेशन्स के बारे में भी बतलाया गया है, उनके डिटेल्स में न जाते हुए यही कहना चाहती हूं कि मुझको दुःख इस बात पर होता है कि जिन्होंने इस तरह के काम को किया है, जो लोग इन सब बातों

के लिये जिम्मेदार थे, उनके मामलों को जब भेजा गया तो उनमें डिले की गई, एक आध किस्सों में तो ऐसा सुना गया कि उनको प्रोमोशन दिया गया और जब उन पर ऐक्शन लेने की बारी आई तो वे मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायरमेंट पर चले गये, और कुछ मर भी गये। मैं समझती हूं कि जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको स्पेअर करने की कोई जरूरत नहीं है। यह जो टेन्डेन्सी है इससे ही सारा काम खराब होता है और हालत बिगड़ती है।

अब मैं कुछ टिकेटलेस ट्रैवलिंग के बारे में कहना चाहती हूं। यहां पर आंकड़े दिये गये कि वहां पर इतनी टिकेटलेस ट्रैवलिंग हुई, वहां पर इतनी हुई। लेकिन मैं कह सकती हूं कि जिनके बारे में आपको पता नहीं है वह तो इससे भी ज्यादा तादाद में हैं। मैं मंत्री जी से अपने अनुभव की बात बतलाना चाहती हूं। सौराष्ट्र में विरावल से ऊना तक एक छोटी सी लाइन है। वहां से शिकायत आई कि वहां के स्टेशन पर टिकेट ही नहीं हैं। एक, दो या चार रोज से नहीं कई महीनों से नहीं हैं। मैंने खुद जाकर देखा। मैं वहां के स्टेशन मास्टर से मिली और पूछा कि आखिर क्या बात है। उन्होंने कहा कि मैंने तो मंगवाया है, लेकिन पिछले ६ या ७ महीनों से टिकट आये ही नहीं। वेस्ट पेपर जो कि फेंकने वाला होता है, उस पर लिख दिया जाता है पांच आदमी। उसका पैसा कहां जाता था, या उस पैसे का कैसे हिसाब होता था इसका पता नहीं क्योंकि कोई डुप्लिकेट तो रहता ही नहीं। वहां के लोगों ने कुछ अमेनिटीज के लिये लिखा तो डी० एस० और मिनिस्ट्री ने बताया कि वहां पर ट्रैफिक नहीं है तो क्या किया जाय? मेरा पक्का अनुभव है कि वहां पर भीड़ बहुत होती है और काफी पैसा मिल सकता है, लेकिन वहां पर ज्यादातर टिकेटलेस ट्रैवलिंग हो रही है। सभी जगह पर कितनी हो रही है, यह तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन वहां पर बहुत हो रही है और उसपर हम लोग अभी तक कंट्रोल नहीं पा सके। कहा जाता है कि पब्लिक कोआपरेशन चाहिये। मगर पब्लिक भी टिकेटलेस ट्रैवलिंग करना चाहती है क्योंकि उसका भी इसमें फायदा है। स्टाफ जो है वह उनसे समझ लेता है। जो ५ रु० का टिकट होता है, उसकी जगह वह २ रु० दे देते हैं और उनका पल्ला छूट जाता है। मैं समझती हूं कि जो आप का स्टाफ है, खास कर नीचे का स्टाफ जो है, वह लालच से बच नहीं सकता। उसकी चेकिंग के लिये कोई खास तरीका अपनाया जाना चाहिये। किसी अनजान स्टाफ को रखिये या पब्लिक में से ही आप किसी को अथराइज़ कर दें जो कि इस चीज़ को हटाने के लिये काम करे। हम कहते रहें कि टिकिटलेस ट्रैवलिंग होता है और उसको हटाया जाए, इस तरह तो यह नहीं हटेगा।

मीटर गेज के लिये एक माननीय सदस्य ने कहा कि उसके लिए एक खास सैक्शन होना चाहिए। मैं नहीं समझती कि खास सैक्शन बनने से क्या फायदा होगा, क्योंकि अलग सैक्शन बन जाता है तो दूसरे लोग समझते हैं कि उस सैक्शनवाले ही इस काम को करें। सारा तंत्र उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि खासकर सौराष्ट्र में सारी की सारी लाइन मीटर गेज की है,—मैं यह तो नहीं कहती कि उसमें इन १३ सालों में कोई सुधार नहीं किया गया और कोई एमेनिटी नहीं बढ़ी,—लेकिन उस तरफ खास ध्यान देना चाहिये, और वहां ज्यादा ट्रेनें बढ़नी चाहिएं। हमने जनता गाड़ी के लिए तो बार बार मांग की है कि बम्बई के लिए और अहमदाबाद के लिए हमको जनता गाड़ी दी जाए। उसके बारे में माननीय मंत्री सोचें ऐसी मेरी प्रार्थना है।

थर्ड क्लास के पैसिंजर्स के लिए जो हुआ है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। पहले से उन्नति हुई है यह तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हमें देखना होगा कि इस दिशा में हम कहां तक सफल हुए हैं। जो जनता ट्रेनें चली हैं उससे भी फायदा हुआ है। कभी कभी तो उन जनता ट्रेनों में बड़ा ट्रैफिक भी नहीं होता। बम्बई दिल्ली का हमारा अनुभव है। मगर जो कुछ हुआ है वह सही है

और आगे भी होना चाहिए। मगर एक बात कहने में मुझे रंज होता है कि जो स्टाफ है, जो स्टेशन का स्टाफ है और जो आपरेशनल स्टाफ है. उसकी नजर थर्ड क्लास पैसिंजर्स की तरफ बहुत कम है। जहां स्टेशन आता है तो वह हम जैसे फर्स्ट क्लास के पैसिंजरों के पास चले जाते हैं। थर्ड क्लास के डब्बे गन्दे रहते हैं। जहां से वह चलते हैं वहां से लेकर जब तक टरमिनस नहीं आता उनकी सफाई नहीं की जाती। अगर दो तीन दिन का सफर होता है जैसे हावड़ा से दिल्ली तक का तो इस बीच में उन डब्बों की सफाई का कोई इंतिजाम नहीं होता है। इसके लिए आप खास स्टाफ रखिये। बड़े स्टेशनों पर फर्स्ट क्लास के डब्बों की सफाई का तो प्रबन्ध होता है लेकिन तीसरे दर्जे के डिब्बों की सफाई नहीं की जाती। इसका खास प्रबन्ध हो यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

कभी कभी तीसरे दर्जे के यात्री बहुत लगेज लेकर चलते हैं और उसको ब्रेकवान में नहीं रखते। मगर इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ऐसा करने से उतरते वक्त उस सामान को लेने में उनको बहुत समय लगता है और उनको इससे बड़ी तकलीफ होती है। जो अनजान लोग होते हैं वे सोचते हैं कि ब्रेक में सामान रखने से जाने क्या हो क्या न हो, उनको डर रहता है। वे बड़े से बड़े लगेज अपने साथ लेकर चलते हैं और उसको दरवाजे के पास रख देते हैं जिससे रास्ता ब्लाक हो जाता है। मैं समझती हूं कि इस तरफ खास ध्यान देना चाहिए।

पंखों के बारे में मुझे यह कहना है कि यह सही है कि पंखे पहले से ज्यादा बढ़े हैं लेकिन अभी काफी नहीं हैं। थर्ड क्लास में एक कारीडर में एक दो पंखे होने चाहिए जिससे कि लोग गरमी में आराम से बैठ सकें।

आखिर में मैं एक बात कहना चाहती हूं जो कि जनरल नेचर की है। हम कहीं भी चले जाएं हम देखते हैं कि रेलवे की अलग ही कालोनी बनी होती है। जो मकान बनाए जाते हैं, जो स्टेशनों के अस्पताल होते हैं, जो स्कूल होते हैं उनकी सूरत इस तरह की होती है कि उनको देख कर यह नहीं लगता कि इनका हमारे देश के साथ नाता है। आज हम गरीबों से सेक्रीफाइस करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। लेकिन जब लोग एक तरफ इन चीजों को देखते हैं तो उनके दिल में सेक्रीफाइस करने की भावना नहीं जागती। रेलवे का तंत्र ऐसा है कि इसका छोटे से छोटे गांवों से लेकर बड़े से बड़े शहरों से सम्बन्ध है। इसके बड़े बड़े अस्पताल हैं। ठीक है अस्पताल तो होने ही चाहिए, मगर उनको बनाने में इकानमी करनी चाहिए और उनका रूप ऐसा होना चाहिए कि उससे लोगों के दिल में ऐसी बातें पैदा न हों कि ये क्या बना रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हमको तो टैक्स करते हैं—इस बार टैक्स नहीं लगाया है लेकिन आगे लगाना पड़ेगा——

मैं जनाती हूं कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो टैक्स लगाना होगा। लेकिन हमारी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के दिल में ऐसी भावना पैदा न हो कि हमें नहीं देना चाहिए। यह ठीक है कि अगर हम ज्यादा अमेनिटीज चाहते हैं तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। मगर आजकल जिस तरह से हमारा काम चल रहा है उससे मैं बहुत नाराज हूं। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करना चाहती हूं कि यद्यपि ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका साइकालाजीकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो इस ओर उनको देखना चाहिए।

मंत्रालय ने और रेलवे ने जो काम किए हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं, और साथ साथ यह भी कहती हूं कि ज्यादा नया काम बनाना मुश्किल नहीं है, वह हो सकता है, बड़े बड़े प्लान पूरे किए जा सकते हैं, मगर उस काम को कंसालीडेट करने की आवश्यकता है। और लोगों के मन में भावना पैदा करना यह भी डिमाक्रेसी में हमारा काम है। यह भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को सीखना चाहिए। इसकी आवश्यकता है।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति जी, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पिछले वर्ष में भारतीय रेल व्यवस्था ने अनेक दिशाओं में उल्लेखनीय प्रगति की है। चल स्टाक तथा अन्य उपकरणों की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाने में, दुर्घटनाओं को घटा कर रेलवे यात्रा को अधिक सुरक्षित करने में, गंगा, गंडक और ब्रह्मपुत्र के ऊपर पुलों के निर्माण द्वारा और तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि के प्रयत्नों से प्रगति की एक तस्वीर हमारे सामने आती है।

लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जिसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। दूसरी पंच-वर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे रेलवे मंत्रालय उन्हें पूरा नहीं कर सका, फिर वे लक्ष्य चाहे दोहरी लाइन बिछाने के हों या विद्युतीकरण के, इलेक्ट्रिफिकेशन के। इस सम्बन्ध में जो भी प्रयत्न हुए हैं वे लक्ष्यों से बहुत कम हैं।

ब्राडगेज वैगन्स के निर्माण का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सका है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दूसरी योजना के अन्तर्गत यात्रियों की संख्या में वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया था गलत साबित हुआ है। यात्रियों की संख्या अधिक बढ़ी है। रेलवे प्रशासन को इस सम्बन्ध में सही अनुमान लगाने चाहिएं। जहां तक तीसरी योजना का सवाल है, उसमें भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने का जो अनुमान लगाया गया है वह वर्तमान लक्षणों से कम जान पड़ता है और रेलवे मंत्रालय का काम है कि बढ़ती हुई यात्रियों की संख्या का ठीक अनुमान लगा कर उसकी यातायात के लिए समुचित व्यवस्था करे।

हमारे देश में रेल परिवहन और रोड परिवहन के बीच में जो विवाद चल रहा है, उसमें भी, यह कहते हुए भी कि हम समन्वय करना चाहते हैं, अभी तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकी है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

नियोगी कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उन पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए, यद्यपि कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि हम रेल और रोड परिवहन को प्रतिस्पर्धा करने की खुली छूट दे दें। दोनों व्यवस्थाओं का राष्ट्र के हित की दृष्टि से समन्वय करना होगा। लेकिन एक बात हम नहीं भूल सकते कि दुनिया के सभी देशों में रेल ट्रांसपोर्ट के ऊपर रोड ट्रांसपोर्ट हावी होता जा रहा है। धीरे-धीरे यात्री यदि उन्हें माल ले जाना और पहुंचाना है तो वह रेल को छोड़ कर रोड ट्रांसपोर्ट की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इसके कारण भी हैं जिनसे कोई इंकार नहीं किया जा सकता।

यदि हम दूसरे देशों के आंकड़े देखें तो अमरीका में एक मील के ऊपर ४३ मोटर लारियां हैं। फ्रांस में यह संख्या २२ है। युनाइटेड किंगडम में २१ और भारत में यह संख्या अभी ३ है। अमरीका में तो रेल ट्रान्सपोर्ट का विकास एक तरह से बिलकुल बन्द हो गया है और उस का स्थान रोड ट्रान्स-पोर्ट लेता जा रहा है। वैसे भी हम देखें तो जितना रुपया रेलों के विस्तार में लगता है बदले में उसका उतना भुगतान नहीं मिलता और यह बात जो मैं कुछ आंकड़े पेश करने वाला हूं उन से सिद्ध हो जायेगी। सन् १९४७-४८ में भारतीय रेलों का माइलेज ३३,९८५ था जोकि सन् ५८-५९ में बढ़कर ३५,०८१ मील हो गया अर्थात् १ फीसदी बढ़ गया है किन्तु उसकी तुलना में अगर हम कैप्टिल ऐट चार्ज और वर्किंग एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखें तो १९४७-४८ में जो ७४२ करोड़ रुपया था वह ५८-५९ में १३८२ करोड़ रुपया हो गया, ८४ फीसदी की वृद्धि हो गई और वर्किंग एक्सपेंडिचर तो ११० फीसदी बढ़ गये।

रेणुका रे कमेटी के अनुसार सरकार जो रेलों के द्वारा सस्ती दर पर इस्पात ओर्स का यातायात करती है उस को वजह से रेलवे को घाटा होता है। मैं नहीं समझता कि रेलवे सरकारी माल को ढोने के लिये कम दर दे इस की कोई आवश्यकता नहीं। जिस दर से औरों से वसूल किया जाता है

उसी दर पर सरकारी माल को भी ढोना चाहिये और अगर उस में कहीं घाटा होता है तो फिर वह घाटा कुल मिला कर सरकारी घाटे के रूप में दिखाया जाना चाहिये । रेलवे को मजबूर किया जाय कम दर पर माल ढोने के लिये और फिर रोड कम्पटीशन में रेलवे टिक न सके यह स्थिति हमारे लिए अच्छी नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कर्मचारियों की हड़ताल का उल्लेख किया है । निस्सन्देह हड़ताल बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी । वह अब समाप्त हो गई है लेकिन उस के दुष्परिणामों को अभी भी ठीक तरीके से सुधारा नहीं जा सका है । रेलवे मंत्री जी ने और रेलवे प्रशासन ने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह बड़ा उदार है और वह यह कि जिन्होंने हिंसा नहीं की तोड़फोड़ नहीं की उन्हें दंड नहीं मिलना चाहिये । "ग्रौस मिसबिहेवियर" की जो अभी परिभाषा की गई है वह भी कर्मचारियों के हित में है लेकिन खेद की बात यह है कि रेलवे बोर्ड से जो भी आदेश जाता है उसका उनके नीचे के कर्मचारियों द्वारा ठीक तरीके से पालन नहीं किया जाता है ।

मैं लखनऊ की बात जानता हूं । वहां कोई हिंसा नहीं हुई, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई मगर कर्मचारियों को नोटिस दिये जा रहे हैं और बड़े अजीब ढंग से नोटिस दिये जा रहे हैं । ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्होंने हड़ताल में भाग नहीं लिया और जो हड़ताल के दिनों में काम करते रहे । जब हड़ताल खत्म हो गई तो उस के सात दिन बाद उन को "कारण बताओ" नोटिस दिया गया । एक कर्मचारी तो ऐसा है जो हड़ताल के दिनों में काम पर था जो यूनियन का सदस्य नहीं है डेलीगेट नहीं है मगर उसे राइवल यूनियन की शिकायत पर पहले गिरफ्तार करा दिया गया । अब चूंकि पुलिस में उस के खिलाफ कोई मामला नहीं था इसलिये वह छोड़ दिया गया । ६१ दिन बाद उस को फिर से काम पर लिया गया मगर लखनऊ से उस को बीकानेर भेज दिया गया । एक ऐसा भी उदाहरण है जिस में एक कर्मचारी पर आरोप लगाया गया है कि उस ने १० जुलाई को काम नहीं किया और दूसरों को भी काम नहीं करने दिया । जब उस के मामले में जांच होने लगी और गवाहियां सामने आईं तो पता चला कि १० जुलाई को तो इतवार था और उस दिन तो वर्कशाप बन्द था और इसलिये उस दिन उस के काम करने या न करने और दूसरों को काम करने या न करने देने का सवाल ही नहीं उठता । जब यह चीज मालूम हुई कि चार्जशीट में १० जुलाई की तिथि गलत लिखी है क्योंकि उस दिन इतवार था तो चार्जशीट को वापिस लेने के बजाय उस तारीख को चार्जशीट में बदल दिया गया । डाक-कर्मचारी के खिलाफ १७-११-६० को शिकायत की गई है और शिकायत यह की गई है कि उसने ११-७-६० को एक सभा में भाग लिया । अब अगर उस ने ११ जुलाई को सभा में भाग लिया था तो उस की शिकायत १७-११-६० को तो नहीं होनी चाहिये थी और फिर रेलवे बोर्ड का सरकुलर है कि सभा में भाग लेना यह कोई जुर्म नहीं है । रेलवे मंत्री जी ने बड़े उदार हो कर अपना यह निर्देश दिया है मगर पता नहीं कि लखनऊ के डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट कैसे हैं कि उन निर्देशों का ठीक तरीके से पालन नहीं कर रहे । मेरा निवेदन है कि रेलवे मंत्री जी किसी भी कर्मचारी की नौकरी ली जाय, इससे पहले वे हर एक मामले को खुद मंगा कर देखें । इन को कष्ट तो होगा । उन के ऊपर व्यस्तता बहुत है मगर जहां तक कर्मचारियों की रोटी और रोजी छिनने का सवाल है वहां छोटे अधिकारियों के भरोसे उन की तकदीर का फैसला छोड़ देना यह शायद ठीक नहीं होगा ।

अभी २४ फरवरी को लखनऊ की कैरिज एंड वैगेन्स वर्कशाप में कुछ गड़बड़ हो गई । कुछ आपस में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ झगड़ा हुआ । अब दोनों तरह की बातें कही जाती हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर कोई झगड़ा हुआ था तो उस में पुलिस को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी । डिपार्टमेंट्ल कार्यवाही की जा सकती थी लेकिन नीचे के अधिकारी अगर तुले हुए हैं वातावरण

[श्री वाजपेयी]

बिगाड़ने पर तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । रेलवे मंत्री महोदय का कर्तव्य है कि इस सम्बन्ध में रेलवे अधिकारियों की तम्बीह करें, उन्हें चेतावनी दें और जिन के साथ न्याय किया जाना चाहिये उनके साथ न्याय करें ।

रेलवे मंत्री जी ने अपने भाषण में खानपान व्यवस्था के बारे में कहा है, डिपार्टमेंट्ल केटरिंग की बात कही है । उस संबंध में मैं उनसे स्पष्टीकरण चाहूंगा और वह घाटे वाली बात है । अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि १९५८-५९ में खानपान व्यवस्था का सीधा घाटा ११ लाख रुपया था जो घट कर १९५९-६० में लगभग ४ लाख रुपया रह गया । सन् १९६०-६१ में घाटे का अनुमान लगभग ४ लाख रुपया है । इस सम्बन्ध में मैं उन का ध्यान पबलिक एकाउन्ट्स कमेटी की २१वीं रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि १९५७-५८ में २१ लाख ९८ हजार रुपया घाटा था, ५८-५९ में यह घाटा १८ लाख १६ हजार रुपया था और सन् ५९-६० के सम्बन्ध में इस रिपोर्ट का कहना है कि १८ लाख ३८ हजार रुपये का घाटा हुआ । मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि रेलवे मंत्री जी द्वारा दिये गये आंकड़े सही हैं या पबलिक एकाउन्ट्स कमेटी ने जो यह आंकड़े उपस्थित किये हैं वे सही हैं ? किन आंकड़ों को सही माना जाय रेलवे मंत्री जी अगर प्रकाश डालें तो बड़ा अच्छा होगा । लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि डिपार्टमेंन्टल कैटरिंग के घाटे का जो अनुमान लगाया जाता है तो वह अनुमान सही नहीं है और जो आंकड़े उपस्थित किये जाते हैं वे भ्रम पूर्ण हैं क्योंकि जो घाटा होता है उस में अगर सरकार या डिपार्टमेंट की तरफ से भोजन की व्यवस्था न की जाती और वह भोजन की व्यवस्था किसी ठेकेदार को सौंप दी जाती तो उससे जो लाइसेंस फीस ली जाती उस से जो सेल्स टैक्स लिया जाता उस से जो बिजली व पानी का खर्चा वसूल किया जाता वह इस घाटे में शामिल नहीं किया जाता । इस घाटे में इस बात को भी शामिल नहीं किया जाता कि जब से डिपार्टमेंट्ल कैटरिंग हाथ में ली गई है तो जिन भावों पर जिन दामों पर पहले यात्रियों को खाने पीने की चीजें मिलती थीं उन के दाम बढ़ा दिय गये हैं । और इस से यात्रियों को कष्ट है । पहले कहा गया था कि हम डिपार्टमेंट्ल कैटरिंग को नो-प्राफिट नो-लास बेसिस पर चलाना चाहते हैं । मगर नो-प्राफिट नो-लास बेसिस पर चलाने का मतलब क्या यह है कि यात्रियों को खाने के लिये मिलने वाली चीज़ों के दाम बढ़ा दिये जायें? मैं डिविज़ंज़ के अलावा कुछ दामों की तालिकायें आप के सामने रखना चाहता हूं । जब तक प्राइवेट वेंडिंग था तो जो पूरी थी वह डेढ़ रुपये सेर बिकती थी । लेकिन जब से डिपार्टमेंट्ल केटरिंग हुआ है, पूरी का दाम दो रुपया सेर कर दिया गया है । जलेबी डेढ़ रुपया सेर थी, उस का दाम दो रुपया सेर कर दिया गया है । दूध ७५ नये पैसे सेर बिका करता था, आजकल ८७ नये पैसे हो गया है । पेठा एक रुपया ५० नय पैसे सेर बिकता था, उस का दाम अब दो रुपया सेर कर दिया गया है । यात्रियों से अधिक पैसा ले कर यह दावा करना कि डिपार्टमेंट्ल केटरिंग घाटे में नहीं चल रहा है क्या ठीक होगा ? आखिर को यदि गवर्नमेंट खान-पान की व्यवस्था को विभाग द्वारा करना चाहती है तो उसका अन्तिम लक्ष्य यात्रियों को उचित दामों पर अच्छी चीज़ें देना है । मगर चीज़ों के दाम तो पहले ही बढ़ा दिये गये हैं, अच्छी चीज़ दी जाती हैं या नहीं, इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लिया जाना चाहिये ।

अभी यह नियम बनाया गया है कि डिपार्टमेंट्ल कैटरिंग जो भी होता है उस से हाकर्स को या वेंडर्ज़ को, जो चीजें भी दी जायें, व नकद, कैश मीमो काट कर दी जायं, उन को वापिस न लिया जाय । खाने पीने की चीजें अगर बिकती नहीं हैं तो हकर्ज वही चीजें दूसरे दिन बेचा करते हैं । प्राइवेट केटरिंग होता था तो चीजों को जो बिकती नहीं थीं, वापिस ले लिया जाता था । जो काम करने वाले हैं उन के भी भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं है और खान-पान की सामग्री की दृष्टि से आप देखें, मूल्यों की दृष्टि से आप विचार करें तो आप को पता चलेगा कि यात्रियों के लिये यह डिपार्टमेंटल

केटरिंग कोई फायदे की चीज़ नहीं रही है। जो कमेटी बनी थी, उसने सिफारिश की थी कि दोनों पद्धतियां साथ-साथ चलनी चाहियें, साइड बाई साइड चलनी चाहियें। मैं नहीं समझता कि साइड बाई साइड का मतलब यह है कि एक आगरे में और एक टुंडला में चलनी चाहिये। क्या यह संभव नहीं है कि एक ही स्थान पर दोनों प्रकार की व्यवस्थायें चलने दी जायें? जहां सहूलियतें नहीं हैं वहां सरकार खान-पान के इंतिजाम को अपने हाथ में ले, इस का कोई औचित्य नहीं है। जो घाटा हो रहा है वह जनता से टैक्सों के रूप में वसूल किया जाता है। चीजों के दाम बढ़ गए, सेवा करने की उतनी भावना नहीं है क्योंकि मुनाफा मिलने की उतनी आशा नहीं है और इसके बावजूद जब डिपार्टमेंट्ल केटरिंग होता है तो उस के लिये फ्री पास दिये जाते हैं, दिल्ली आ सकते हैं, यहां से सामान ले जा सकते हैं। रेलों को और भी प्रकार से खर्चे करने पड़ते हैं, लाइसेंस फी का घाटा होता है, सेल्ज़ टैक्स नहीं मिलता है। इस सब के बावजूद भी यह व्यवस्था घाटे में चल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह घाटे के जो आंकड़े दिये गये हैं, ये सही आंकड़े नहीं । डिपार्टमेंट्ल केटरिंग के विस्तार की आवयश्यकता नहीं है, जहां यह चालू है वहां इसको सफल कर के आप को दिखाना चाहिये। डिपार्टमेंट्ल केटरिंग से पहले जो पुराने दुकानदार थे, काम करने वाले थे, वे बेकार हो गये हैं, उन में से जो छोटे लोग थे, वे भी बेकार हो गये हैं और उन को बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं ऐसे उदाहरण जानता हूं कि जहां पर चार-चार स्टेशनों पर एक ही केटरर काम कर रहा है, मगर जो दूसरे लोग थे, जो पुराने लोग थे, वे बेकार बैठे हैं। उन को बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा निवेदन है कि डिपार्टमेंट्ल केटरिंग आज की स्थिति में विस्तार का विषय नहीं होना चाहिये। और जो आंकड़े दिये जाते हैं उन में दाम बढ़ने से और सरकार को मिलने वाला रुपया न मिलने से जो घाटा होता है, उस का भी विचार होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद के अन्तर्गत अनेक क्षेत्रीय मांगें रखी गई हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं कहता। किन्तु जम्मू तक रेलवे लाइन का विस्तार होना चाहिये यह बड़ा आवश्यक है। मैं आशा करता था कि रेल मन्त्री जी अपने बजट भाषण में इस सम्बन्ध में कोई घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। सुरक्षा की दृष्टि से हम देखें या जम्मू काश्मीर को भावना की दृष्टि से शेष भारत के अधिक निकट लाने की दृष्टि से देखें, यह काम अविलम्ब हाथ में लिया जाना चाहिये। चण्डीगढ़ को भी मेन लाइन पर लाने की आवश्यकता है। समाचार पत्रों से ज्ञात होता है कि प्रधान मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन दिये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि स्थिति क्या है। अभी हमारे सुरक्षा मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि चण्डीगढ़ को बड़ा अड्डा बनाया जाएगा उस पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों का विस्तार करने के लिये। चण्डीगढ़ के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि चण्डीगढ़ को मेन लाइन पर लाया जाए।

उसी तरह से कानपुर और झांसी के बीच जो कौंच नामक एक स्टेशन है और जहां से एक इंजिन के साथ दो डिब्बे जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, उसको भी मेन लाइन पर लाने का अगर विचार किया जाए तो यह कोई बड़े घाटे की चीज़ नहीं होगी। पहले इसका सर्वे किया भी गया था और इसको कर देने से कोई बहुत लम्बा चक्कर नहीं पड़ेगा। अगर मेन लाइन को कौंच में से निकाल दिया जाए तो लाभ वाली चीज़ होगी। कौंच एक बड़ी मण्डी है और इससे उस क्षेत्र का विकास होगा। वैसे भी बुंदेलखण्ड एक पिछड़ा हुआ इलाका है और कौंच को मेन लाइन पर लाकर उसके विकास में आप सहायक हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस ओर भी माननीय मन्त्री जी ध्यान दें।

वेतन आयोग ने जो सिफारिशें की थीं, उन्हें भी पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है। कुछ श्रेणियां ऐसी हैं जिनको असन्तोष है। रेलवे मन्त्री जी उनके असन्तोष से परिचित नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। किन्तु उस असन्तोष को दूर करने के लिये कोई सक्रिय पग नहीं उठाया गया है। आठ हजार से अधिक स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों ने रेलवे बोर्ड को एक

[श्री वाजपेयी]

स्मृति-पत्र भेज कर व्यक्तिगत रूप से यह मांग की है कि उन पर जो कार्य-भार है, वह उन्हें मिलने वाले वेतनों से बहुत अधिक है । अगर उन्हें यही वेतन दिया जाता है और यही सुविधायें दी जानी हैं, तो वे चाहते हैं कि अच्छा हो उन्हें और कोई काम दिया जाए । मैं जानता हूं कि उनकी मांग को रेलवे मन्त्रालय के लिए स्वीकार करना सम्भव नहीं होगा । किन्तु किन परिस्थितियों में वे काम करते हैं और कितने असन्तोष पर वे पहुंच गए हैं कि जहां नैराश्य और उदासीनता उन्हें इस हद तक जाने के लिए तैयार कर रही है, इसका अनुभव आप इसी से कर सकते हैं । मैं चाहता हूं कि उनके सम्बन्ध में सहानुभूति के साथ विचार होना चाहिये ।

अब आप ह्विटले काउंसिल्ज़ बनाने वाले हैं । कर्मचारियों के संगठनों की मान्यता जो वापिस ले ली गई है वह मान्यता किसी न किसी रूप में वापिस करनी पड़ेगी । मैं चाहता हूं कि रेल मन्त्री जी इस पर विचार करें कि क्या पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ की तरह से रेलवे में भी श्रेणियों के अनुसार संगठनों को मान्यता देना क्या अधिक उपयोगी नहीं होगा ? अभी जो भी कर्मचारियों के संगठन होते हैं, ट्रेड यूनियन्ज़ होती हैं, उनमें वर्कशापों के लोग प्रभुत्व जमा लेते हैं । चूंकि वे संख्या में अधिक होते हैं, इस वास्ते लोकतन्त्र में यह स्वाभाविक सी चीज़ है । मगर उसके कारण और जो श्रेणियां है, उनके हितों का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं होता । जब हम पुनर्गठन का विचार कर रहे हैं तो इस बात का भी विचार होना चाहिये कि क्या कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने की पद्धति में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाए अथवा नहीं जिससे कि सभी के हितों की रक्षा हो सके और सभी के हितों को प्रतिनिधित्व मिल सके ?

एक आखिरी बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा । कर्मचारियों की शिकायत है कि उन्हें जो सिली सिलाई वर्दियां दी जाती हैं, वे उनके शरीर के माप के अनुसार ठीक नहीं आतीं । क्योंकि वर्दियां थोक में से लाई जाती हैं और कर्मचारियों का निर्माण थोक में नहीं होता, यह स्वाभाविक ही है कि वे वर्दियां उनके शरीर में फिट न आयें । उन वर्दियों को कर्मचारीगण कटवाते हैं, छंटाते हैं और अपने शरीर के अनुसार बनवाते हैं । क्या रेल मन्त्री जी के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह कर्मचारियों को कीमत दे दें या कपड़ा दे दें और वे अपने आप उनको सिलवा लें । सिलाई वे अपनी तरफ से देने के लिये तैयार हैं । लेकिन उनको सिलाई पर खर्च करने के लिये मजबूर किया जाए यह ठीक नहीं है । वे कहते हैं कि हमको दुबारा सिलाई कराने में खर्च करना पड़ता है, इससे अच्छा यही है कि हमें आप कपड़ा दे दीजिये और हम उसको खुद सिलवा लें । मगर आप उनको कपड़ा दें, सिलाई के पैसे दें ताकि वे अच्छी वर्दियां सिला कर चुस्त बन कर रेल मन्त्री जब जाते हैं, उनका स्वागत करें न कि ढीली ढाली वर्दियों में जिनमें कि वे अच्छे दिखाई नहीं देते हैं । मैं चाहता हूं कि इस बारे में भी थोड़ा सा विचार होना चाहिये ।

श्री बीरबल सिंह (जौनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे माननीय सदस्यों की तरह मैं भी रेल मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि रेलवे के उद्योग को, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योग है और जिसमें हमारे देश की साढ़े पन्द्रह अरब पूंजी लगी हुई है और जिसमें साढ़े ग्यारह लाख के करीब परिवारों की जीविका चलती है उन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से और सुचारू रूप से चलाया है । पिछले दस बारह बरसों के अन्दर हमारा यह उद्योग काफी प्रगति कर चुका है । देश में स्वतन्त्रता के बाद रेलों की दशा बड़ी ही जर्जर थी । कई तरह की समस्यायें थीं, युद्ध के जमाने में कई वर्षों से एंजिन नहीं आ सकते थे, पुर्जे नहीं आ सकते थे, नई रेलें नहीं लगाई जा सकती थीं, जिससे यह उद्योग बड़ी बुरी दशा में था । एक बहुत बड़ी समस्या पुनर्वास की थी, दूसरे पाकिस्तान के अलग हो जाने से हमारी रेलें बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो गई थीं । उस वक्त आसाम से सम्बन्ध टूट गया और जम्मू से सम्बन्ध टूट गया । यह सब कार्य हमारे इस विभाग ने बड़े परिश्रम से और बड़ी तत्परता से किया । इसके लिये यह बधाई का पात्र है ।

पुनर्वास का कार्य इतना बड़ा था कि पहली पंचवर्षीय योजना में लगभग ४२३ करोड़ रु० व्यय हुआ और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ११२१ करोड़ रु० व्यय हुआ। लेकिन फिर भी पुनर्वास का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इसके अतिरिक्त और भी नई लाइनों का प्रश्न था। आसाम के साथ हमारा सम्बन्ध जोड़ने के लिये आसाम रेलवे लिंक बनाई गई, जम्मू काश्मीर का जो रास्ता बन्द हो गया उसके लिये नई रेल लाइन बनानी पड़ी, कराची का जो बन्दरगाह निकल गया उसकी जगह कांडला बन्दरगाह नया खोलना पड़ा और उसके लिये डीसा कांडला लिंक बनानी पड़ी। इस तरह से नई रेल लाइनें भी करीब ३८० मील के बनीं। लड़ाई के जमाने में बहुत सी लाइनें उखाड़ दी गई थीं। ४३० मील लम्बी लाइनें उनमें से, वे भी बनाई गईं। लेकिन अब भी कुछ लाइनें ऐसी हैं जो उखाड़ी गई थीं लेकिन अभी तक बन नहीं सकीं। उनमें से एक लाइन उत्तर प्रदेश में अकबरपुर से टांडा को जाती थी। यह लाइन उस समय उखाड़ दी गई थी। गत वर्ष के बजट में मैंने यह देखा था कि कुछ रुपया उसके लिये रक्खा गया था, लेकिन अब तक उसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ है। इस लाइन को फिर से बनाना चाहिये क्योंकि यह बहुत जरूरी है।

नई रेलवे लाइनें जो बनी हैं वे ज्यादातर जो इस्पात के नये कारखाने बने हैं वहां पर सामान पहुंचाने के लिये और वहां से सामान भेजने के लिये ही बनी हैं। और भी कुछ लाइनें बनाई गई हैं, जैसे एक खण्डवा हिंगोली तक है जिससे उत्तर की छोटी लाइन और दक्षिण की छोटी लाइन का स्थापित हो गया है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उत्तर और दक्षिण की छोटी लाइनों का सम्बन्ध स्थापित हो गया है क्योंकि इससे बहुत आसानी होती है। हमारे देश में जो लाइनों की विभिन्नता है उससे भी बड़ी दिक्कत होती है। हमारे यहां २ फीट चौड़ी पटरी की लाइनें भी हैं, २ फीट ६ इंच की की भी चौड़ी हैं। ३ फीट ६ इंच की हैं, ५ फीट ६ इंच की भी हैं। इस तरह से चार तरह की लाइनें हैं जिन की वजह से माल वगैरह के आने जाने में काफी कठिनाई होती है। अब कम से कम यह होना चाहिये कि जो नई लाइनें बनें वह बड़ी लाइनें ५ फीट ६ इंच की बनें, और धीरे धीरे जो तंग या छोटी लाइनें हैं उनको खत्म कर दिया जाय। इस दिशा में कुछ काम हुआ है और करीब ८७ मील लम्बी बारसोई से सिलीगुड़ी तक बनने जा रही हैं, बैजवाड़ा से मछलीपट्टम तक भी बनने वाली हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है और यह काम अवश्य होना चाहिये। धीरे-धीरे एक ही तरह की लाइनें सारे देश में हो जायें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि इससे काफी आसानी होती है। कई तरह की पटरियां होने से इस समय काफी दिक्कत हो रही है। इस तरह के काम जल्दी नहीं हो सकते, लेकिन इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये कि धीरे-धीरे ही सही लेकिन एक तरह की लाइनें कर दी जायें।

जहां तक रेल मार्गों द्वारा परिवहन का और रोड द्वारा परिवहन का सम्बन्ध है, इसमें भी काफी प्रतिस्पर्धा चल रही है। लेकिन वास्तव में इसमें कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है। परिवहन का प्रश्न बड़ा जटिल है और रेलों के करने के लिये काफी काम है और रोड के लिये भी काफी काम है। इस सम्बन्ध में जो नियोगी कमेटी बनी थी और जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उसके अनुसार कार्य होना चाहिये। बड़े-बड़े जो माल हैं वे रेलों द्वारा ही आ जा सकते हैं और छोटे सामान जो हैं वे रोड और मोटर द्वारा आ जा सकते हैं। लेकिन रोड मार्ग से कुछ आसानी पड़ती है और रोड परिवहन जो बढ़ रहा है, उसका वास्तविक कारण यह है कि उसमें हम को काफी सुविधा प्राप्त होती है। रेलों के जरिये सामान जाने में देरी होती है। ठीक वक्त से सामान नहीं पहुंच पाता है। मोटर परिवहन से घर के दरवाजे पर सामान पहुंच सकता है। इस लिये रेल परिवहन और रोड परिवहन का इन्टेग्रेशन होना चाहिये और उसका काम बढ़ाया जाना चाहिये ताकि दोनों के ही लिये काफी काम हो और दोनों का विकास हो सके।

यह कहा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ११२१ करोड़ रु० खर्च हुआ। इस सम्बन्ध में जो फिजिकल टार्गेट था वह पूरा नहीं हुआ। अगर इस को देखा जाय तो यह जरूर है कि कुछ चीजों में

[श्री बीरबल सिंह]

टार्गेट पूरा हुआ है और कुछ चीजों में कम रहा है। इंजिनों के मामले को लीजिये। हमारा टार्गेट २१६१ एंजिन बनाने का था, वह करीब करीब-पूरा हो गया है और पूरे एंजिन बने हैं। जहां तक सवारी डिब्बों का सवाल है, ८८०० का टार्गेट था और ८५०० बने हैं। जहां तक मालगाड़ी के डिब्बों का सवाल है, १ लाख ११ हजार का टार्गेट था और करीब १ लाख डब्बे आये हैं।

रेल की पटरियों के नवीनीकरण का जहां तक सवाल है, वे बहुत घिस गई थीं और उस में भी काफी काम करना था लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ८००० मील लम्बी लाइनों के रिन्यूअल का कार्यक्रम बनाया गया था। वह भी करीब करीब पूरा हो गया है। ७९०० मील लम्बी लाइनों को रिन्यू किया गया है और ८२०० मील पटरी के स्लीपरों को भी दुरुस्त किया गया है। नई लाइनें करीब ८४२ मील लम्बी बनाने का टार्गेट था उस में से ८३३ मील बनी हैं। इसी तरह बिजली से चलने वाली रेलों की लाइनों के निर्माण का प्रश्न था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १४०० मील लम्बी लाइनों के निर्माण का प्रश्न था, लेकिन उस में से केवल ५०० मील बनी है। इस सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने यह आपत्ति भी की कि बिजली की लाइनें क्यों बनाई जायें। जिन स्थानों में कोयला काफी तादाद में मिलता है, वहां पर बिजली की लाइनों की कोई आवश्यकता नहीं है और वहां पर बिजली के एंजिन न चलाये जायें। जहां पर कोयला नहीं मिलता है वहीं पर बिजली की रेलें चलाई जायें और जहां पर कोयला मिलता है वहां पर रेलें कोयले से ही चलनी चाहियें। वास्तव में बिजली की जो लाइन बनी है वह कोई शौक की चीज नहीं है जहां पर ट्रैफिक का जैसा घनत्व होता है उस के हिसाब से चलाई जाती हैं। जहां पर इस्पात के कारखाने हैं और जहां पर बहुत सा सामान जाता है वहां ट्रैफिक बहुत अधिक है, वहां यह आवश्यक हो गया है कि बजाय भाप के इंजिन डीजल तथा बिजली के इंजिन चलें। अगर इस तरह से नहीं किया जायेगा तो डेडलाक पैदा हो जायेगा। इसलिये बिजली की रेलों का चलाना ज्यादा लाभदायक है। इस को सब मानेंगे। रेल मंत्रालय ने १४०० मील लम्बी रेल लाइन बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन केवल ५०० मील लम्बी लाइन बन सकी है। हावड़ से मुगलसराय तक तथा बम्बई और मद्रास के पास, जहां पर कि ट्रैफिक का घनत्व अधिक है वहां रेलें बिजली से चलाई जा रही हैं। इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वास्ते द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कार्य रह गया है अर्थात् १,००० मील का जो कार्यक्रम रह गया है वह तीसरी योजना में पूरा किया जायेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कार्यक्रम रक्खा गया था वह करीब-करीब पूरा हो गया है। अब मैं कुछ स्थानीय बातों की तरफ भी रेलवे मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। रेलवे के दो बड़े पुल एक गंगा का पुल मुकामा में और दूसरा गंडक का पुल यह दोनों बन कर तैयार हो गये हैं और तीसरे ब्रह्मपुत्र के पुल का भी निर्माण प्रारम्भ हो गया है और सन् १९६२ तक वह बन जायगा। मुकामा और गंडक के पुल बन जाने से उत्तर बिहार और उत्तरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये इस से बड़ी सुविधा हो गई है और इस से सामान के पहुंचाने में बहुत सुविधा हुई है।

मुगलसराय का जो यार्ड है जहां पर कि हजारों माल के डिब्बे प्रतिदिन गुजरते हैं इस पुल के बनने से उस का भी भार कुछ कम हुआ है। लेकिन इसी के साथ-साथ गाजीपुर में अगर एक पुल बना दिया जाय तो रेल की बड़ी और छोटी लाइन्स के बीच सम्बन्ध स्थापित हो जायगा और उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में सामान पहुंचाने में आसानी होगी। इसलिये यह गाजीपुर में पुल बनाया जाना बहुत आवश्यक है और रेलवे मंत्रालय को उस पर ध्यान ध्यान देना चाहिये।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि शाहगंज से मुगराबादशाहपुर तक एक रेलवे लाइन बनाना आवश्यक है और वहां पर भी यह काम होना चाहिये।

रेलवे एमेनेटीज के लिये १५ करोड़ रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रक्खा गया था । ३ करोड़ रुपया साल में खर्च होता है और उस बारे में भी मैं कुछ बातों की तरफ रेलवे मंत्रालय और मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह अच्छी बात है कि कम से कम जो बड़े स्टेशन्स हैं डिस्ट्रिक्ट टाउंस के जो प्लेटफार्म्स हैं उन के करीब-करीब हर एक पर शैड बनाये जा रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से जौनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर अभी तक शैड नहीं बन सका है इसीलिये शैड वहां पर बनाना चाहिये । वहां गरमी में धूप लगती है और वर्षा काल में पानी गिरता है और उसके कारण यात्री लोग गरमी से पीड़ित होते हैं और बारिश में भीगते हैं इसी लिये जौनपुर में शैड होना बहुत आवश्यक है ।

इसी के साथ मुझे यह कहना है कि एक छोटा स्टेशन खेतासराय का है जहां पर समीप ही काफी मेले लगते हैं, काफी वहां पर यातायात होता है । वहां पर स्टेशन पर केवल एक कमरा है और छोटा सा उस में बरामदा है । वहां पर मुसाफिरों के बैठने के वास्ते कोई जगह नही है । मेले के वक्त में तो हजारों आदमी वहां पर जाते हैं और जगह का ठीक इंतजाम न होने से यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है और असुविधा का सामना करना होता है । इस सम्बन्ध में मैंने लिखा भी था और यह कहा गया था कि वहां पर एक मुसाफिरखाना जल्द बन जायगा लेकिन अभी तक वह नहीं बना है और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । मानी का स्टेशन बनाना चाहिये उस को फ्लैग स्टेशन बनाने की आवश्यकता है । दूसरे जफरादाबाद और सुलतानपुर की जो रेलवे लाइन है उस में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में ११, १२ मील का अन्तर है इसलिये सरायहरखू में एक रेलवे स्टेशन बनाना चाहिये । बीच में तीन, तीन और ४, ४ मील पर भी स्टेशन बनाना आवश्यक है और इस दृष्टि से सरायहरखू का स्टेशन बहुत आवश्यक है और उस तरफ भी मैं रेलवे मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि रेलों के रवाना होने से पूर्व यह देख लिया जाया करे कि गाड़ी में सफाई का, पानी और बिजली वगैरह का ठीक इंतजाम है कि नहीं और जरूरत के अनुसार उसको करवाया जाय । अभी थोड़े दिनों की बात है कि तूफान एक्सप्रेस में मैं ने देखा कि जब गाड़ी पठानकोट से रवाना हुई और लखनऊ जब वह पहुंची तो वहा पर डिब्बों में रोशनी का बिलकुल प्रबन्ध नहीं था । इस ओर मंत्रालय को देखना चाहिये । सफाई की भी व्यवस्था पुरी तरह संतोषजनक नहीं कही जा सकती । अपना मेरा अनुभव है कि जब मैं पठानकोट एक्सप्रेस में जा रहा था तो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में पाखाना पड़ा हुआ था और मालूम होता था कि कई दिनों से जमा पड़ा हो और वह बदबू कर रहा था और जिसके कि कारण उस कम्पार्टमेंट में बैठना मुश्किल हो गया था । इसलिये गाड़ी रवाना होने से पहले इन चीजों के बारे में देख लिया जाना चाहिये और जरूरत के मुताबिक उन को दुरुस्त कर दिया जाना चाहिये । कम से कम यह किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिये जोकि गाड़ी रवाना होने से पहले यह देख लें कि सफाई वगैरह का इंतजाम ठीक है ।

†**श्री ज० रा० मेहता** (जोधपुर) : लगभग सभी राज्यों की ओर से नयी रेलवे लाइनें बिछाने की मांग रखी गई है तथापि रेलवे मंत्रालय ने उन मांगों की उपेक्षा की है । उन्हों ने केवल उन्हीं लाइनों को मंजूर किया है कि जो भारी उद्योगों की स्थापना के निमित्त चाहिये । जब रेलवे मंत्रालय से इस सम्बन्ध में कहा जायेगा तो वे निसन्देह यही कहेंगे कि योजना आयोग ने इस के लिये उपयुक्त राशि नहीं दी है । और केवल धन के अभाव में नयी रेलवे लाइनें नहीं बन पा रही हैं । तथापि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता । रेलवे मंत्री प्रभावशाली व्यक्ति हैं और हमें विश्वास है कि यदि वे इस दिशा में प्रयत्न करें तो अवश्य कुछ प्रगति होगी । मेरे विचार से यह प्रश्न रेलवे मंत्रालय की व्यक्तिगत सामर्थ्य का है यदि वह दृढ़ रहें तो वे योजना आयोग से अपना कार्य करवा सकते हैं । मेरे विचार से पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनें न बनवाना उनके प्रति अन्याय करना है । यदि समाजवादी आयोजन के प्रतिकूल है जिस के अन्तर्गत हम पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ज० रा० मेहता]

कई लोगों का यह मत है कि नई सड़कों के निर्माण से वहां नई रेलवे लाइनें खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे विचार से यह मत गलत है क्योंकि भारी और अनिवार्य प्रकार का माल जिसे रेलवे सस्ते दरों में ले जा सकती है, उन्हें मोटरें इतनी सस्ती दरों पर नहीं ले जा सकती हैं, अतः वहां नई रेलवे लाइनों के बनने की तत्काल आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि हम ने दूसरी योजना में जितनी भी रेलवे लाइनें बनाई हैं वे सभी भारी उद्योगों के क्षेत्र में बनाई गई हैं, तीसरी योजना में भी हम जिन रेलवे लाइनों को बनाने का विचार कर रहे हैं वे भी केवल उसी कार्य के निमित्त होंगी। अतः इस गति से रेलवे लाइनें बनाना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि केवल राजस्थान को ही १००० वर्ग मील से अधिक रेलवे लाइनों की आवश्यकता है।

अभी हाल कोयले के लदान के सम्बन्ध में जो दिक्कतें हुई हैं उन से रेलवे मंत्रालय को सबक लेना चाहिये। वस्तुतः रेलवे को चाहिये कि वे रेलों के अखिल भारतीय विकास के लिये एक वृहद् योजना बनावें। उसमें देश की आवश्यकताओं तथा वित्तीय संसाधनों के सम्बन्ध में उचित जानकारी दी जाय। निस्संदेह इस प्रकार का कार्य बहुत बड़ा होगा तथापि इस से हमें इस ओर प्रयत्न करने के लिये प्रेरणा मिलेगी।

वस्तुतः हम नई रेलवे लाइनें बिछाने की अपेक्षा पुरानी रेलवे लाइनें बदलने की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हम ने इस कार्य में २०० करोड़ रुपये व्यय किये हैं। तीसरी योजना में इस कार्य के लिये १७० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, मेरा सुझाव है कि हम, इस ओर अधिक राशि की व्यवस्था न कर, नई रेलवे लाइनें बनाने की ओर अधिक ध्यान देवें। दूसरे पटरियों के बदलने का कार्य एक निश्चित सूत्र के अधीन न हो कर चुनाव के आधार पर किया जाय और केवल उन्हीं पटरियों को बदला जाय जिन का बदलना आवश्यक हो। आशा है सरकार इस ओर ध्यान देगी।

†**श्री अजीत सिंह सरहदी** (लुधियाना) : रेलवे मंत्री ने रेलवे प्रशासन का जो चित्र रखा है वह पर्याप्त आशाजनक है और उस के लिये रेलवे मंत्री बधाई के पात्र हैं। तथापि मैं श्री मेहता की इस बात का समर्थन करता हूं कि रेलवे को केवल एक ही क्षेत्र की ओर ध्यान न दे कर देश के समूचे विकास की ओर कटिबद्ध होना चाहिये।

इस में सन्देह नहीं कि यात्री सुविधाओं तथा नियमितता के सम्बन्ध में सुधार हुआ है। तथापि मैं यह जानना चाहता हूं कि यात्री सुविधाओं की वृद्धि का मापदंड क्या है? यदि पिछले पांच वर्षों के आंकड़े लिये जायें तो ज्ञात होगा कि यात्री सुविधाओं की वृद्धि मुख्यतः दक्षिण में हुई है जबकि भीड़भाड़ सब से अधिक उत्तरी रेलवे में रहती है। मैं इस सम्बन्ध में श्री अशोक मेहता का समर्थन करता हूं कि भीड़ भाड़ के मामले में रेलवे बोर्ड पृथक आंकड़े देवे जिस से हमें सही स्थिति ज्ञात हो सके। वस्तुतः दिल्ली के उत्तर में उत्तरी रेलवे में भीड़भाड़ २१ प्रतिशत से भी अधिक है, मैं ने इस सम्बन्ध में पिछले वर्ष भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था, आशा है मंत्री महोदय इस समस्या पर यथोचित विचार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

यद्यपि रेलवे ने तेज रेलगाड़ियां तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ियां प्रारम्भ की हैं तथापि यह दुख की बात है कि मालगाड़ियों की चाल कम होती जा रही है। १९५०-५१ में यह चाल १०.८ मील प्रति घंटा थी जो अब घट कर केवल १० मील प्रति घंटा रह गई है। रेलवे प्रशासन को इन की चाल तेज करने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिये।

यह कहा गया है कि माल के लदान में कमी केवल इस कारण हुई है कि बाढ़ इत्यादि के कारण पटरियां उखड़ गयी हैं। मेरे विचार से यह कहना गलत है। वस्तुतः रेलें मार्ग परिवहन से मुकाबला नहीं कर सकी हैं। रेलों का मार्ग परिवहन से प्रतिद्वंदिता करनी चाहिये या नहीं इस सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। इस बारे में तीन विकल्प सुझाये गये हैं। पहला निरंकुश प्रतियोगिता, दूसरे पूर्ण एकीकरण और तीसरे विनियमित समायोजन होना चाहिये। मेरे विचार से रेलों तथा सड़क परिवहन के बीच विनियमित समायोजन होना चाहिये। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि सड़क परिवहन के क्षेत्र में कई छोटे-छोटे संचालक भी हैं उन्हें अपनी पूंजी तथा श्रम से लाभ उठाने का पूरा अवसर दिया जाय।

पंजाब की जन संख्या दो करोड़ बीस लाख है, तथापि उसकी जनसंख्या को देखते हुए वहां पर रेलवे लाइनें बिछाने की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पंजाब सरकार की ओर से १७ लाइनें बिछाने के लिये अभ्यावेदन दिया गया था, तथापि पिछले दस वर्षों में केवल मुकेरिया से पठानकोट तक ४४ मील लम्बी रेलवे लाइन छोड़ कर एक भी रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई है। इस समय न केवल छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को देखते हुए अपितु सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी लुधियाना और जगाधरी के बीच एक रेलवे लाइन की आवश्यकता है। पंजाब में भारी उद्योगों के अभाव को ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूं कि रेलवे मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

चंडीगढ़ से लुधियाना तक एक रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव है। मेरा सुझाव है कि इस रेलवे लाइन को चमकौर साहेब से होकर ले जाया जाय इससे इस लाइन की वाणिज्यिक आय और लोकोपयोगिता बढ़ जायेगी इससे केवल ७ मील का अन्तर और पड़ेगा। आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

ईंटें पकाने के लिये कोयले को पूर्ववर्तिता नहीं दी गयी है। तथापि इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कोयले की कमी के कारण चंडीगढ़ में ईंटें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। फलस्वरूप वहां का विकास रुक गया है, अतः मेरा सुझाव है कि पंजाब को कोयले का उचित कोटा दिया जाय। इससे न केवल चंडीगढ़ में गृह निर्माण कार्यक्रम पर आघात हो रहा है अपितु छोटे पैमाने के उद्योग धंधों पर भी आघात हो रहा है।

यह आश्चर्य का विषय है कि यद्यपि रेलों से होने वाली आय बढ़ी है, डिब्बों की संख्या में वृद्धि हुई है तथापि यात्री सुविधाओं पर होने वाला व्यय स्थिर रहा है।

मैं नहीं जानता कि रेलवे अभिसमय समिति किन कारणों से इस निश्चय पर पहुंची है। तथापि क्योंकि वर्तमान इंजिन और डिब्बों को काफी भार वहन करना पड़ रहा है अतः यह आवश्यक है कि सुविधाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाय। जिससे कि उनकी आयु लम्बी हो सके। विशेषतः कालका मेल में बहुत पुराने डिब्बे इस्तेमाल किये जा रहे हैं। इनकी दशा में सुधार किया जाय। अन्त में मैं अनुरोध करता हूं कि पठानकोट से ऊपर जम्मू और काश्मीर तक एक रेलवे लाइन शीघ्र बनाई जाय।

†**श्री वे० ईयाचरण** (पालघाट) : रेलवे देश का सब से बड़ा उपक्रम है इसमें ११ लाख से भी अधिक आदमी काम करते हैं। प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि रेलवे की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है, दुर्घटनाओं की संख्या कम हुई है। डिब्बों की संख्या बढ़ जाने तथा यात्रियों के सोने की व्यवस्था हो जाने से भीड़ भाड़ भी कम हो गयी है। यह सब प्रशंसनीय है।

यह कहा गया है कि पिछले १५ वर्षों में १९० नयी गाड़ियां चलाई गयी हैं तथा कुछ गाड़ियों को अधिक विस्तृत किया गया है तथापि यह दु:ख की बात है कि केरल राज्य के पश्चिम किनारे में दक्षिण रेलवे को इस पूरी अवधि में कोई लाभ नहीं हुआ है। वहां दुर्घटनायें और भीड़ भाड़ उसी प्रकार जारी हैं, अत: मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे उस ओर विशेष ध्यान देवें।

दस या पन्द्रह वर्ष पहले कालीकट से तिरूर तक और पालघाट से कोयम्बटूर तक स्थानीय रेलें चलती थीं हमने कई बार रेलवे बोर्ड से उन्हें पुन: आरम्भ करने को कहा ; तथापि रेलवे बोर्ड ने यह उत्तर दिया था कि इंजन और डिब्बों की कमी के कारण ऐसा नहीं किया जा सकता है अब इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार हो गया है। अत: मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय इन गाड़ियों को पुन: चलाने की ओर ध्यान देगा।

मंगलौर मेल में केवल उन्हीं यात्रियों के लिये सोने की व्यवस्था की गयी है जो ७५० किलोमीटर से अधिक की यात्रा करते हैं, मेरे विचार से यह दूरी घटा कर ५०० किलोमीटर कर दी जाय। मेरा सुझाव है कि सोने की व्यवस्था कोचीन एक्सप्रेस में भी की जाय क्योंकि इस गाड़ी में अधिकांश यात्री दूर तक यात्रा करने वाले होते हैं।

तीसरी योजना में दक्षिण में नयी रेलवे लाइनें बिछाने की कोई व्यवस्था नहीं है। दक्षिण में रेलवे लाइनों की कमी है विशेषत: केरल में १४९३७ वर्ग मील में केवल ३१६ मील बड़ी लाइन और २२७ मील मीटर लाइन है, मेरे विचार में देश की आवश्यकता को देखते हुए यह बहुत कम है।

केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित त्रिवेन्द्रम-कन्या कुमारी लाइन और मदरास सरकार द्वारा प्रस्तावित तिन्नवेली-कन्या कुमारी लाइन महत्वपूर्ण हैं। इनसे दोनों राज्यों के विकास को सहायता मिलेगी।

त्रिचूर कोलिंगोड लाइन के सम्बन्ध में चार बार सर्वेक्षण हो चुका है। इस लाइन के द्वारा मीटर लाइन कोचीन बन्दरगाह से मिल जायेगी। इसकी दूरी केवल ४२ मील है, अत: इसकी उपयोगिता को देखते हुए इस लाइन का विकास करना आवश्यक है।

अन्य महत्वपूर्ण लाइनें जिनकी ओर रेलवे मंत्रालय ने ध्यान देना चाहिये वे त्रिचूर-गुरवय्यूर और तेलीचेरी-मैसूर रेलवे लाइनें हैं। यदि वे लाइनें तीसरी योजना में शामिल नहीं की जा सकती है तो उन्हें अगली योजना में शामिल करना चाहिये, वस्तुत: हमें इन क्षेत्रों के विकास के लिये कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिये।

ओवलाकोट में जो नयी इमारत बनवाई जा रही है उसके लिये मैं मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं। वहां ६० पलंगों वाले एक अस्पताल और एक रेलवे संस्थान बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है, आशा है कि रेलवे मंत्रालय इस सम्बन्ध में भी विचार करेगा।

रेलवे उपमंत्री ने यह बताया है कि १,२०,००० रु० की लागत से पालघाट के स्टेशन का पुनर्नवीकरण किया जा रहा है, तथापि वहां अभी तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। वस्तुत: पश्चिमी किनारे में ऐसे कई स्टेशन हैं जिनके मरम्मत की आवश्कता है, मैं आशा करता हूं कि रेलवे मंत्रालय उस क्षेत्र की वाणिज्यिक तथा लोक आवश्यकताओं की ओर ध्यान देकर उनका सुधार करेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कुट्टिपुरम में गुरवयूर जाने वाले बहुत से यात्री उतरते हैं तथापि वहां रुकने का कोई प्रबन्ध नहीं है इसके अतिरिक्त ओलवाकोट में भी ठहरने की सुविधायें नहीं हैं, इसकी अत्यन्त आवश्यकता है, तथापि इसका बजट में कोई उल्लेख नहीं है । मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाता हूं ।

मलमपुज़ा जो कि बड़ी तेजी के साथ भ्रमणार्थियों का केन्द्र बन रहा है वहां आवास की बहुत कठिनाई है । सरकारी काम से जाने वाले पदाधिकारियों को भी वहां आवास की बड़ी कठिनाई होती है अतः वहां आवास की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये । मंगलौर मेल तथा कोचीन एक्सप्रेस गाड़ियों को पालघाट स्टेशन तक ले जाने की व्यवस्था भी की जानी चाहिये ।

कुल मिला कर खाने की व्यवस्था रेलों में अच्छी है मेरा निवेदन है कि इनका स्तर कम से कम ऐसा ही बनाये रखना चाहिये । साथ ही सेवा में कुछ सुधार किया जाना चाहिये । यह प्रशंसा की बात है कि दक्षिण रेलवे में जो घाटा हो रहा था अब वह पूरा हो गया है और उसका श्रेय वहां के विशेष पदाधिकारी एवं उनके सहयोगियों को है । मांसाहारी खाने की देखभाल के लिये निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये ।

चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों की भरती के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित करने सम्बन्धी नियमों की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये । मद्रास के रिजर्वेशन कार्यालय में बड़ी गड़बड़ी से काम होता है उसके कार्य करने के ढंग में सुधार किया जाना चाहिये ।

†**श्री लीलाधर कटकी** (नौगांव) : मैं रेलवे मंत्री को उनके द्वारा प्रस्तुत आय व्ययक एवं उनके भाषण के लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं । आय-व्ययक में ८.६४ करोड़ रुपये का लाभ दिखाया गया है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफतापूर्वक लागू करने के लिये भी मैं रेलवे बोर्ड को बधाई देता हूं ।

जहां तक कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात है देश में और विशेष रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में नई लाइनों की मांग को देखते हुए ; इस काम के लिये वे तीसरी योजना में जो राशि निर्धारित की गई है, वह कम है । इस राशि को बढ़ा कर कम से कम १५०० करोड़ रुपये कर दिया जाना चाहिये ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में खंडवा से हिंगोली तक रेलवे लाइन बना कर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया है । इस प्रकार उत्तर और दक्षिण को रेलवे द्वारा मिलाया गया है । आशा है कि तीसरी योजना में भी इसी प्रकार की और भी नई रेलवे लाइनें बनाई जायेंगी ।

गंगा और ब्रह्मपुत्र के पुल बन जाने से बहुत लाभ हुआ है । ब्रह्मपुत्र के पुल बन जाने से आसाम तथा देश के अन्य भागों के बीच परिवहन सम्बन्धी जो गत्यावरोध है, वह दूर हो जायेगा ।

बरौनी से सिलीगुड़ी तक जो बड़ी लाइन बनाई गई है उसका मैं स्वागत करता हूं ।पांडु और ग्वालपाड़ा से गारोपहाड़ियों तक एक लाइन बनाई जानी चाहिये । इससे गारो पहाड़ियों में कोयले की खानों की खुदाई के काम में सहायता मिलेगी । इस क्षेत्र में चूने का पत्थर, बांस तथा इमारती लकड़ी भी उपलब्ध है । रंगपुरा से उत्तर लखीमपुर तक बनाई जाने वाली रेलवे लाइन का भी मैं स्वागत करता हूं ।

इम्फल को कोहिमा होकर सिलचर तथा मनीपुर से मिलाने वाली एक लाइन बनाई जानी चाहिये । इस लाइन के बनने से नागा पहाड़ियां तथा त्वेनसांग क्षेत्र तथा मनीपुर के विकास में सहायता मिलेगी । धर्मनगर को अगरतला से मिलाने वाली एक लाइन की आवश्यकता है और इसे

†मूल अंग्रेजी में

आवश्यक मान कर बनवाया जाना चाहिये । उत्तरी सीमान्त रेलवे की दो ब्रांच लाइनों पर गैर-सरकारी समवायों द्वारा गाड़ियां चलाई जाती हैं । जब इन समवायों की चालू अवधि पूरी हो जाये, तो इन लाइनों को उन से ले लिया जाना चाहिये ।

आसाम में आवश्यक और असैनिक सामान को पहुंचाने के लिये रेलवे को पर्याप्त मात्रा में वैगनों की व्यवस्था करनी चाहिये । उत्तरी सीमान्त रेलवे पर और अधिक यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है । सामान्य गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी जानी चाहिये और काम के मौसम में विशेष गाड़ियां चलाई जानी चाहिये । रेलवे कर्मचारियों तथा यात्रियों को विद्रोही नागाओं के आक्रमण से बचाने के लिये समुचित उपाय किये जाने चाहिये ।

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली) : सभापति महोदय, १९६१–६२ के रेलवे बजट पर वाद-विवाद के अवसर पर इस बात को तो सभी तसलीम करते हैं कि जहां तक आत्मनिर्भरता का प्रश्न है, भारतीय रेलों ने काफी प्रगति की है वे काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गई हैं । लेकिन उसी के साथ साथ हमारी विकासवादी अर्थ-व्यवस्था के अनुरूप जिस हद तक प्रगति होनी चाहिये थी, उस हद तक नहीं हो पाई है । दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो टारगेट्स थे, वे अभी तक पूरे नहीं हो पाये हैं । माननीय रेल मंत्री ने अपने भाषण में जो कुछ कहा उससे भी ऐसा लगता है कि कई टारगेटस के मामले में कमी रहगी . . .

श्री जयपाल सिंह (रांची–पश्चिम–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : हिन्दी में बोलने से क्या फायदा, डिप्टी मिनिस्टर साहब हिन्दी नहीं समझते हैं ।

श्री प्र० ना० सिंह : यह मेरा तथा डिप्टी मिनिस्टर साहब दोनों का दुर्भाग्य है । मैं तो चाहता हूं कि सभी इस भाषा में बोलें और इसको समझें ।

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : श्री हेम राज मेरे लिये अनुवाद कर रहे हैं ।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

श्री प्र० ना० सिंह : मैं यह कह रहा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जो काम पूरे हो जाने चाहिये थे, वे पूरे नहीं हो पाये हैं, चाहे वह इलैक्ट्रिफिकेशन का सवाल हो, चाहे वैगंज के निर्माण का सवाल हो और फिर चाहे रेलवे ट्रेक्स के रिन्यूल्ज़ का प्रश्न हो ।

इसी के साथ साथ जो विकासवादी अर्थ-व्यवस्था है, उसके अनुसार जितना रेलों का विकास होना चाहिये था, जितना बढ़ावा होना चाहिये था वह नहीं हुआ और उसमें भी कमी ही रह जाएगी । इस बात को इसी से अनुभव किया जा सकता है कि इस समय सारे देश में कोल का अभाव है और कई सूबों में तो उद्योगों के बन्द होने तक का सवाल उपस्थित हो गया है । उत्तर प्रदेश में, गुजरात में तथा दूसरे कुछ सूबों में उद्योगों के बन्द होने की हालत पैदा हो गई है और यह स्थिति कोल न मिलने के कारण ही पैदा हुई है । हमारे उत्तर प्रदेश में तो यह हालत है कि कई शहरों में कोल-रायट्स की स्थिति पैदा हो गई है । रेलवे विभाग कहता है कि जितने टारगेट्स हमने रखे थे, कोल के सम्बन्ध में, उतना कोल हमने रेलों के ज़रिये पहुंचा दिया है । लेकिन एन० सी० डी० सी० के लोग कहते हैं, कारपोरेशन के लोग कहते हैं कि जितने वैगंज़ की उनको आवश्यकता थी और जितने वैगंज की उन्होंने मांग की थी उतनों की पूर्ति नहीं की गई है । उनकी तरफ से कहा गया है कि १९६० में २ लाख २३ हजार २०० वैगंज़ की मांग की गई थी और केवल १ लाख ४५ हजार ५०० वैगंज़ ही उनको दिये गये । इसका मतलब यह हुआ कि ७७,००० वैगंज की कमी

†मूल अंग्रेजी में

रही। उनकी तरफ से कुछ अखबार वालों को भी, जहां पर कि कोल इकट्ठा हो गया है, उन स्थानों पर ले जाया गया है, बिहार में, मध्य प्रदेश में और उनको दिखाया गया है कि आठ लाख टन कोयला जमा पड़ा हुआ है और यदि मार्च के आखिर तक इसको हटाया नहीं गया तो स्थिति दूनी खराब हो जाएगी और ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि उत्पादन कम होना शुरू हो जाएगा। इसका नतीजा यह होगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले साल में ही एक बहुत बड़ा धक्का भारतीय उद्योग को लगेगा। सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि कोल की कमी की जिम्मेदारी एन० सी० डी० सी० पर आती है या रेल मंत्रालय पर, इसको हमें देखना है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस योजनाबद्ध तरीके से रेलों का कार्य होना चाहिये, उस तरीके से कार्य नहीं हो रहा है। हम यह भी महसूस करते हैं कि जिस तरह के विकास की आवश्यकता थी, उस तरह का विकास रेलों द्वारा हो रहा हो, ऐसी बात नहीं है। पिछली बार रेलवे बजट पर वाद-विवाद के समय मैंने कहा था कि अंग्रेजों के जमाने में जहां पर एक दिन में ढाई मील रेल की लाइन इस देश के अन्दर बिछाई गई वहां मौजूदा हुकूमत की तरफ से केवल एक मील रेलवे लाइन ही एक दिन में बिछाई गई है। इससे साफ़ जाहिर है कि रेलों की प्रगति तेज़ी के साथ नहीं हो रही है और इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये।

जहां रेलों की आमदनी बढ़ रही है वहां खर्चा भी दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे सामने १९६०-६१ का दोहराया हुआ तखमीना आया है। उसको देखने से पता चलता है कि ३६ करोड़ रुपये के करीब आमदनी में बढ़ोतरी हुई है जब कि ३७ करोड़ के करीब खर्चे में बढ़ोतरी हो गई है। यदि आमदनी के बढ़ने के साथ साथ इस तरह के खर्चे में भी वृद्धि होती गई तो यह रेलों के लिये चिन्ता का ही विषय हो सकता है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि खर्चा कम करने की ओर माननीय रेल मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहिये।

कहां पर कमी की जा सकती है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे बताया गया है और खुद मेरी जानकारी में भी यह बात आई है कि हर डिविजन में आज करीब २०० या २५० सैलूंज हैं और वे उन अफसरों के इस्तेमाल के लिए हैं जो कि असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड के लोग हैं या उसके ऊपर के दर्जे के लोग हैं। ये ढाई तीन सौ सैलूंज हर डिविजन में रेलवे के इस्तेमाल हो रही हैं। बहुत अधिक खर्चा आपको इन सैलूंज पर करना पड़ रहा है। यदि हम चाहते हैं कि देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, तो इकोनोमी के रास्ते आपको खोजने पड़ेंगे और दूसरों के आराम और आसाइश की जो चीजें हैं, उनको करटेल करना पड़ेगा। जो ऊंचे पदों पर आसीन लोग हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल में हों या दूसरे बड़े अफसर हों--यदि वह इन में ट्रेवल नहीं करते हैं तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन यदि वह ट्रेवल करते हैं तो उनको भी सैलूंज में ट्रेवल करना बन्द कर देना चाहिये और दूसरों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : अफसर लोग ट्रेवल करते हैं।

श्री प्र० ना० सिंह : आज हर डिविजन में ढाई तीन सौ सैलूंज हैं। चाहे वे चार व्हीलर हों या छः व्हीलर और बड़े तथा छोटे अधिकारी उनका इस्तेमाल करते हैं। यदि आप इकोनोमी करना चाहते हैं तो वह दूसरों का पेट काटने से नहीं हो सकती है बल्कि जो दूसरे फिजूल खर्चे हैं या जो आराम व आसाइश के लिए लोगों के बढ़ाये हुए खर्चे हैं, उनमें कमी करने की बात आपको सोचनी होगी।

[श्री प्र० ना० सिंह]

जहां तक रेलवे के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनकी ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था, उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी रेलवे हड़ताल हुई। उस हड़ताल के सिलसिले में सदन के उस तरफ से कहा गया कि रेलवे हड़ताल के समय कर्मचारियों पर जो कार्रवाई हुई है वह नहीं करनी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्रेड यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं उन के सम्बन्ध में हम को अपनी राय को और पार्लियामेंट के सदस्यों को अपनी राय को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिये। जिस देश के अन्दर ट्रेड यूनियन मूवमेंट नहीं होगा, जिस देश के अन्दर ट्रेड यूनियन मूवमेंट के आदमी दबाये जायेंगे, जहां उन पर हमला होगा, वहां तानाशाही को छोड़ कर दूसरी व्यवस्था बन नहीं सकती। इसलिये ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के रास्ते में जिस तरह की रुकावट पिछली हड़ताल के बाद हुई है और यूनियनों का रिकग्निशन जिस तरह से छीना गया है उस के सम्बन्ध में शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिये जिस से यूनियनों का रिकग्निशन वापस हो सके। इस के साथ साथ ट्रेड यूनियन मूवमेंट के कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में अपनी राय में भी हमें तब्दीली करनी चाहिये। मेरे जैसा आदमी तो यह सोचता है कि ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता बहुत ही जिम्मेदार अनुशासित और प्रतिभाशील व्यक्ति होता है। कुछ लोगों का खयाल है कि ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता जो है वह अनुशासनविहीन व्यक्ति होता है, लेकिन हाउस के इस पक्ष की राय यह है कि ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, जिस के अन्दर प्रतिभा है उस के अन्दर सक्रियता होगी। जो प्रतिभाशील व्यक्ति हैं आज उन पर एक प्रहार किया जा रहा है पर यह किसी तरीके से उचित नहीं है। पिछले हड़ताल के मौके पर हड़ताल कोई जम कर नहीं हुई क्योंकि उस समय लोग सोचते थे कि कोई न कोई समझौते का रास्ता निकल आयेगा। लोगों ने आधी तबिअत से हड़ताल की, लेकिन हड़ताल होने के बाद जिस तरह का आश्वासन सरकारी पक्ष की ओर से दिया गया कि जिन लोगों ने हड़ताल के अन्दर भाग लिया उन के खिलाफ कोई विक्टिमाईजेशन नहीं होगा, उसे पूरा नहीं किया गया। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज नीचे के अधिकारी विक्टिमाईजेशन के रूप में ट्रेड यूनियन वर्कर्स को परेशान कर रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, यदि माननीय मंत्री जी उन हदारणों को ले लें। पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा की कार्यसमिति के कई पदाधिकारी आज भी काम पर नहीं लिये गये हैं, आज भी उन की मुअत्तिली कायम है। पूर्वोत्तर रेलवे के श्री जे० आर० खटनानी, जो कि उस के उपाध्यक्ष हैं, आज भी अनुलम्बित हैं, श्री पारसनाथ तिवारी अनुलम्बित हैं, श्री राम दरश मिश्र, जो पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा के सहायक प्रधान मंत्री हैं, श्री हरिश्चन्द्र लाल, संगठन मंत्री, श्री इन्द्रदेव सिंह, कोषाध्यक्ष, श्री गिरिजा शंकर त्रिपाठी और श्री श्याम सुन्दर श्रीवास्तव, साधारण सदस्य, इन को केवल इसलिये विक्टिमाइज किया जा रहा है कि वे यूनियन के अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं और समय समय पर हमेशा अधिकारियों के नाजायज कार्यों के खिलाफ विरोध करते रहे हैं, और जो वहां के मेहनतकश लोग हैं उन की मांगों को ले कर हमेशा उन के सामने सही बात कराने के लिये कोशिश करते रहे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि दूसरी रेलवेज़ में भी यही हाल है, जिस तरह से उन को नोटिसें दी गई हैं सस्पेंशन के लिये, वे भी अजीब बातें हैं। अभी मेरे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नार्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीजन के उदाहरण दिये। एक कर्मचारी को इस तरह की नोटिस दी गई कि आप फलां तारीख को मजदूरों को उत्साहित कर रहे थे कि वे हड़ताल पर जायें। लेकिन सब से बड़ी बात यह है कि उस दिन सन्डे था और छुट्टी थी। एक कार्यकर्ता को, जो दो महीनों से पहले से अस्पताल में पड़ा था, अस्पताल से गिरफ्तार किया गया, और उस पर नोटिस सर्व किया गया कि उसने मीटिंगों में भाग लिया। जिस तरह की कार्रवाइयां नीचे की इकाइयों में हो रही है, उन को आप देखिये, उनका

क्या नतीजा होने वाला है । इसी तरह से मेरी कांस्टिटुएंसी मोगल सराय में, जहां पर कोई सैबाटेज नहीं हुआ, कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं हुई, कई लोग अनुलम्बित हुए पड़े हैं । दो या तीन लोग सस्पेन्डेड पड़े हुए हैं। इसी तरह से हर रेलवे में हुआ है । वहां पर चूंकि रेलवे यूनियनों के रिकग्निशन छीने गये हैं इसलिये वे बहुत परेशान हैं। सेंट्रल रेलवे के मजदूरों पर भी बहुत ही अन्याय हुए हैं। सेंट्रल रेलवे के मजदूरों ने डी० एस० से अपनी बातें कहनी चाहीं । लेकिन जब उन की बातें नहीं सुनी गईं तो उन को प्रदर्शन करना पड़ा। लेकिन सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन के सेक्रेटरी और १२ लोगों को ३१ दिसम्बर के प्रदर्शन के बाद से सस्पेन्शन की चार्ज शीट मिली हुई है कि आप की सर्विसेज क्यों न खत्म कर दी जायें। मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे मजदूरों के साथ इस तरह की ज्यादतियां नीचे की इकाइयों में हो रही हैं और वह रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के बाद हो रही हैं। इस बात को मानने के बाद कि हड़ताल पर जाने का हक था, इस बात को मानने के बाद कि दूसरों को हड़ताल पर जाने के लिये कहने का हक था, इस बात को भी मानने के बाद कि सभा में बोलने का हक था और नोटिस निकालने का हक था, जो कि रेलवे बोर्ड के एक सर्कुलर में दिया हुआ था, पुरानी प्रेजुडिसेज के आधार पर यूनियन के कार्यकर्ताओं पर हर तरह की ज्यादती करना, उनका ट्रांस्फर करना, उन के केसेज को ठीक तरह से डील न करना, किसी तरह से भी उचित बातें नहीं हैं। इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे कोई इंडिपेन्डेंट ट्राइब्यूनल बनायें, जिस के सामने ये केसेज ठीक तरह से जायें और मजदूर अपना पक्ष रख सकें। ब्यूरोक्रेसी के हाथों से देश के रेलवे मजदूरों को, जिन का देश की रेलों को बनाने में सब से बड़ा हिस्सा है, तोड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिये । आज ब्यूरोक्रेसी और ट्रेड यूनियन मूवमेंट के बीच बहुत बड़ा झगड़ा है । ब्यूरोक्रेसी समझती है कि जो ट्रेड यूनियन का काम करते हैं वे आदमी अनुशासनविहीन होते हैं। देश के जो डिमाक्रेटिक लोग हैं, उन को यह सोचना है कि ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ यदि अन्याय होगा तो देश में, हिन्दुस्तान में डिमाक्रेसी मर जायेगी । इस झगड़े का दूर करना तभी सम्भव हो सकता है जब आप एक इंडेपेन्डेन्ट ट्राइब्यूनल बनायें और उसके सामने सारी बातें जायें, या मिनिस्टर साहब खुद इस मसले को अपने हाथ में लें और हर एक के केस को देखने के लिये और हर एक की बात सुनने के लिये तैयार हों ।

मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे मजदूरों के साथ जो न्याय होना चाहिये था वह होता पिछले सालों में तो वह हड़ताल न हुई होती जो कि ११, १२ तारीख की रात को हुई । मैं आज भी कहता हूं कि रेलवे मजदूरों के ऊपर होने वाला अन्याय बना हुआ है। आज ४, ६ और ८ सालों से रेलों में लोग टेम्पोरेरी बने हुए हैं जो कि कैजुअल वर्कर हैं। आज रेलवे के लगभग ११ लाख मजदूरों में से १ लाख से ऊपर कैजुअल वर्कर हैं। उन के लिये आप ने वादा किया था कि आप उन को मन्थली बेसिस पर कर देंगे जिस में कि उन को इतवार की छुट्टी मिल सके और पासेज का प्रिविलेज मिल सके, लेकिन आप ने उन को मन्थली बेसिस पर नहीं किया । इसी तरीके से फोर्थ क्लास इम्प्लायीज़ की प्रमोशन कमेटी की रिपोर्ट आने के बावजूद जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं . . . .

मैं कह रहा था कि फोर्थ क्लास के जो कर्मचारी हैं, जिन के लिये रेलवे मिनिस्टर ने फोर्थ क्लास एम्प्लायीज की प्रमोशन कमेटी के सामने बोलते हुए कहा था कि वे भी इस चीज को चाहते हैं कि नीचे के जो कर्मचारी हैं उन का इस तरह से प्रमोशन हो जिस में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में आकर, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में आ सकें और द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में आ सकें और प्रथम श्रेणी में आकर रेलवे बोर्ड में भी पहुंच

[श्री प्र० ना० सिंह]

सकें, उन के लिये कुछ नहीं किया गया । जब तक हिन्दुस्तान के रेलवे मजदूरों को आप इस बात का हक नहीं देते कि वे नीचे की लैडर से उठ कर रेलवे बोर्ड में बैठ सकें, तब तक आप रेलवे का नैशनलाइजेशन भले ही कर लें, लेकिन उस की एफिशिएन्सी कभी नहीं बढ़ पायेगी । इसलिये प्रमोशन कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उस पर आप को ध्यान देना चाहिये ।

पिछले साल मैं ने ट्रेन एग्जामिनर्स के क्वेश्चन को यहां उठाया था । उस के ग्रेड को १८० रु० से ले कर २४० रु० तक करने की घोषणा गजट में की गई थी, लेकिन अब उसे १५० रु० से ले कर २४० रु० तक करने की बात है । इस सिलसिले में माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करें कि ऐसी गड़बड़ी क्यों हो रही है ।

इस के साथ साथ मैं इस चीज को भी देखता हूं कि जहां तक यूनिफोर्म का मामला है, खलासियों को साल में केवल एक यूनिफार्म मिलती है । लेकिन खलासी को, जो कि सब से ज्यादा मेहनत करता है, साल में कम से कम दो यूनिफार्म तो मिलनी ही चाहियें ।

इसके साथ एक और सवाल भी है । बम्बई के मजदूरों और कलकत्ते के मजदूरों का सवाल है । आज आप बड़े शहरों में कम्पेन्सेटरी अलाउंस देते हैं । जो लोग बम्बई शहर में काम करते हैं और रहते भी बम्बई शहर में हैं उन को कम्पेन्सेटरी अलाउंस मिलता है । लेकिन जो लोग काम तो बम्बई में करते हैं लेकिन रहते बम्बई के पास कल्याण में हैं, उन को छुट्टी के दिनों का कम्पेन्सेटरी अलाउंस नहीं मिलता । इसलिये ऐसा कोई नियम बनना चाहिये जिससे कि बम्बई के आस पास रहने वाले जो लोग बम्बई में काम करने आते हैं, अगर वे छुट्टी लें तो उन को भी सिटी कम्पेन्सेटरी अलाउंस मिल सके ।

एक्स सर्विसमेन का सवाल भी उठता है जो कि नार्दर्न रेलवे के हेडक्वार्टर्स में आ गये हैं । उन का सवाल कई सालों से पड़ा हुआ है । वे कई सालों से एजिटेशन कर रहे हैं, कई सालों से मेमोरैन्डम दे रहे हैं, वे शिकायत ले कर मंत्री महोदय के सामने आते हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी उन का मामला हल नहीं हुआ । सन् १९५० में एक सर्कुलर निकला था, यदि उस के मुताबिक आप एक्स सर्विसमेन का मामला तय करते और कोई रास्ता निकालते जिससे उन का मामला हल होता, तो बड़ी अच्छी बात होती ।

इसी के साथ साथ एक चीज मैं आखिर में विशेष तौर से केटरिंग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । केटरिंग के सिलसिले में हाउस के सामने कहा गया और इसको मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि केटरिंग घाटे में चल रहा है । केटरिंग के दो भाग हैं, एक तो रेस्तुरां और रिफरेशमेंट रूम और दूसरा है वेंडिंग । हम देखते हैं कि रेस्तुरां और रिफरेशमेंट रूम्स में घाटा है जिसको पूरा करने के लिए आप वेंडिंग में दाम बढ़ा रहे हैं और इस प्रकार उस घाटे को पूरा करना चाहते हैं । आप देखें कि वेंडर्स से तीसरी श्रेणी के लोग ज्यादातर खरीदते हैं, और पहली तथा दूसरी श्रेणी के यात्री रेस्तुरां और रिफरेशमेंट रूम्स का उपयोग करते हैं । आपने रेस्तुरां और रिफरेशमेंट रूम्स में होने वाले घोटे को पूरा करने के लिए वेंडिंग के हर सामान का दाम बढ़ा दिया है । यह उचित नहीं है । रेलवे मंत्री ने कहा था कि यह केटरिंग नो लास और नो प्राफिट बेसिस पर चलाया जाएगा । उसी के साथ साथ हम जो यात्रियों के लिए अच्छा खाना और कम दाम पर खाना देना चाहते हैं वह प्रयत्न सफल नहीं हुआ है । आप देखें कि हालत यह है कि

जहां गवर्नमेंट का केटरिंग है वहां दाम ज्यादा हैं और जहां प्राइवेट केटरिंग है वहां दाम ज्यादा नहीं हैं । यह चीज अपनी जगह पर ठीक नहीं बैठती । होना तो यह चाहिए कि गवर्नमेंट वेंडिंग के दाम कम हो और दूसरे लोगों के ज्यादा हों, लेकिन ऐसा क्यों हो नहीं रहा यह बात समझ में नहीं आती ।

जहां तक केटरिंग मजदूरों का सवाल है उनकी हालत अच्छी नहीं है । केटरिंग के मैनेजर आदि जो गड़ बड़ करते हैं वह उन मजदूरों के ऊपर जाकर पड़ती है जो ऊपर के आदमी हैं उनकी जिम्मेदारी कम हो गयी है । इसके अलावा इन मजदूरों को खाना नहीं मिलता । जो मजदूर केटरिंग करता हुआ बम्बई से दिल्ली तक आता है उसको खाना नहीं मिलता केटरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से । उसे केवल तनख्वाह मिलती है और कुछ कमीशन मिलता है । इसलिए आज केटरिंग मजदूर बहुत परेशान है ।

इसके अलावा फूड की क्वालिटी में जो तरक्की होनी चाहिए थी वह नही हो पायी है । हम यह नहीं चाहते कि गवर्नमेंट का केटरिंग बन्द हो जाए और वह निजी हाथों में चला जाए लेकिन हम यह चाहते हैं कि गवर्नमेंट यदि किसी काम को करे तो उसको वह काम निजी हाथों के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरह करना चाहिए । यदि ऐसा नहीं होता तो देश में नेशनलाइजेशन के खिलाफ वातावरण बनता है । उसका लाजमी नतीजा होगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर वे ताकतें मजबूत होंगी जो प्रतिक्रियावादी हैं और वे ताकतें कमजोर होंगी जो समाज के निर्माण के लिए समाजवाद की ओर अग्रसर होना चाहती हैं ।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं रेलवे मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं कि मजदूरों का मामला जो कि हड़ताल के बाद से पड़ा हुआ है उस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करें ताकि नीचे के अधिकारी उनका विक्टिमाइजेशन न कर सकें । अभी नीचे के अधिकारी उनको विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं । ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता होने के नाते या ट्रेड यूनियन से सिम्पैथी रखने के कारण उनके विक्टिमाइजेशन का सवाल आता है ।

आखिर में मैं एक बात ट्रेड यूनियन्स के रिकागनीशन के बारे में कहना चाहता हूं। इस मामले में भी बहुत गड़बड़ी हो चुकी है । व्यवस्था यह होनी चाहिए कि जिस यूनियन को चुना जाए उसी को रिकागनीशन दिया जाए । उनको बैलट द्वारा यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कौन सी यूनियन रिप्रेजेन्टेटिव है और उसी को रिकागनीशन देना चाहिए। लेकिन जो पाकिट यनियन्स हैं जिनमें जा कर मंत्री लोग भाषण देते हैं और जिनका उद्घाटन करते हैं, उनको रिकागनीशन न दिया जाए । उनको रखने से मजदूरों का हित पूरा नहीं होता ।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं आखिर में मंत्री जी रेलवे मजदूरों के लिए अपील करूंगा कि उनके मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए और सहानुभूति के साथ हल किया जाए जिस से कि जो इधर उनके साथ अन्याय और जुल्म बढ़ा है उसमें कमी हो सके ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** (जोरहाट) : रेलवे ने जो उन्नति की है उसके लिये मैं रेलवे कर्मचारियों को बधाई देती हूं। नागा विद्रोहियों की लूटपाट की वजह से आसाम में रात के समय रेल से यात्रा करना इतना खतरनाक हो गया है कि रात में गाड़ियों का चलना बंद कर देना पड़ा। गाड़ियों में हथियार बंद रक्षक चलते ज़रूर है परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार के उपायों से सुरक्षित यात्रा की जा सकती हैं। अब समय आ गया

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती मफीदा अहमद]

है कि सिलघाट से अपर आसाम के किसी एक स्टेशन तक नयी लाइन बनाने के प्रश्न पर रेलवे को विचार करना चाहिये। ताकि वहां यात्रियों की सुरक्षा हो सके और बार बार जो रेलवे रात को बंद करनी पड़ती है उससे बचा जा सके।

लुमडिंग—बदरपुर लाइन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिये उस सेक्शन पर डीज़ल से चलने वाले इंजनों का प्रयोग किया जा सकता है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की लाइन क्षमता बढ़ा दी जानी चाहिये। ऐसा करने से आसाम के कुल चाय व्यापार पर नियंत्रण हो जायेगा। देश में माल डिब्बों की कमी होने की वजह से माल के यातायात में देर होती है। आसाम में अत्यावश्यक वस्तुओं का अभाव बना रहने की वजह ही यही है कि वैगनों के मंगाने भेजने में देर होती है। आशा है कि बुजरयाघाट से सिलीगुडी तक की लाइन का निर्माण पूरा हो जाने पर उस राज्य से माल-डिब्बे के आने जाने की स्थिति सुधर जायेगी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासन हुए]

रेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ होने के फलस्वरूप ही बिना टिकट यात्रा संभव हो पाती है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि विशेषरूप से उत्सवों के अवसर पर पर्याप्त संख्या में गाड़ियां चलायी जायें। साथ ही उतने ही टिकट बेचे जायें जितने यात्रियों के लिये गाड़ियों में स्थान हो। मेरा विचार है कि यह प्रभावकारी कदम है। पन्डुआ तिनसुकिया रेलवे लाइन पर भी भीड़भाड़ को कम करने के लिये वहां रेलों में अधिक डिब्बे लगा देने चाहियें। आशा है कि माननीय रेलवे मंत्री महोदय एवं रेलवे बोर्ड मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर): रेलवे ने गत दो वर्षों में जो कार्य किया है वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। लेकिन हमारा देश बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है किन्तु रेलें उस प्रगति को पूरा करने में सक्षम नहीं है। और यह बढ़ते हुए यातायात की मांगों के पूरा करने में असमर्थ रही हैं। रेलवे तो देश की अत्यन्त आवश्यक जरूरतों तक की पूरा करने में असमर्थ रही है। जैसा कि इस बात से प्रगट है कि रेलवे के कोयला और अन्य आवश्यक सामान का पहुंचाने में असमर्थ रहने के फलस्वरूप राउरकेला और दुर्गापुर की धमन भट्टियों को चालू करने में देर हो गई। रेलवे यात्रियों की आवश्कताओं को पूरा करने में भी असमर्थ रही है। मेलों और उत्सवों के अवसर पर भी यात्रियों को लाने ले जाने के लिये विशेष प्रबन्ध किये जाने चाहिये।

आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तलचर और राउरकेला के बीच एक नयी लाइन बिछानी चाहिये। राउरकेला से ४२ मील तक तो एक्सटेंशन लाइन बिछायी जा चुकी है इसलिये अब सिर्फ ५०—६० मील लम्बी रेल लाइन का ही निर्माण करना रह जायेगा। ऐसा करने से बाढ़ के समय काफ़ी सहायता मिलेगी।

कलकत्ता और दिल्ली के बीच तेज चलने वाली गाड़ी केवल एक ही है। और गाड़ियां जाती ज़रूर हैं लेकिन वे काफ़ी समय लेती हैं।

हावड़ा और दिल्ली के बीच एक और मेल गाड़ी चलाने के सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिए, ताकि कलकत्ते से लोग शीघ्रता से दिल्ली पहुंच सकें। कटक से दिल्ली आने को कोई सीधी रेल लाइन ही नहीं है। सभी राज्यों की राजधानियों का

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली से रेल द्वारा सीधा सम्बन्ध है परन्तु उड़ीसा की राजधानी को यह गौरव प्राप्त नहीं है। कटक से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए विशेष डिब्बा लगाया जाना चाहिए। अन्त में मेरा निवेदन है कि ीराकुड बांध के इर्द गिर्द के स्टेशनों के रेल कर्मचारियों की निर्माण भत्ते की मांग की रेलवे को छानबीन करनी चाहिए।

†**श्री रामकृष्ण रेड्डी** (हिन्दूपुर) : रेलवे ने जो कुछ शानदार कार्य किया है उसके लिए मैं रेलवे मंत्रालय को मुबारकबाद देता हूं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधायें भी बढ़ा दी हैं और कार्य कुशलता भी बढ़ी है। यह बड़े हर्ष और सन्तोष की बात है कि इंजन, सवारी और माल डिब्बे भी देश में ही बनने लगे हैं। इस सब पर हमें गौरव होना चाहिए और हमें रेलवे प्रशासन की सराहना करनी ही चाहिए। लोकतंत्रीय व्यवस्था में यद्यपि प्रगति की गति धीमी होती है परन्तु जो कुछ प्रगति होती है वह स्थायी और पक्की होती है। रेलवे मंत्रालय और रेलवे कर्मचारियों ने इस दिशा में अपने सहयोग से बड़ी गौरवपूर्ण परम्पराओं का निर्माण किया है। उससे देश का नाम काफी ऊंचा हुआ है। मुझे इस बात में काफी सार दिखाई देता है कि इस मामले में दक्षिण के हितों के प्रति काफी उदासीनता दिखाई गयी है। उतर और दक्षिग के बीच आंध्र प्रदेश वैसे ही पिस रहा है। आंध्र प्रदेश को कमजोरियों का अनुचित लाभ उठाकर उसका शोषण किया जा रहा है।

आंध्र ने काफी बाढ़ों, अकालों तथा सूखा की स्थिति का मुकाबला किया है और उसकी स्थिति काफी शोचनीय हो गयी है। कई प्रकार के दुःखों से हम घिरे हुए हैं। रेलवे ने भी हमारे प्रदेश के प्रति उदासीन रहने का ही काम किया है। मेरा निवेदन है कि रेलवे को देश के इस दुर्भाग्यशाली क्षेत्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के लिए एक विशेष जान की स्थापना की जानी चाहिए जिसका प्रधान कार्यालय रायलसीमा में रखा जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश ने लोक-सभा में चार सदस्यों को निर्विरोध भेजा परन्तु आज उस प्रदेश की बुरी तरह उपेक्षा की जा रही है। रायलसीमा को तो यह भी गौरव है कि आज के हमारे अध्यक्ष महोदय श्री म० अ० अय्यंगार तथा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री संजीवा रेड्डी दोनों वहां के ही हैं। अतः इस क्षेत्र का समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए।

रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में चितलदुर्ग से मैसूर राज्य को, कड़पा से चिन्तामणि को लावल से कड़पा को और काजीपेट से ओंगोल को मिलाने के लिए नयी लाइनों का निर्माण किया जाना चाहिए। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुल मिला कर यह कुछ सौ मील ही बनते हैं। परन्तु ऐसा हो जाने से आंध्र प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा। मैं आशा करता हूं कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र की इस मांग पर रेलवे मंत्रालय अवश्य विचार करेगा।

यह कहना कि दक्षिण वालों को रेलवे लाइनों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे बसों को पसन्द करने लगे हैं, बिल्कुल गलत बात है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि रेलवे की व्यवस्था ठीक न होने के कारण ही लोग बसों की ओर अधिक आकृष्ट हुये हैं। बसों में गैर सरकारी उपक्रम होने के कारण व्यवस्था काफी अच्छी होती है। रेलवे प्रशासन को अच्छा बनाना चाहिए तथा भीड़भाड़ कम करने के लिए यह जरूरी है कि अधिक गाड़ियां चलाई जायं और गाड़ियों में अधिक डब्बे लगाये जायें।

अन्त में मेरा कहना है कि आंध्र प्रदेश को रेलवे की नौकरियों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उस राज्य के और भी अधिक लोगों को रेलवे में रखा जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा): पिछले दिनों जो हड़ताल हुई थी उसके बारे में सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को दंडित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह खेद की बात है कि विभिन्न स्थानों के अधिकारियों ने कर्मचारियों के प्रति बदला लेने का दृष्टिकोण अपनाया है। इस सम्बन्ध में मैंने पूर्व रेलवे तथा दक्षिण पूर्व रेलवे को बहुत कुछ लिखा है परन्तु मुझे किसी चीज का उत्तर नहीं मिला। मैं एक उदाहरण भी देता हूं कि ट्रेन निरीक्षकों के लिये हालांकि वेतन आयोग ने १८०—२४० रुपये के वेतन क्रम की सिफारिश की थी फिर भी आरम्भिक वेतन को घटा कर १५० रुपये कर दिया गया है। यदि यही नीति अपनाई गई तो प्राधिकारियों और कर्मचारियों के परस्पर सम्बन्धों में सुधार होना असम्भव हो जायेगा। हम अपनी तीसरी योजना को आरम्भ कर रहे हैं और इस स्थिति में कर्मचारियों में निराशा के भाव नहीं होने चाहिये। कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करके योजना को पूरा करने के लिये उनमें उत्साह पैदा किया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि उनके हृदय में उत्साह पैदा करके उनका सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये। स्वस्थ कार्मिक संघ आन्दोलन का विकास भी किया जाना चाहिए।

रेलवे हमारे देश का सब से बड़ा राष्ट्रीय उपक्रम है वहां की स्थिति में सुधार करना बड़ा ही आवश्यक है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि चितरंजन के इंजन बनाने वाले कारखाने के कर्मचारियों के संघ को भी मान्यता दी जानी चाहिये। इसके लिए वे गत पांच वर्षों से आन्दोलन कर रहे हैं। यदि ऐसा हो गया तो उनके बहुत से विवाद समाप्त हो जायेंगे। आखिरकार कर्मचारियों को अपनी शिकायतों को पेश करने का अवसर तो दिया ही जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं हमेशा रेलवे आय व्ययक प्रस्तुत होने के अवसर पर इस बात पर जोर देता रहा हूं कि हावड़ा—आमता लाइट रेलवे और शियाकला लाइट रेलवे जैसी रेलों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। ये रेलें बड़े खराब ढंग से चल रही हैं। साथ ही इनके किराये भी तुलनात्मक तौर पर भारतीय रेलों के किरायों से कहीं अधिक है। मेरा यह भी मत है कि मार्टिन रेलवे का भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। इससे कलकत्ता की काफी भीड़ भाड़ को कुछ लाभ पहुंच सकता है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि शालीमार वर्कशाप को बन्द करने का कोई लाभ नहीं हुआ है अतः उसे फिर से चालू कर देना चाहिये। रेलवे में सहकारी संस्थाओं के संगठन का स्वागत किया जाना चाहिये। इस आन्दोलन को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये।

†श्री पु० र० पटेल: बहुत से माननीय सदस्यों ने नयी लाइनों के बारे में अपने सुझाव दिये हैं, परन्तु यह नहीं बताया कि इस सब के लिये धन की व्यवस्था कैसे की जाय। मैं जो सुझाव दे रहा हूं उसके लिये धन की व्यवस्था सरलता से हो सकती है। उदयपुर और हिम्मतनगर के बीच रेल लाइन डालने का निर्णय हुआ है। मुझे आशा है कि इस रेल लाइन के निर्माण करने सम्बन्धी निर्णय को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायेगा। हिम्मतनगर और बीजापुर के बीच भी रेल सम्पर्क कायम किया जाना चाहिये। इसके लिये धन उपलब्ध हो सकता है। विलय के समय भूतपूर्व बड़ौदा राज्य की सरकार ने ११२.७ लाख की राशि रक्षित निधि के रूप में दी थी। उसका प्रयोग इस उद्देश्य के लिये किया जा सकता है। इससे अच्छा और कोई कार्य नहीं हो सकता।

इस दिशा में मेरा यह भी निवेदन है कि यदि मिल्डी का रेल सम्बन्ध पाटन हरीज अथवा बेचरजी से जोड़ा जा सके तो उदयपुर का गुजरात से सीधा सम्पर्क हो जायेगा। इससे एक लाभ यह भी होगा कि अहमदाबाद तथा अजमेर के बीच होने वाली भीड़भाड़ कम हो जायेगी। इस

†मूल अंग्रेजी में

लाइन पर एक अतिरिक्त गाड़ी का चलाया जाना भी बड़ा आवश्यक है। यह भी ठीक है कि अहमदाबाद मेहसाना तक दोहरी लाइन बिछाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है, परन्तु स्थिति यह है कि कलोल से मेहसाना तक अब तक काम में कुछ भी प्रगति नहीं हुई है। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इस काम में शीघ्रता की जानी चाहिये।

हमें याद रखना चाहिये कि रेलवे को सब से अधिक आय तीसरे दर्जे के यात्रियों से होती है परन्तु खेद है कि उनको सुविधायें देने की दिशा में प्रायः कुछ नहीं किया जाता। रेलवे प्राधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिये। साथ ही कादिज जैसे छोटे स्टेशनों पर शैड बनाये जाने चाहिये।

रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में सदन में कहा गया है। मैं विस्तार में न जाते हुये इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारियों के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार होना चाहिये और सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि भविष्य में हड़तालों की नौबत न आये।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

कोई सन्देह नहीं कि रेलवे ने काफी प्रगति की है और इस दिशा में राष्ट्र की पूंजी भारी मात्रा में लगी है। यह विनियोजन १७३,२६५ लाख तक पहुंच गया है। हमें इस दृष्टि से भी देखना चाहिये कि क्या हमें अपने विनियोग के अनुसार आय हो रही है। आय इस लिए भी अधिक नहीं होती क्योंकि खर्च बहुत अधिक है। खर्च कम करके आय में वृद्धि करनी चाहिये। रेल की अधिक से अधिक तथा उत्तम से उत्तम सेवा जनता को प्रदान करने का लक्ष्य रेलवे को अपने समक्ष रखना चाहिये।

श्री र० ढों० पाटिल (भीर) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो मझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं एक ऐसे पिछड़े इलाके से चुना गया हूं कि उस इलाके में बिल्कुल रेलवे नहीं है। मैं जिस कांस्टीट्यूएंसी से चुनकर आया हूं वह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। वह मराठवाड़े का हिस्सा है। मराठवाड़ा वह हिस्सा है जो सैकड़ों साल से निजाम के मातहत रहा, उस वक्त उसकी प्रगति की कोई गुंजाइश नहीं थी। भारत आजाद होने के बाद भी उसको आजाद होने में कुछ दिन लगें और भारत सरकार ने जो पुलिस कार्रवाई की उसके जरिये से हम आजाद हो गए। उस वक्त दो साल मिलिटरी का राज्य रहा। उस वक्त कोई प्रगति की गुंजाइश नहीं थी। बाद में चुनाव हो गय, और चुनाव के बाद कुछ मांगें पेश करनी थीं लेकिन उस वक्त भी रिआरगेनाइजेशन की वजह से मराठवाड़े को प्रगति के लिये मांग करने की कोई गुंजाइस नहीं मिली। बाद में फिरते फिरते इस वक्त यह इलाका महाराष्ट्र में है। वहां के चीफ मिनिस्टर थोड़ी बहुत गुंजाइश दे रहे हैं, लेकिन वह ऐसा इलाका है कि वहां के काश्तकारों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये और उसे अच्छे मारकेट में ले जाने के लिये कोई सहूलियत नहीं है। मेरा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि उसमें एक माइल की भी रेल की लाइन नहीं है। चुनाव के वक्त लोगों की यही मांग थी कि हमारा मेम्बर पार्लियामेंट में जाने के बाद पहली मांग यही रखे कि हमारे यहां रेलवे की गुंजाइश हो। मुझे तो यही खास कर रिक्वेस्ट करनी है कि आनरेबिल मिनिस्टर से।

श्री शाहनवाज खां : वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है।

श्री र० ढों० पाटिल : वह मराठवाड़े का भीर डिस्ट्रिक्ट है। वह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पर जो लोग अपनी मेहनत से पैदा करते हैं उसको मारकेट में ले जाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। वहां के लोग बम्बई के मारकेट में अपना माल ले जाना चाहते हैं लेकिन

[श्री र० ढ़ौं पाटिल]

ऐसा नहीं कर सकते। उनके पास इसके लिये कोई सहूलियत नहीं है। इसलिये आनरेबिल रेलवे मिनिस्टर इसके ऊपर खास करके ध्यान दें। वहां पर एक छोटी बड़ी कोई लाइन लगा दें तो बहुत अच्छा हो। वैसे तो हम चाहते हैं कि पूना से नांदेल तक वाया भीर एक लाइन हो, लेकिन अगर यह न हो सके तो कम से कम अहमदनगर से परली तक वाया आष्टी भीर एक लाइन बना दें। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जल्दी से जल्दी इसका सरवे कराकर इसको बनाने की कोशिश की जाए। मेरी दूसरी कोई मांग नहीं है। मैं हाउस का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं तो खुद मेहनत करने वाला काश्तकार हूं और बगैर पढ़ा लिखा हूं। मेरे जिले के लोगों की य ी आशा थी कि हम में से कोई आदमी चुन कर जाए और हमारी यह तजवीज भारत सरकार के सामने रखे और खास कर आनरेबिल रेलवे मिनिस्टर से मारूजा करे कि हमारी पहली मांग रेलवे लाइन की है। छोटी बड़ी कैसी भी लाइन आप अहमदनगर से परली तक बना दें। अगर यह न हुआ तो हम समझेंगे कि कुछ नहीं हुआ। मैं लोगों को आश्वासन दे कर आया हूं कि मैं उनकी मांग को भारत सरकार और आनरेबिल मिनिस्टर साहब के सामने रखूंगा। यह मकसद मेरा पूरा हो गया। मैं ने उनकी मांग आपके सामने रख दी। आप समर्थ हैं और इस काम को कर सकते हैं, आप नहीं करेंगे तो हम और किस के पास अपना मारूजा लेकर जाएंगे।

मैं जिस इलाके से आया हूं वहां के लोग अनपढ़ हैं पर मेहनत करने वाले हैं। लेकिन जो सरमायेदार देहातों में हैं वे उनको फंसा लेते हैं। मारकेट में अपना माल ले जाने की सहूलियत नहीं है और एक छोटा काश्तकार अपने माल को इतने दूर के मारकेट तक नहीं पहुंचा सकता। और इसलिये कम दाम पर गांव के सरमाएदार को बेच देता है। तो यह मराठवाड़ा का बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। इसको कई राज्यों में चक्कर काटना पड़ा है। और अब आजाद होने के बाद वहां के लोगों की पहली मांग रेलवे लाइन की है। दूसरी चीजें भी हमें मिलती जाएंगी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन इतना बड़ा काम तो वे नहीं कर सकते क्योंकि इसका बड़ा खर्चा है। इसलिये भारत सरकार के जरिये ही यह काम होने वाला है। रेलवे मिनस्टर साहब इसको कर सकते हैं। यह मेरे बड़े भाग्य हैं कि इस वक्त रेलवे के तीनों मंत्री यहां मौजूद हैं और स्पीकर महोदय भी बैठे हैं। तो मेरी प्रार्थना को आप पूरा करें। हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारी मांग जरूर पूरी होगी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं चाहता हूं कि इस लाइन का जल्दी से जल्दी सरवे कराया जाए। ज्यादा वक्त लेना मैं नामुनासिब समझता हूं क्योंकि और बहुत से पढ़े लिखे लोग बोलने वाले हैं।

मुझे जो इजाजत मिल गई बोलने के लिये तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं ाक खासकर भीर डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचें और नक्शा देखें कि वहां के लोगों को कैसे सहूलियत मिल सकती है वहां के लोग रेलवे के बगैर बड़े बेजार हैं और परेशान हैं।

इसलिये अहमदनगर से परली तक वाया अष्टीविड़ एक रेलवे लाइन बिछाने की कृपा की जाय। ऐसा होने से वहां की गरीब जनता आनरेबिल चीफ मिनिस्टर और साथ ही साथ हमारे रेलवे मंत्री महोदय का बहुत शुक्रिया अदा करेगी। बस और अधिक न कहते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

†**श्री माने** (बम्बई नगर केन्द्रीय रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं अनुसूचित जातियों और बौद्ध रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में ही कुछ कहूंगा। इससे पूर्व मैं यह निवेदन

†मूल अंग्रेजी में

करना चाहता हूं कि सरकार ने कोकण रेलवे की मांग को बहुत पहले ही मान लिया था ; इस रेलवे का नाम ढिवा दास गांव रेलवे रखा जाने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लाइन केवल उरण तक ही होगी। मेरा निवेदन है कि निपाणी से रामबाग तक भी एक लाइन का निर्माण किया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे ।

तत्पश्चात् लोक-सभा शनिवार ४ मार्च, १९६१/फाल्गुण १३, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, २ मार्च, १९६१
११ फाल्गुन, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१३१७—४३
तारांकित प्रश्न संख्या		
४७४	विदेशों को जाने वाले भारतीय खेल दल	१३१७—१८
४७५	सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के राज नैतिक अधिकार	१३१८—२१
४७६	संस्कृत शिक्षण संस्थाएं	१३२१—२६
४७७	रेणुका रे समिति की रिपोर्ट	१३२६—२८
४७८	कोयला धोने के कारखाने	१३२८—३०
४७९	खम्भात में तेल निक्षेप	१३३०—३२
४८०	प्रशिक्षित अध्यापिकाए	१३३२—३४
४८१	रूरकेला में प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज	१३३४—३६
४८२	राज्य सूची में उल्लिखित स्मारकों का संरक्षण	१३३६—३८
४८३	युद्ध सामग्री कारखानों में धातु मिश्रित इस्पात का निर्माण	१३३८—४०
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या		
२	भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में पीलिया और टायफायड	१३४०—४३
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१३४३—१३९९
तारांकित प्रश्न संख्या		
४७३	भारत में चिकनाई वाले तेलों के संयंत्र की स्थापना	१३४३—४४
४८४	रूरकेला में पाइपों का उत्पादन	१३४४
४८५	पुलिस कर्मचारियों के मकान	१३४४—४५
४८६	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर	१३४५
४८७	विश्वविद्यालयों में गांधी-भवन	१३४५—४६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

४८८	कोयला धोने के कारखाने .	१३४६
४८९	रडार उपकरण . . .	१३४६
४९०	वाराणसी, अयोध्या और मथुरा में मस्जिदें .	१३४६–४७
४९१	उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के उपकुलपति	१३४७
४९२	कोयल का संभरण .	१३४७–४८
४९३	हिमाचल प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण	१३४८
४९४	सरगवाला (अहमदाबाद) में खुदाइयां	१३४८
४९५	हिन्दी संगठनों का अखिल भारतीय संघ	१३४९
४९६	कोयले का संभरण	१३४९–५०
४९७	जनगणना	१३५०
४९८	कलकत्ता स्थित कोयला नियंत्रक का कार्यालय	१३५०–५१
४९९	शुद्ध मापक उपकरणों के मिस्त्रियों और प्रविधिज्ञों की संस्था	१३५१
५००	जापानी मिशन . .	१३५१
५०१	दिल्ली में स्कूल अध्यापकों की हड़ताल की धमकी	१३५२
५०२	मद्य निषेध . .	१३५२–५३
५०३	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण	१३५३
५०४	बाल पुस्तक न्यास .	१३५३–५४
५०५	लड़कियों की शिक्षा .	१३५४
५०६	व्यय कर देने वाले के लिये रियायत	१३५४–५५
५०७	स्टाफ कारें .	१३५५
५०८	कोयला खनन कार्यक्रम . .	१३५६
५०९	आसाम में जनगणना	१३५६
५१०	बैल्जियम के राजदूतावास पर अफ्रीकी छात्रों का प्रदर्शन .	१३५७
५११	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान परिषद	१३५७
५१२	केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	१३५७–५८
५१३	रुपये की क्रय-शक्ति . . .	१३५८
५१४	केन्द्रीय सरकार को आसाम के भूतपूर्व इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के पत्र . .	१३५८–५९
५१५	रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये पश्चिम जर्मनी की सहायता .	१३५९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७९९	केरल में स्मारक . . .	१३५९
८००	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये होस्टल	१३५९-६०
८०१	महाराष्ट्र में शारीरिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता .	१३६०
८०२	डाक द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा . .	१३६१
८०३	महाराष्ट्र में छोटी बचतें	१३६१
८०४	पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी .	१३६१
८०५	सरकारी उपक्रमों में अधिवर्ष अधिकारी	१३६१-६२
८०६	दिल्ली में बेसिक शिक्षा	१३६२
८०७	चांदी की खानें	१३६२
८०८	अफीम की खेती .	१३६३
८०९	राजस्थान में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चे	१३६३
८१०	विदेशों में भारतीय विद्यार्थी	१३६३
८११	उड़ीसा को शिक्षा सम्बन्धी अनुदान . .	१३६३-६४
८१२	उड़ीसा में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक	१३६४-६५
८१३	उड़ीसा में करों की वसूली .	१३६५
८१४	उड़ीसा से केन्द्रीय ऋण की बकाया	१३६५
८१५	उड़ीसा में हिन्दी का प्रचार	१३६५-६६
८१६	कोयले का निर्यात . . .	१३६६-६७
८१७	पंजाब में नगरपालिका के मेहतरों को सुविधाएं	१३६७
८१८	लद्दाख सीमा पर मुठभेड़ .	१३६७
८१९	उत्तर प्रदेश में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चे . .	१३६७
८२०	तम्बाकू का उत्पादन . .	१३६७-६८
८२१	उत्तर प्रदेश के लिये लोहे की चादरें. . .	१३६८
८२२	अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के लिये घर	१३६९
८२३	विदेश भेजे गये शिष्टमंडल . .	१३६९
८२४	संसद् और राज्य विधान मडलों के रिक्त स्थान	१३६९-७१
८२५	जम्मू और काश्मीर राज्य में आना।	१३७१
८२६	हेलीकोप्टर	१३७१
८२७	पुरातत्व विभाग, पटना के एक पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप .	१३७१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८२८	स्वामी श्रद्धानन्द की प्रतिमा .	१३७२
८२९	रक्षित स्मारक . .	१३७२
८३०	शिक्षा संस्थाओं को संविहित मान्यता . . .	१३७३
८३१	अनुसूचित जातियों, अनसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों की सूचियों में संशोधन . .	१३७३
८३२	प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक	१३७३–७४
८३३	सोने का तस्कर व्यापार	१३७४
८३४	पहाड़ी केन्द्रों में अवकाश गृह .	१३७४
८३५	जलियांवाला बाग में राष्ट्रीय स्मारक	१३७४
८३६	पंजाब का भूतत्वीय सर्वेक्षण	१३७५
८३७	खम्बात में तेल निक्षेप .	१३७६
८३८	निर्वाचन सम्बन्धी अनिर्णित मामले	१३७६
८३९	विदेशों में हिन्दी का अध्यापन	१३७६–७७
८४०	आदिम जाति क्षेत्रों का विकास . .	१३७७
८४१	कटक स्थित आयकर अधिकारियों के लिए क्वार्टर	१३७७
८४२	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	१३७७
८४३	राजकीय रहस्य अधिनियम	१३७८
८४४	गांजे का तस्कर व्यापार	१३७८
८४५	इस्पात नीति	१३७८
८४६	भारत का इतिहास	१३७८–७९
८४७	निर्यात संवर्धन . .	१३७९
८४८	प्रतिरक्षा मंत्रालय सिक्योरिटी कौर	१३७९
८४९	भारतीय प्रोद्योगिक संस्था, कानपुर	१३८०
८५०	महाराष्ट्र को आवण्टित स्टीम कोयला	१३८०
८५१	बीज फार्म योजना सम्बन्धी अध्ययन दल	१३८१
८५२	इस्पात संयंत्रों में टिपलर . .	१३८१
८५३	रद्दी इस्पात की बिक्री . .	१३८२
८५४	गुजरात में सोने का पकड़ा जाना .	१३८२–८३
८५५	ऋण पत्रों का जारी किया जाना . .	१३८३
८५६	फिल्म वित्त निगम .	१३८३–८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
८५७	अखिल भारतीय सेवाय	१३८४
८५८	अहमदनगर में राष्ट्रीय सेना छात्र दल का प्रशिक्षण शिविर	१३८४—८५
८५९	भारतीय विज्ञान कांग्रेस का ४८वां अधिवेशन	१३८५
८६०	तिरुमलाई वेंकटेश्वर कालिज दिल्ली .	१३८५—८६
८६१	पाकिस्तान को कोयले का निर्यात .	१३८६
८६२	मेदवा के पुरातत्व अवशेष . . .	१३८६—८७
८६३	सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल	१३८७
८६४	असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंटों की परीक्षा	१४८७
८६५	बन्दरगाहों पर निजी वस्तुओं की घोषणा . .	१३८८
८६६	सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों की पाइप लाइन क्षमता .	१३८८
८६७	पश्चिम जर्मन ऋण . . .	१३८८—८९
८६८	आयात	१३८९
८६९	उड़ीसा में कोयला क्षेत्र . .	१३८९—९०
८७०	पश्चिम बंगाल में स्मारकों का संरक्षण	१३९०
८७१	दिल्ली प्रशासन के सफाई कर्मचारी .	१३९०
८७२	अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	१३९०
८७३	उच्च माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक	१३९०—९१
८७४	आयात किये गये तेल की खरीद .	१३९१
८७५	आई० ए० एस० आदि परीक्षाएं .	१३९१—९२
८७६	रिजर्व बैंक की नीति . .	१३९२
८७७	सेना के कर्मचारियों के लिये जमीनें.	१३९२
८७८	रुद्रसागर में तेल के निक्षेप . . .	१३९३
८७९	मैसूर में पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां .	१३९३
८८०	उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम	१३९३—९४
८८१	दिल्ली प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग . .	१३९४
८८२	सेक्शन अफसरों के ग्रेड . . .	१३९४—९५
८८३	पैट्रोलियम प्रोद्योगिकी का प्रशिक्षण . . .	१३९५
८८४	फुलारा आयल मिल, उपलेटा में उत्पादन शुल्क अधिकारियों की दौड़	१३९६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८८५	दिल्ली में माध्यमिक शिक्षा के लिये अलग बोर्ड .	१३६६
८८६	दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिये नैतिकता सम्बन्धी भाषण .	१३६६–६७
८८७	निर्वाचन याचिकाएं	१३६७
८८८	बट्टे खाते डाला गया आयकर	१३६७–६८
८८९	सोने का भाव	१३६८
८९०	महाराष्ट्र और मैसूर का भूगर्भीय सर्वेक्षण	१३६८
८९१	शिक्षण संस्थाओं के लिये वैज्ञानिक उपकरण	१३६८–१३६६

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४००

(१) वक्फ अधिनियम, १९५४ की धारा ६६-क की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २८ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११७ में प्रकाशित मध्य भारत और भोपाल मुस्लिम वक्फ बोर्ड (विघटन) आदेश, १९६१ की एक प्रति।

(२) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १८७।

(दो) समुद्र सीम-ाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १८८।

(३) लोक सहायक सेना अधिनियम, १९५६ की धारा ११ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४०६ में प्रकाशित लोक सहायक सेना (संशोधन) नियम, १९६० की एक प्रति।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १४०१–०२

श्री एम० इलियास ने असम में रहने वाले बंगालियों द्वारा अपने नाम मतदाता सूचियों में दर्ज कराने में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों की ओर विधि मंत्री का ध्यान दिलाया।

विधि मंत्री (अ० कु० सेन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

विषय	पृष्ठ
रेलवे आय-व्यय सामान्य चर्चा	१४०२--३३

वर्ष १९६१-६२ के बजट (रेलवे) पर सामान्य चर्चा जारी रही चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शनिवार, ४ मार्च, १९६१/फाल्गुन १३, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

रेलवे आय-व्ययक १९६१-६२ तथा गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर और आगे विचार।

GMGI ND—LS III— 2135(Ai)LSD—30-3-61—125.